खण्ड १—अंक ७

२७ मार्च, १९५७ (बुधवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

1st Lok Sabha

(XV Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड १ में अंक १ से अंक ८ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

चार आने (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

5 LSD

विषय-सूची

(खंड १—अंक १ से ८—१९ से २८ मार्च, १९५७)

पृष्ठ

अंक १—मंगलवार, १९ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १,२, ४, ५, ७, ८, ३, ६ और ९ . १-१२

प्रश्न का लिखित उत्तर—

अतारांकित प्रश्न संख्या १ . १२

दैनिक संक्षेपिका १३

अंक २—बुधवार, २० मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— . .

तारांकित प्रश्न संख्या ११,१२, १३, १४, १६, १७, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २६, २७, २८, २९ और १५ . . . १४–२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८ और २५ . . . . २९–३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २, ३ और ४ . . . . ३०

दैनिक संक्षेपिका ३१

अंक ३—गुरुवार, २१ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३० से ३२, ३४ से ३७, ३९ से ४५ और ३३ . ३२–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८ . . . . . ४७-४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५ से १३ . . . ४८–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर में शुद्धि . ५१

दैनिक संक्षेपिका ५२

अंक ४—शुक्रवार, २२ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६, ४७, ५० से ५२, ५४, ४९ और ५३ . . ५३–६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८ और ५३ . . . ६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४ से १७ . . . ६४–६५

दनिक संक्षेपिका . . . ६६

अंक ५--सोमवार, २५ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५६, ५९, ६० और ६२ से ७२ . . ६७–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५७ और ६१ ८२–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १८ से २५ ८३–८८

तारांकित प्रश्न संख्या ५९ के उत्तर में शुद्धि . . . ८९

दैनिक संक्षेपिका ९०

अंक ६--मंगलवार, २६ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७३ से ७९, ८१, ८२, ८४ से ९६ . . ९१–११५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . . ११५–१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८० और ८३ . . . . ११६–१७

अतारांकित प्रश्न संख्या २६ से ४५ और ४५-क . . ११७–२४

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७ के उत्तर में शुद्धि . . . १२४

दैनिक संक्षेपिका १२५–२६

अंक ७--बुधवार, २७ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९८, ९८-क, १०० से १०६, १०८ से ११०, १११, ११२, ११४ और ११५ . . . . . १२७–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०७, ११०-क और ११३ . . . १४७–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७ से ५२ . . . १४८–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७३ के उत्तर में शुद्धि . . . १५०

दैनिक संक्षेपिका १५१

अंक ८--गुरुवार, २८ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११६ से १२१, १२३ से १२५, १२७ से १२९, १३१ और १३२ . . . . १५२–६८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . . १६८–७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६ और १३० . . . १७०–७१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३ से ५७ . . १७१–७३

दैनिक संक्षेपिका १७४

सारांश १७५

अनुक्रमणिका . . . . . (१–४८)

टिप्पणी: किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १–प्रश्नोत्तर)

लोकसभा

बुधवार, २७ मार्च, १९५७

लोक–सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अलूमिनियम का कारखाना

†*९८. **श्री सें० वें० रामस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सैलम जिले में पाये जाने वाले बौक्साइट का उपयोग करने के लिये मेटूर बांध पर अलूमिनियम का जो कारखाना खोला जाने वाला था, उस के सम्बन्ध में इस समय क्या स्थिति है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : राव समिति ने मेटूर में १०,००० टन के एक गलाने वाले संयंत्र की स्थापना की सिफारिश की थी और यह भी सुझाव दिया था कि इस से पूर्व कि वहां कारखाने की स्थापना की जाये, विस्तार पूर्वक इस बात का पता लगाया जाना आवश्यक है कि सैलम जिले की शिवराय पर्वतमाला में विभिन्न किस्मों की कितनी कितनी बौक्साइट प्राप्त की जा सकती है। इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। साथ ही, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम[1] भी यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि इस परियोजना को कार्यान्वित करने में विदेशों से किस प्रकार का उपयुक्त सहयोग प्राप्त किया जा सकता है ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि वहां ७० लाख टन अयस्क[2] प्राप्त हो सकेगा, और यह अनुमान इस अंदाजे पर आधारित है कि अयस्क की परत सिर्फ २५ फुट तक है। जहां तक मुझे पता है, मद्रास सरकार के उद्योग विभाग ने हाल ही में परीक्षात्मक खुदाई की थी और यह ७० फुट तक पहुंच गयी थी। अब पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार वहां कुल कितना अयस्क मिल सकेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह सच है। परन्तु पुनरीक्षित प्राक्कलन हमारे पास अभी तैयार नहीं हैं। अब तक के निश्चित प्राक्कलन यही हैं कि अच्छे किस्म की ६५ लाख टन बौक्साइट प्राप्त हो सकेगी ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी**: मेरा ख्याल है कि अमरीका के मेसर्स रेनाल्ड्स के पास नमूने भेजे गये हैं। इन नमूनों के बारे में क्या रिपोर्ट दी गयी है ? क्या मेसर्स रेनाल्ड्स को ठेका दे दिया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम ने तीन भिन्न देशों में नमूने भेजे हैं। मेसर्स रेनाल्ड्स द्वारा किया गया विश्लेषण तो प्राप्त हो गया है परन्तु निश्चित प्राक्कलन अभी नहीं आये हैं।

†**श्री च० द० पांडे** : क्या विन्ध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाये जाने वाले बौक्साइट का अलूमिनियम के लिये विकास करने क कोई प्रस्ताव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]. National Industrial Development Corporation.

[2]. Ore.

†**श्री मनुभाई शाह** : बौक्साइट निक्षेपों का विकास करना एक बात है और अलूमिनियम तैयार करने के लिये गलाने वाले संयंत्र लगाना बिल्कुल दूसरी ही चीज है। जहां तक अलूमिनियम के उपयोग का प्रश्न है, सदस्यों को ज्ञात है कि कुछ ही दिन पहले मैं ने अलूमिनियम समिति द्वारा भारत सरकार को दिया गया प्रतिवेदन सभा के समक्ष रखा था। इस प्रतिवेदन में गलाने वाले दो संयंत्रों का सुझाव दिया गया है--एक रेंड़[३] में और दूसरा मेटूर में।

†**डा० रामा राव** : मंत्री महोदय ने कहा था कि मेटूर में अलूमिनियम बनाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कार्यवाही की गई है।

†**श्री मनुभाई शाह** : परियोजना का कार्यन्वय काफी आगे तक बढ़ चुका है। जैसा कि सैलम वाले माननीय सदस्य बता ही चुके हैं, हम मेसर्स रेनाल्ड्स से बात चीत कर रहे हैं और दो अन्य फर्में हैं--एक इटालियन और एक फ्रांसीसी और उन से भी बात चीत की जा रही है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : समिति ने यह भी खबर दी है कि बड़ी मात्रा में बहुत ऊंचे दर्जे का मैगनेजाइट भी पाया गया है। उस ने यह भी सुझाव दिया है कि मेटूर के कारखाने में अलूमिनियम और मैगनेशियम का विशेष मिश्रित-धातुओं का भी उत्पादन करने के लिये सैलम के मैगनेजाइट संसाधनों के आधार पर वहां मैगनीशियम का भी एक कारखाना स्थापित करने की संभावना की जांच की जानी चाहिये। क्या मैं जान सकता हूं कि इस दिशा में भी क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैगनीशियम धातु अलूमिनियम की ही सह-धातु है और देश में पाये जाने वाले बौक्साइट के सभी निक्षेपों में मैगनीशियम रहती है, परन्तु मैगनीशियम प्राप्त करने के लिये अब तक कोई सक्रिय कार्यवाही नहीं की गई है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस खबर की ओर आकर्षित किया गया है कि खोदे गये छिद्रों के सिरों पर पायी गयी बौकसाइट रेडियो सक्रिय है और उस में टिटेनियम औक्साड मिली हुई है। क्या अणु शक्ति आयोग अथवा प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय को इस बात की सूचना दे दी गयी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सभी भास्मिक-धातुओं[४] में थोड़ी बहुत रेडियो-सक्रियता तो होती ही है और यह सभी धातुओं का ही एक अंग होती है और टिटेनियम को इन में से लाभकारी ढंग से अलग नहीं किया जा सकता। रेडियो सक्रिय धातु और उन के सम-स्थानिक[५] ही तो सामान्यतया इस प्रयोजन के लिये उपयोगी सिद्ध होते हैं।

राजनीतिक दलों को प्रसारण की सुविधायें

+

†*९८-क. { **श्री सं० चं० सामन्त** :
श्री वोडयार :
श्री कामत :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में द्वितीय सामान्य निर्वाचनों में सरकार ने राजनीतिक दलों को प्रसारण संबंधी कौन कौन सी सुविधायें देने का प्रस्ताव किया था;

(ख) उनमें से कौन-कौन सी सुविधाओं का किन-किन दलों ने उपयोग किया; और

---

†मूल अंग्रेजी में।
३. Rihand
४. Basic metals
५. Isotops

(ग) इन अवसरों का उपयोग न करने के क्या कारण बताये गये ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) १९ दिसम्बर, १९५७ को मैं ने सभा में पूरा विस्तृत विवरण दिया था। विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २३]**

(ख) प्रजा सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और जनसंघ दलों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। क्योंकि सरकार का इरादा यह था कि सभी दलों द्वारा बराबर उपयोग किया जाये, इस संबंध में आगे कुछ करना उचित नहीं समझा गया और प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

(ग) तीनों दलों में से इस के उत्तर में इस विषय पर स्वीकार किये गये अपने संकल्प भेजे थे। क्योंकि ये संकल्प बहुत लम्बे हैं और उन का सारांश देना कठिन होगा, मैं इन संकल्पों और अन्य उत्तर की प्रतियां सभा-पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २३]**

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या राजनीतिक दलों को प्रसारण संबंधी सुविधायें प्रदान करने के बारे में कुछ रचनात्मक सुझाव सरकार को दिये गये हैं, और यदि हां, तो क्या ये सुझाव अन्य देशों में प्रचलित परिपाटी से मिलते जुलते हैं।

†**डा० केसकर** : ऐसे कोई सुझाव नहीं आये हैं। जहां तक अन्य देशों में प्रचलित परिपाटी का संबंध है, मैंने अपने वक्तव्य में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि ये परिपाटियां भिन्न भिन्न देशों की परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न हैं।

†**श्री कामत** : क्या कांग्रेस दल ने सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था; और यदि हां, तो कांग्रेस दल को इस सम्बन्ध में क्या सुविधायें प्रदान की गयी थीं ?

†**डा० केसकर** : कांग्रेस दल ने सरकारी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और उस के विचारों पर भी उतना ही ध्यान दिया गया था जितना कि अन्य दलों द्वारा इस विषय पर प्रगट किये गये विचारों पर।

†**श्री कामत** : अब जब कि निर्वाचन समाप्त हो चुके हैं तो क्या सरकार की नीति अथवा निर्णय यह है कि जब तक आगामी सामान्य निर्वाचन न आयें तब तक केवल निर्वाचन के ही सम्बन्ध में नहीं वरन् अन्य प्रयोजनों के लिये भी विभिन्न दलों को प्रसारण संबंधी सुविधायें प्रदान करने के प्रश्न पर पुनः विचार न किया जायें।

†**डा० केसकर** : लेखानुदान सम्बन्धी वाद-विवाद के उत्तर में मैं माननीय सदस्य को बता चुका हूं कि निर्वाचनों के दौरान में राजनीतिक दलों को –सीमित पैमाने पर–सुविधायें देना संभव है और यह तभी संभव होगा जब कि इस प्रश्न का कोई उचित हल निकाला जाये। यह संभव है कि हमें रचनात्मक और उचित हल बतायें जाये और मैं उन पर विचार करने के लिये तैयार हूं।

†**श्री कामत** : जैसा कि निर्वाचन आयोग एकाधिक बार कर चुका है, क्या सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का कोई सम्मेलन बुलाने वाली है।

†**डा० केसकर** : अभी तो नहीं।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : जिन दलों ने सरकारी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया क्या उन्हों ने इस के लिये कुछ कारण भी बताये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**डा० केसकर** : मैं ने बताया कि दलों ने अपने उत्तर में कोई कारण नहीं बताये हैं परन्तु ये कारण उन के संकल्पों में दिये गये हैं–जिन में से एक तो बहुत ही लम्बा है, पूरे पृष्ठ भर का है।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : मुख्य कारण क्या हैं ?

†**डा० केसकर** : कारण ये हैं : यह प्रस्ताव अनुचित है; यह प्रस्ताव अपमानजनक है; यह अपर्याप्त है; और इसी तरह की अनेक बातें हैं।

†**डा० रामा राव** : क्या यह सच नहीं है कि इस प्रस्ताव के अस्वीकार किये जाने का मुख्य कारण यह था कि कम्युनिस्ट पार्टी जैसे विरोधी दलों की, जिन को बहुत ज्यादा बदनाम किया गया है और जिन की नीतियों को बहुत गलत ढंग से पेश किया गया है, नीतियों को समझाने के लिये बहुत ही अपर्याप्त —केवल १० मिनट का— समय दिया गया था ?

†**डा० केसकर** : यह हो सकता है; परन्तु जो उत्तर मुझे मिले हैं उन में से कुछ में स्पष्ट रूप में कहा नहीं गया है। मैं ने जो वक्तव्य दिया था उसमें मैं ने स्पष्ट कर दिया था कि अन्य देशों में प्रचलित प्रथाओं के अनुसार दलों को केवल ३ मिनट का ही समय दिया जाता है।

शीरा

†***१००. श्री विश्वनाथ राय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसी देश से भारतीय शीरे की कोई मांग आई है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : जी हां। जिन देशों में हमारे शीरे का निर्यात किया जा रहा है उन में श्रीलंका, मलाया, सिंगापुर और सुदूर पूर्व के देश प्रमुख हैं।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या पूर्वी पाकिस्तान के, जहां इस का मुख्य बाजार है, शीरे के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री मनुभाई शाह**: हम निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य और सभा को ज्ञात है, उस देश के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने बहुत कठिन हैं।

†**श्री विश्वनाथ राय** : शराब उतारने की भट्टियों में इस की उपयोगिता के अतिरिक्त क्या सरकार विभिन्न तरीकों से भारतीय शीरे का उपयोग करने वाली है ?

†**श्री मनुभाई शाह**: इस का मुख्य उपयोग शराब उतारने वाली भट्टियों द्वारा किया जाता है। हम तमाखू सुखाने और ढलाई आदि जैसे विभिन्न छोटे मोटे कामों में भी इस का उपयोग करते हैं।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : कितने शीरे का निर्यात किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : १९५४ में २९७ टन; १९५५ में ४,४२५ टन और १९५६ में २७४ टन।

†**श्री विश्वनाथ राय**: क्या यह सच है कि भारतीय कारखानों में इस समय फालतू शीरा पड़ा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सच है कि इस देश में जितना शीरा तैयार होता है उस का पूरे का उपयोग नहीं किया जाता, परन्तु यह बहुत ज्यादा फालतू नहीं बचता।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : शीरे से पावर एल्कोहल बनाना बढ़ रहा है या घट रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री मनुभाई शाह** : बढ़ रहा है। १९५० में यह ११० लाख गैलन था; इस वर्ष, अर्थात् १९५६ में यह १७० लाख गैलन था, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस के ३६० लाख गैलन हो जाने की आशा है ।

दूसरा पोत-निर्माण यार्ड

†*१०१. **श्री मात्तन** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे पोत निर्माण यार्ड के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कहां स्थापित किया जायेगा और इस में काम कब से शुरू होगा; और

(ग) परामर्श दाता कौन हैं ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) दूसरे पोत-निर्माण यार्ड के निर्माण का निश्चय किया गया है और इस के सिलसिले में प्रारम्भिक कार्य आरम्भ हो गया है ।

(ख) और (ग). अभी परामर्शदाताओं का चुनाव नहीं किया गया है और इस कार्य के लिये चुने गये परामर्शदाताओं की सिफारिश प्राप्त होने के बाद ही इस के लिये स्थान चुना जायेगा ।

†**श्री मात्तन** : मुझे खुशी है कि विजगापट्टम में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है । हमारे देश का तट ३,५०० मील में फैला हुआ और अपने देश के आर्थिक विकास के लिये हमें अधिक पोतों की आवश्यकता है । मेरा ख्याल है कि हमारे देश का सुमुद्री बेड़ा बहुत बढ़ सकता है बशर्ते हम इन पोतों के लिये प्रविधिक कर्मचारियों का प्रबन्ध कर सकें । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रविधिक कर्मचारियों की कमी ही सब से बड़ी बाधा है, क्या मंत्री महोदय पोत निर्माण का प्रशिक्षण देने के लिये अधिक स्कूल खोलने की कृपा करेंगे, जैसा कि पश्चिमी जर्मनी में किया जा रहा है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : माननीय सदस्य के सुझाव पर उचित ध्यान दिया जायेगा ।

†**श्री वें० प० नायर** : मंत्री महोदय ने कहा है कि अभी तक स्थान के सम्बन्ध में निर्णय नहीं किया गया है । परन्तु क्या दूसरा शिपयार्ड अपने यहां रखने के कोचीन के दावे पर विचार किया जायेगा ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : सरकार जिन अन्य स्थानों के सम्बन्ध में विचार कर रही है, उन के साथ कोचीन के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा । इस समय कोचीन, करवार, भटकल, तूतीकोरिन, कांडला, ज्योंखाली, (हुगली), क्विलोन, बेपुर, उड़ीसा तट (परदीप) ये नौ स्थान सरकार के विचाराधीन हैं ।

†**श्री मात्तन** : क्या मंत्री महोदय मुझे यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि स्थान का चुनाव गुणावगुण के आधार पर किया जायेगा, दलगत अथवा राजनीतिक या राज्य-गत विचारों के आधार पर नहीं ?

†**श्री क० च० रेड्डी**: निर्णय वैज्ञानिक आधार पर किया जायेगा । साथ ही क्षेत्रीय बातों का भी ध्यान रखा जायेगा ।

†**श्री त०ब० विट्ठल राव**: जब भी ये परामर्शदाता नियुक्त किये जायेगें तब क्या इन से केवल इन्हीं नौ स्थानों पर जाने को कहा जायगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री क०च० रेड्डी** : यदि अन्य स्थानों का प्रस्ताव आये तो हम उन के सम्बन्ध में विचार करेंगे और परामर्शदाताओं को आवश्यक हिदायतें दे दी जायेंगी ।

†**डा० रामा राव** : प्रस्तावित नये शिपयार्ड में किन प्रणालियों का प्रयोग किया जायेगा—क्या घाटों[1] की संख्या पुराने ढंग के आधार पर होगी या नये तरीके अपनाये जायेंगे ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : ये प्राविधिक बातें हैं और मुझे आशा है कि इस संबंध में सहायता के लिये हम जो परामर्शदाता नियुक्त करेंगे वे हमें उचित परामर्श दे सकेंगे ।

†**श्री वें० प० नायर** : मंत्री महोदय ने कहा है कि स्थान का निश्चय करते समय विभिन्न बातों का ध्यान रखा जायेगा । क्या इन बातों में एक बात यह भी होगी कि वहां सस्ती लकड़ी मिल सकती है या नहीं ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : दूसरे शिपयार्ड के लिये लकड़ी का संभरण करने के प्रश्न पर हमने अभी विचार नहीं किया है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या पिछले तीस चालीस वर्षों से सरकार के पास इस आशय की पर्याप्त सामग्री नहीं है जिस के आधार पर यह कहा जा सके कि शिपयार्ड बनाने के उपयुक्त स्थान के रूप में भटकल और साथ ही करवार महत्वपूर्ण हैं ।

†**श्री क० च० रेड्डी** : हमारे पास बहुत जानकारी है । व्यक्तिगत रूप से मैं भी इस संबंध में काफी जानता हूं क्योंकि जब मैं मैसूर राज्य का मुख्य मंत्री था उस समय उस से मेरा काफी सम्बन्ध रहा ।

मजूरी बोर्ड

†***१०२. श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में कितने मजूरी-बोर्ड स्थापित किये जाने की आशा है;

(ख) ये किन उद्योगों के सम्बन्ध में होंगे, और

(ग) इन की उपपत्तियां भेजने के लिये क्या कोई अवधि निर्धारित कर दी गयी है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). रूई और वस्त्र उद्योग के लिये शीघ्र ही मजूरी बोर्ड की स्थापना की जायेगी ।

(ग) जी नहीं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या मजूरी बोर्ड की स्थापना होने पर किसी न्याय-शास्त्री को इस का सभापति बनाया जायेगा ?

†**श्री आबिद अली** : वह एक ऐसा स्वतन्त्र व्यक्ति होगा जिसे इस उद्योग के बारे में अनुभव प्राप्त हो ।

श्री त०ब० विट्ठल राव : सरकार किन और उद्योगों के बारे में मजूरी बोर्डों की स्थापना करने का विचार कर रही है ?

†**श्री आबिद अली** : अभी तक हम ने अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में निर्णय नहीं किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या खेतिहर मजदूरों के लिये भी मजूरी बोर्ड बनाने का विचार किया जा रहा है ?

†**श्री आबिद अली :** अभी नहीं ।

नेपा न्यूजप्रिंट (अखबारी कागज) फैक्टरी

†*१०३. **श्री वोडयार :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि हाल ही में स्वीडन के अखबारी कागज उत्पादकों का जो शिष्टमंडल नेपा न्यूजप्रिंट (अखबारी कागज) फैक्टरी देखने गया था, उस ने इस परियोजना की सफलता में सन्देह प्रकट किया है; और

(ख) क्या नेपा मिल्स में इस्तेमाल किये जाने वाले कच्चे माल की परीक्षा की गयी थी और उसे अपेक्षित स्तर का पाया गया था ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी हां, हालांकि यह शिष्ट मंडल वास्तव में कारखाने में गया नहीं था ।

(ख) जी हां, इस परियोजना को कार्यान्वित करने से पहले ही भारत और विदेशों में प्रयोगशालाओं और मशीनों द्वारा अग्रिम परीक्षणों से ही यह निश्चय कर लिया गया था कि कच्चे माल का सफलतापूर्वक उपयोग संभव है। पिछले २४ महीनों में कारखाने के कार्य से भी इस परियोजना की उपयोगिता और भी सिद्ध हो जाती है। इसलिये हमारे अपने अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिष्ट मंडल ने जो संदेह प्रगट किया है, तथ्यों द्वारा उन की पुष्टि नहीं होती ।

†**श्री वोडयार :** क्या फैक्टरी में उत्पादन आरम्भ हो गया है और यदि हां तो वार्षिक उत्पादन की मात्रा और फैक्टरी की कुल लागत कितनी है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जैसा कि सभा को विदित है, फैक्टरी ने पिछले १८ महीनों स उत्पादन आरम्भ कर दिया है और सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि गत महीने उसका उत्पादन ८० टन प्रतिदिन तक पहुंच गया था जबकि उसकी क्षमता १०० टन है । फैक्टरी में नियोजित कुल पूंजी ५ करोड़ रु० से ६ करोड़ रु० तक है ।

†**श्री वोडयार :** नेपा की अखबार के कागज की फैक्टरी ने भारत के विदेशी मुद्रा बचाने के उद्देश्य की कितनी सहायता की है और इस फैक्टरी में बने कागज के उपयोग से कुल कितनी रकम की बचत हुई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** पिछले वर्ष लगभग १०,५०० टन कागज उत्पन्न हुआ था जिससे लगभग ८० लाख रुपयों की विदेशी मुद्रा की बचत हुई ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** माननीय मंत्री ने उत्तर दिया कि स्वीडन के प्रतिनिधिमंडल ने फैक्टरी के यर्थाथ स्थान को नहीं देखा । तो फिर किस आधार पर उन्होंने यह राय जाहिर की कि यह परियोजना सफल नहीं होगी ।

†**श्री मनुभाई शाह :** यह कहना मेरे लिये कठिन है कि क्या स्थान न देख कर भी सम्पति व्यक्त की जा सकती है । किन्तु यह बात समझ में आ सकती है कि कागज बनाने के लिये काम में ली जाने वाली देवदार और स्प्रूस की लकड़ी के रूप में कच्चा पदार्थ नेपा में उपलब्ध नहीं थी और हमने

---

†मूल अंग्रेजी में ।

बांस और सलाय का नया प्रयोग किया है। अतः सम्भव है कि उन्होंने इन दो नई वस्तुओं के बारे में अपनी आशांका प्रकट की हो और इस प्रकार का विचार व्यक्त किया हो कि गूदा तथा अखबारी कागज के निर्माण में यह नई फैक्टरी सफल न हो।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** माननीय मंत्री ने कहा था कि फैक्टरी गत कुछ महीनों से चल रही है। क्या इस में उत्पादित कागज अन्य फैक्टरियों के समान ही है?

†**श्री मनुभाई शाह :** सभा को यह बात जान कर प्रसन्नता होगी कि इसका कागज आयात किये जाने वाले कागज से अच्छा है और कीमत भी उससे २५ रुपये प्रति टन कम है।

†**श्री जोकीम आल्वा :** क्या सरकार का यह विचार है कि स्वीडन के प्रतिनिधिमण्डल की सम्मति, जिन्होंने कभी फैक्टरी नहीं देखी, इसलिये पक्षपातपूर्ण है कि स्वीडन ही अखबार का कागज निर्यात करता है।

†**श्री मनुभाई शाह :** उनके उद्देश्य के बारे में शंका करने के लिये कोई कारण नहीं है। निसंस्देह ही स्वीडन का प्रतिनिधिमण्डल इस प्रश्न पर भली भांति विचार किये बिना अपनी सम्मति नहीं देता। कदाचित् समाचार पत्रों ने उनके कथन का सही वृतान्त नहीं छापा है। उन्होंने कहा होगा कि हम देवदार और स्प्रूस काम में नहीं ले रहे हैं और इनके स्थान पर बांस और सलाय का प्रयोग कर रहे हैं। सामान्यतया इस कार्य के लिये देवदार और स्प्रुस का ही उपयोग होता है।

†**श्री वोडयार :** क्या मलनाड का कच्चा पदार्थ इसमें प्रयुक्त किया जायेगा और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि यदि मलनाड में बांस और सलाय का उत्पादन हो तो हम अवश्य ही इस फैक्टरी में उनका प्रयोग करेंगे।

डाक द्वारा मनीआर्डर भेजना

†***१०४. श्री बर्मन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दोनों देशों के बीच डाक द्वारा मनीआर्डर भेजने की सुविधाएं प्रदान करने के लिए पाकिस्तान से हाल ही में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

†**संचार मंत्री (श्री राजबहादुर) :** जी हां।

†**श्री बर्मन :** क्या यह सच है कि भारतीय मुद्रा का पाकिस्तानी मुद्रा के साथ ४० प्रतिशत प्रीमियम पर विनिमय किया जाता है?

†**श्री राजबहादुर :** सुना तो मैंने भी है किन्तु यदि यह प्रश्न वित्त मंत्री को सम्बोधित किया जाये तो श्रेयस्कर होगा।

†**श्री बर्मन :** यदि यह सच है तो क्या पाकिस्तान से धन विनिमय करते समय इस तथ्य पर भी विचार किया जायेगा?

†**श्री राजबहादुर :** विनिमय की कठिनाइयों के कारण ही ये बातें अभी तक निलम्बित हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

अशोक होटल

†*१०५. **श्री कामत:** क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोक होटल घाटे में चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी वर्त्तमान स्थिति क्या है?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). ३० सितम्बर, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये इसके लेखे की परीक्षा के पश्चात् ही समवाय की लाभ और हानि मालूम होगी।

†**श्री कामत:** अशोक होटल में सरकार ने कितनी रकम विनियोजित की है और इसके आरम्भ होने के बाद प्रति मास औसत आय तथा व्यय अर्थवा प्रतिमास वास्तविक आय कितनी हुई है। है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** इन तीनों प्रश्नों में सांख्यकीय जानकारी मांगी गई है इसके लिये पृथक प्रश्न की पूर्व-सूचना दी जाये।

†**श्री कामत :** क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों में और विशेष रूप से यूनेस्को अधिवेशन समाप्त होने पर, कई दिनों और सप्ताह तक अशोक होटल में आधे दर्जन से अधिक यात्री नहीं थे जब कि उनके लिये नौकरों की संख्या एक सौ से भी अधिक है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** माननीय सदस्य ने अत्यन्त निराशाजनक चित्र प्रस्तुत किया है।

†**श्री कामत :** मंत्री का आशावादी दृष्टिकोण क्या है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं यर्थाथिवादी दृष्टिकोण में विश्वास करता हूं—आशा-निराशा में नहीं।

†**श्री कामत :** वह कैसा दृष्टिकोण है।

†**श्री वेलायुधन :** मैं प्रति माह चालू खर्च जानना चाहता हूं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह भी वही प्रश्न है केवल भाषा में अन्तर है। इसमें आंकड़े पूछे गये हैं। यदि किसी विशेष महीने में आंकड़े जानने के लिए पृथक प्रश्न की पूर्व-सूचना दी जाये तो मैं ये आंकड़े दे सकूंगा।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** चूंकि यह होटल सर्वथा सरकारी है और कुछ पिछले महीनों से चालू हुआ है, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार चालू खाते, खर्च और आमदनी आदि का हिसाब नहीं रखती है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** हम हिसाब रखते हैं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** तब फिर माननीय मंत्री यह किस लिये कहते हैं कि उन्हें आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे और उन्हें होटल के चालू खर्च तथा आय के बारे में जानकारी नहीं है?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह आवश्यक नहीं है कि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जिन आंकड़ों की जांच की जाती है वे सब मंत्री को याद हों। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि यदि पूर्व-सूचना दी गई तो सम्पूर्ण उपलब्ध जानकारी दे दी जायगी।

†**श्री कामत** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान दिल्ली के समाचार पत्रों में छपे उन समाचारों की ओर गया है जिनमें कहा गया है कि अशोक होटल अत्यंत मंहगा सौदा सिद्ध हो रहा है और सरकार इसे किसी गैर सरकारी व्यवसाय के सपुर्द करने पर विचार कर रही है?

† **सरदार स्वर्ण सिंह** : मैंने अनुकूल और प्रतिकूल दोनों टिप्पण देखे हैं। जब तक इनकी भलीभांति जांच न कर ली जाये मैं इन टिप्पणयों से प्रभावित होने के लिये प्रस्तुत नहीं हूं। मैं इन पर विचार कर रहा हूं और सभी आवश्यक कार्य किया जायेगा।

राजमाता कमलेन्दुमति शाह : क्या सरकार यह विचार कर रही है कि उसके जो मेहमान हैदराबाद हाउस में रहते हैं उनको रखने के लिये अशोक होटल को इस्तेमाल किया जाये?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं एक्सटर्नल एफेयर्स मिनिस्ट्री से दरियाफ़्त करूंगा कि आया कोई ऐसा प्रोपोजल उनके जेर गौर है।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : भवन तथा उपकरणों पर अभी तक कुल कितना खर्च हुआ है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं तत्काल नहीं बता सकता किन्तु मेरा विचार है कि यह लगभग दो करोड़ रुपये से अधिक है।

†**श्री च० द० पांडे** : एक प्रश्न और ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अधिक जानकारी के लिये माननीय सदस्य स्वयं जाकर अशोक होटल देख सकते हैं। यह विशाल भवन है।

उर्वरक फैक्टरी

†*१०६. **डा० रामा राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या आंध्र प्रदेश में उर्वरक फैक्टरी आरम्भ करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: देश में उर्वरक की बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कार्यक्रम में पहले से ही सम्मिलित फैक्ट्रियों के अतिरिक्त नई उर्वरक फैक्ट्रियों की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आंध्र तथा एक या दो अन्य उपयुक्त स्थानों में भी उर्वरक फैक्ट्री की स्थापना की मांग पर विचार किया जायेगा।

†**डा० रामा राव** : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि सारे देश में अमोनियम सलफेट की सबसे अधिक खपत आंध्र में होती है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : वृहत् मात्रा में उर्वरक की खपत वाले राज्यों में आंध्र भी एक है।

†**डा० रामा राव** : इस विषय पर निश्चित निर्णय की आशा कब की जा सकती है।

†**श्री क० च० रेड्डी** : यथासम्भव शीघ्र ही।

मूल अंग्रेजी में।

श्री बूवराघस्वामी : क्या किसी ऐसे स्थान के समीप उर्वरक फैक्ट्री स्थापित की जायेगी जहां कच्चे पदार्थ और विशेष रूप से जिप्सम उपलब्ध हो ? यदि हां, तो क्या मद्रास राज्य में पैराम्बूर में एक फैक्ट्री आरम्भ करने का विचार हैं जहां जिप्सम की बहुतायत है ।

†**श्री क० च० रेड्डी :** कदाचित् माननीय सदस्य को मालूम है कि मिश्रित निवेली लिग्नाइट परियोजना के एक अंग के रूप में उर्वरक फैक्ट्री स्थापित करने का निर्णय कर लिया गया है ।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** आंध्र में फैक्ट्री स्थापित करने के मार्ग में क्या बाधाएं हैं । यह राज्य बहुत समय से इसके लिये आन्दोलन कर रहा है और इसकी यहाँ बहुत अधिक आवश्यकता है ।

†**श्री क० च० रेड्डी :** मैं माननीय सदस्य का ध्यान उस प्रतिवेदन की ओर दिलाऊंगा जिसकी एक प्रति लोकसभा के पटल पर भी रख दी गई है । यह देश में उर्वरक की आवश्यकता से सम्बद्ध है । देश में उत्पादित किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के उर्वरक तथा जिन-जिन स्थानों में फैक्ट्रियां स्थापित की जा सकती हैं वे भी इसमें हैं । यह रिपोर्ट एक समिति द्वारा प्रस्तुत की गई थी और रिपोर्ट में एक सिफारिश उन स्थानों से सम्बन्ध रखती हैं जिन पर प्राथमिकता की दृष्टि से क्रमवार विचार किया जा सकता है । इसमें विभिन्न स्थानों को चार वर्गों में बाँटा गया है । दो स्थानों का पहले चुनाव कर लिया गया है तथा दो या तीन अन्य फैक्ट्रियों की स्थापना के लिये हम दो या तीन स्थान के चुनाव की संभावना पर विचार कर रहे हैं ।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** क्या यह सच नहीं है कि उक्त प्रतिवेदन में इस आशय का प्रबल मत व्यक्त किया गया है कि आंध्र में उर्वरक फैक्ट्री आवश्यक है । और बैजवाडा का उपयुक्त स्थान के रूप में चुनाव किया जा सकता है ?

†**श्री क० च० रेड्डी :** जी हाँ, श्रीमान् । आंध्र सरकार ने विचार व्यक्त किया है कि उर्वरक फैक्ट्री आंध्र में स्थापित की जाये । मैं मानता हूँ कि इस दावे में पर्याप्त औचित्य है किन्तु यह प्राथमिकता का प्रश्न है और हमें पूर्व सावधानी बरतनी पड़ेगी ।

डा० रामा राव : उक्त समिति की सिफारिशों के बावजूद बैजवाडा को इसलिये अवसर नहीं दिया गया कि रेलवे के कथनानुसार गत्यावरोध उत्पन्न हो जायेगा । अब चूंकि बैजवाडा और मद्रास के बीच रेलमार्ग दोहरा किया जा रहा है क्या इस स्थिति में बैजवाडा की संभावना बढ़ जाती हैं ?

†**श्री क० च० रेड्डी :** बैजवाड़ा की संभावना अन्य किस स्थान की तुलना में बढ़ जाती है ? प्रश्न पूरा नहीं हुआ ।

†**श्री राघवैया :** माननीय मंत्री ने कहा था कि बैजवाडा की संभावना बढ़ सकती है तो क्या द्वितीय योजना या तृतीय योजना में इसका अवसर आयेगा ?

†**श्री क० च० रेड्डी :** मैं प्रश्न का अर्थ नहीं समझा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह पूछते है कि क्या कम से कम तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसे सम्मिलित किया जायेगा ।

श्री क० च० रेड्डी : हमें इन मामलों में आशावादी होना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री म० रं० कृष्ण :** क्या भूतपूर्व हैदराबाद सरकार की रामागुण्डम में फैक्ट्री स्थापित करने की सिफारिश उक्त समिति द्वारा स्वीकृत कर ली गई है ?

†**श्री क० च० रेड्डी :** नहीं, जैसा मैंने पहले कहा था उन्होंने कई स्थानों की एक सूची दी थी; उसमें प्राथमिकता निर्धारित कर दी है ; हमें इन सब बातों पर ध्यान रखना है। जहां तक भूतपूर्व हैदराबाद राज्य का सम्बन्ध है--कोथा गुडियम और रामागुण्डम --इन दो स्थानों को इस सूची में आठवां और नवां स्थान मिला है ।

†**श्री राघवैया :** प्राथमिकता सूची में बैजवाड़ा की क्या स्थिति है ?

†**श्री क० च० रेड्डी :** माननीय सदस्य का ध्यान मैं उस टेक्नीकल समिति के प्रतिवेदन की ओर दिलाऊंगा जिसने इस प्रश्न पर विचार किया है। यह वृहद् प्रलेख है और सम्पूर्ण जानकारी इसमें उपलब्ध है ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** छोटा नागपुर में एक नवीन उर्वरक फैक्ट्री आरम्भ करने का विचार था। उस प्रस्ताव का क्या हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या छोटा नागपुर आंध्र में है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** क्या हैदराबाद आंध्र में है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** हैदराबाद आंध्र में है ।

†**श्री तिम्मय्या :** उर्वरक फैक्ट्री की स्थापना के लिये अन्य किन-किन स्थानों पर विचार किया जा रहा है तथा क्या मैसूर भी इसमें सम्मिलित है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने ऐसे ही एक प्रश्न की अस्वीकृति दे दी है ।

इन्डोनेशिया में भारतीय राजदूतावास की इमारत का लूटा जाना

*१०८. **श्री +†रघुनाथ सिंह :**
श्री झूलन सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ मार्च, १९५७ को जकार्ता में एक भीड़ ने उस इमारत को जिसमें भारतीय राजदूतावास के कर्मचारी रहते थे लूट लिया; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का पूरा ब्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) जी हां।

(ख) भारतीय राजदूतावास के कुछ कर्मचारी ८२, के बोन सिरीह, जकार्ता में रहते थे। किसी अन्य कार्य के लिये इन्डोनेशिया सरकार को इस मकान की आवश्यकता हुई और राजदूतावास के कर्मचारी इन्डोनेशिया की सरकार के शिष्टाचार विभाग[1] की ओर से अन्यत्र आवास प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी बीच १५ मार्च, १९५७ को लोगों की एक भीड़ ८२, के बोन सिरीह में घुस गई और उसने मकान की छत गिराना आरम्भ कर दिया तथा कर्मचारियों के कपड़े, रुपये आदि चुरा लिये और फर्नीचर नष्ट कर दिया। किसी को चोट नहीं आई। इन्डोनेशिया सरकार द्वारा राज-

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Protocol Department.

दूतावास के कर्मचारियों के लिये वैकल्पिक अस्थायी आवास की व्यवस्था कर दी गई है। इन्डोनेशिया सरकार के शिष्टाचार विभाग के प्रमुख ने इन्डोनेशिया स्थित हमारे राजदूत के समक्ष अतीव खेद प्रकट किया है और सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही का वचन दिया है।

. राष्ट्रपति सुकर्ण की ओर से भी दिल्ली में उनके राजदूत द्वारा प्रधानमंत्री को एक संदेश प्राप्त हुआ है जिसमें इस हमले की घटना पर गहरा खेद व्यक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया है कि अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है और इस घटना से भारत विरोधी सरीखी भावना का कोई सम्बन्ध नहीं है। इस घटना की पृष्ठभूमि में किसी भी प्रकार का राजनीतिक मंतव्य नहीं है।

†**श्री जोकीम आल्वा :** हमारी जनता की इच्छा के अनुरूप ही क्या हमारी सरकार की यह नीति नहीं है कि वर्तमान में जब संकटग्रस्त इण्डोनेशिया में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो हम अत्यधिक धैर्य एवं सहनशक्ति से काम लेते हैं।

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** यह स्पष्ट है।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** समाचार पत्रों में भी इस आकस्मिक दंगे के कारण नहीं बताये गये। क्या सरकार ने उस झगड़े के कारण मालूम करने का यत्न किया है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** हम अपने राजदूतावास से पूरी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं; यह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

†**श्री न० मा० लिंगम :** जिस देश को हम प्रायः मैत्रीपूर्ण समझते हैं वहां इस प्रकार की घटना का क्या कारण है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मैंने अपने उत्तर में कहा था कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मंतव्य नहीं है। प्रारम्भिक रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि विदेश विनिमय विभाग के एक आदेशयुक्त अधिकारी ने यह झगड़ा कराया था और जहां तक हमें ज्ञात है सरकार द्वारा उक्त अधिकारी गिरफ्तार कर लिया गया है।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** क्या इस घटना के पीछे किन्हीं विदेशी शक्तियों का हाथ है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मेरा ऐसा विचार नहीं है।

†**श्री गिडवानी :** क्या सरकार को यह जानकारी मिली है कि वहां रहने वाले भारतीयों को न सताया जाये और उनकी सम्पत्ति सुरक्षित रहे ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** जी नहीं। भारतीयों को तंग नहीं किया गया है। यह एक ही घटना थी।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी :** क्या इस प्रकार का हमला केवल भारतीय राजदूतावास भवन पर किया गया था या अन्य राजदूतावासों के भवन भी इसके शिकार बने थे ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** जी नहीं; श्रीमान्। यह इस प्रकार का अकेला ही मामला है।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी :** केवल भारतीय राजदूतावास के भवन की ही इस प्रकार के कार्य का इंगित क्यों बनाया गया ?

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** यदि दंगाइयों से यह पूछा जाये तो श्रेयस्कर होगा। मैं इसका कारण नहीं जानता हूं।

†**श्री वेलायुधन :** माननीय उपमंत्री ने कहा कि विदेश कार्यालय का एक क्रुद्ध अधिकारी उस झगड़े में संग्रस्त था। अधिकारी द्वारा ऐसा कार्य करने को, और वह भी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध वाले देश के विरुद्ध, कारण क्या था ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मैंने विदेश विनिमय विभाग कहा था, विदेश विभाग नहीं। उन्होंने यह मकान खरीद लिया था और इसे खाली करा कर कब्जा करने के लिये वे अत्यन्त अधीर थे।

पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थी

†*१०९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को संख्या १९५७ में बढ़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है, और

(ग) १९५७ में अब तक पूर्वी पाकिस्तान से कुल कितने शरणार्थी आये हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा):** (क) नहीं; श्रीमान।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जनवरी और फरवरी, १९५७ में ३७६४ प्रव्रजक भारत आये। फरवरी में जो प्रव्रजक आसाम आये वे इसमें सम्मिलित नहीं हैं। उनके बारे में अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** माननीय मंत्री ने कहा कि शरणार्थी भारी संख्या में भारत नहीं आ रहे हैं। क्या पूर्वी पाकिस्तान में हालत सुधर गई है?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मैं समझता हूँ कि खाद्य स्थिति में सुधार हुआ है। सम्भव है शासन में तीन हिन्दू मन्त्री होने के कारण अल्पसंख्यक समुदाय में कुछ विश्वास पैदा हो गया हो।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या यह सच है कि कई हिन्दू और मुसलमान व्यक्ति प्रव्रजन पत्र लिये बिना पूर्वी पाकिस्तान से आसाम चले जाते हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** कई बार लोग प्रव्रजन-पत्र आदि के बिना हमारे क्षेत्र में आ जाते हैं, परन्तु जहां कहीं सम्भव होता है उन्हें पकड़ लिया जाता है।

†**श्री बूवराघस्वामी :** क्या शरणार्थियों को पूर्वी पाकिस्तान से भारत आने से बिल्कुल मना नहीं किया जा सकता; यदि नहीं, तो उन्हें भारत आने से बिल्कुल रोकने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** प्रव्रजन-पत्र देना बन्द करके यह सरलता से किया जा सकता है। यदि आप प्रव्रजन-पत्र न दें तो वे नहीं आयेंगे परन्तु मानवीय दृष्टि से ऐसा करना पड़ता है और इस बारे में नेहरू-लियाकत समझौता भी हो चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री बूवराघस्वामी:** मानवीय दृष्टि से आप कब तक शरणार्थियों को पूर्वी पाकिस्तान से भारत आने की अनुमति देते रहेंगे ? क्या इसके लिये कोई समय सीमित किया गया है जब तक कि आप उन्हें अनुमति देंगे अथवा आप अनिश्चित काल तक अनुमति देते रहगे ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** जब तक कि उनके विरुद्ध कोई विशेष बात न हो एक देश के लोगों को दूसरे देश में आने की अनुमति सदा ही दी जाती है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या यह सम्भव है कि प्रत्येक वर्ष भारत आने वाले शरणार्थियों का कुछ अभ्यंश निश्चित कर दिया जाये ताकि हम उनके पुनर्वास की योजना बना सकें ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा:** हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि पूर्वी बंगाल की हालत में कुछ सुधार जाये जिससे शरणार्थियों को भारत आने की आवश्यकता ही न रहे ।

कर्मचारियों को प्रबन्ध में सम्मिलित करना

\+

†*११० { **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री कामत :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या उस शिष्टमंडल ने, जो श्री विष्णु सहाय के नेतृत्व में विदेशों में प्रबन्ध में श्रमिकों को सम्मिलित करने की समस्या का अध्ययन करने के लिये गया था, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभापटल पर रखी जायेगी;

(ग) क्या सरकार ने उसका परीक्षण किया है; और

(घ) उसमें की गई सिफारिशों पर कार्यवाही कब आरम्भ की जायेगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) अध्ययन दल के प्रारूप प्रतिवेदन पर दल के सदस्य विचार कर रहे हैं । आशा है कि यह सरकार को शीघ्र ही भेज दी जायेगी ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). प्रतिवेदन पर एक प्रतिनिधि सम्मेलन विचार करेगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या "एक प्रतिनिधि सम्मेलन" से भारतीय श्रम सम्मेलन अभिप्रेत है या कि केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठनों के प्रतिनिधियों का कोई विशेष सम्मेलन बुलाया जायेगा ?

†**श्री आबिद अली :** पहले इसे भारतीय श्रम सम्मेलन के समक्ष रखा जायेगा और यदि आवश्यक समझा गया तो एक विशेष सम्मेलन बुलाया जायेगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या प्रबन्ध में श्रमिकों का सहयोग निदेशक बोर्ड के स्तर पर किया जायेगा या कि संयुक्त परिषद में जो कि द्वितीय योजना में अवक्षित है ?

†**श्री आबिद अली :** इस व्योरे पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री कामत :** क्या माननीय मंत्री—मेरा अभिप्राय वरिष्ट मंत्री से है, जो अपने सेवा काल में इस सिद्धान्त का बड़े जोरदार शब्दों में समर्थन करते रहे हैं और मुझे विश्वास है कि बाद में भी

---

†मूल अंग्रेजी में ।

करते रहेंगे—अपने इस उच्च पद को छोड़ने से पूर्व प्रबन्ध में श्रमिकों को सम्मिलित करने के बारे में कोई दृढ़ सिफारिश करना चाहते हैं ?

†**श्रम मंत्री (श्री खडूंभाई दलाई)**: जो समिति विदेशों में गई है वह अपना प्रतिवेदन देगी और उस प्रतिवेदन पर सरकार निर्णय करेगी ।

रबड़ का उत्पादन

†*१११. **श्री मात्तन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बागान जांच आयोग[1] ने २४,००० टन वर्तमान वार्षिक उत्पादन के अतिरिक्त १९६५ तक प्राकृतिक रबड़ का २०,००० टन उत्पादन बढ़ाने का जो प्रस्ताव रखा है उस पर सरकार ने क्या आदेश दिये हैं और वह क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ख) आगामी १० वर्ष में विस्तार और प्रगति की गति बढ़ाने के लिये रबड़ बोर्ड ने क्या सिफारिशें की हैं;

(ग) क्या बागान जांच आयोग और रबड़ बोर्ड की सिफारिशों में कोई परस्पर विरोध है; यदि हां, तो सरकार के अन्तिम आदेश क्या हैं;

(घ) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में नये रबड़ बागान को वित्तीय सहायता अथवा ऋण देने की कोई योजना है; और यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है; और

(ङ) क्या कोई ऋण अथवा वित्तीय सहायता दी जा चुकी है ; और यदि हां, तो कितनी और कितने व्यक्तियों को ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) बागान जांच आयोग के रबड़ उद्योग सम्बन्धी प्रतिवेदन पर सरकार विचार कर रही है ।

(ख) रबड़ बोर्ड ने सिफारिश की थी कि १० वर्ष के समय में एक लाख एकड़ क्षेत्र में रबड़ की काश्त बढ़ाई जाये और नई काश्त आरम्भ करने वालों को ७५० रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ऋण दिया जाये जो कि सातवें वर्ष के पश्चात १५ बराबर अर्द्ध-वार्षिक किश्तों में वापस लिया जाये ।

(ग) वस्तुतः वे परस्पर विरोधी नहीं हैं ।

एक लाख एकड़ भूमि में १० वर्ष में काश्त का विस्तार करने की बजाय बागान जांच आयोग ने सुझाव दिया है कि ५ वर्ष के समय में ५०,००० एकड़ भूमि में काश्त बढ़ाने का कार्य आरम्भ कर दिया जाये और सहकारी वित्त व्यवस्था की प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाये । सरकार इस सुझाव का रबड़ बोर्ड से परामर्श करके परीक्षण कर रही है ।

(घ) इस बारे में कई सुझावों पर विचार किया जा रहा है ।

(ङ) नही श्रीमान् ।

†**श्री मात्तन** : यह सुझाव कुछ समय से रबड़ बोर्ड के सामने है । इस बात को देखते हुए कि भारत में रबड़ के उत्पादन का विकास करने की आवश्यकता बहुत अधिक है क्योंकि हम इसका आयात कर रहे हैं ; क्या मैं जान सकता हूँ कि अन्तिम आदेश जारी करने में क्या विलम्ब है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

1. Plantation Enquiry Commission.

†**श्री मनुभाई शाह** : वास्तव में विलम्ब कोई नहीं है। रबड़ बोर्ड का नवीनतम प्रतिवेदन हाल ही में प्राप्त हुआ है और हमने १९५७-५८ और आगे के लिये इस प्रयोजन के लिये २ करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी है।

†**श्री मात्तन** : अन्तिम आदेश जारी किये जाने की कब तक आशा की जा सकती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मेरे ख्याल से यह शीघ्र ही हो जायेगा।

†**श्री अ० म० थामस** : द्वितीय योजना में बागान उद्योग के लिये निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। सरकार इस उद्योग के लिये कब तक लक्ष्य निर्धारित कर सकेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह**: जहां तक रबड़ का सम्बन्ध है, कुछ हद तक लक्ष्य निर्धारित किये जा चुके हैं, हमने १९६० तक २९,१०० टन प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

†**श्री न० मा० लिंगम** : क्या सरकार के कृत्रिम रबड़ का उत्पादन करने के सुझाव का रबड़ की काश्त बढ़ाने की योजना पर कोई प्रभाव पड़ेगा, यदि हां, तो किस हद तक ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं सभा में कई बार बता चुका हूँ कि कृत्रिम रबड़ और प्राकृतिक रबड़ का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं प्राकृतिक रबड़ पैदा करने में बहुत समय लगता है और उसके लिये एक विशेष प्रकार की भूमि की आवश्यकता होती है। १९६५ तक देश को प्राकृतिक रबड़ और कृत्रिम रबड़ की कुल आवश्यकता लगभग ५५,००० टन हो जायेगी। प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन ३५,००० टन से अधिक न होगा, अतः २०,००० टन की कमी कृत्रिम रबड़ से पूरी करनी पड़ेगी। इसीलिये सरकार कृत्रिम रबड़ के उत्पादन के सुझाव पर विचार कर रही है।

†**श्री मात्तन** : कुछ मास पूर्व मुझे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से पता चला कि सरकार द्वारा एक समवाय चलाने के सुझाव को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है जिसके ५१ प्रतिशत अंश सरकार के होंगे और जो २०,००० एकड़ भूमि में रबड़ के बागान लगायेगा। मैंने सुना कि इसे अन्तिम रूप दे दिया गया है। क्या यह आरम्भ कर दिया गया है अथवा इसे आरम्भ करने के लिये केरल सरकार से कहा गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है और केरल सरकार ने ऐसा एक निगम आरम्भ करने के बारे में हमें सम्मति दे दी है।

जबलपुर प्रशिक्षण केन्द्र में एक पदाधिकारी द्वारा आत्म हत्या

†*११२. **श्री कामत** : क्या **संचार** मंत्री जबलपुर प्रशिक्षण केन्द्र में एक पदाधिकारी द्वारा की गयी आत्महत्या के बारे में १२ दिसम्बर, १९५६ को पूछे गये अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले की जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**संचार मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) स्वर्गीय श्री मातादे ने जो मुख्य आरोप लगाये कि प्रशिक्षण केन्द्र का डिवीज़नल इंजीनियर टेलीग्राफ्स उसे तंग करता है इसकी पुष्टि के लिये कोई साक्ष्य नहीं मिला है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री कामत** : यह जांच किसने की थी और क्या उन सब व्यक्तियों को, जिनके नाम आत्महत्या करने वाले पदाधिकारी ने अपने अन्तिम वक्तव्य में बताये थे, जांच करने वाले पदाधिकारी के समक्ष साक्ष्य देने के लिये बुलाया गया था ?

†**श्री राजबहादुर** : पोस्ट मास्टर जनरल, नागपुर, ने स्वतन्त्र रूप से जांच की क्योंकि एडीश्नल चीफ इंजीनियर, टेलीग्राफ्स, का क्षेत्राधिकार उसके क्षेत्राधिकार के अधीन है । उन्होंने सभी ऐसे साक्ष्य लिये जो प्राप्त किये जा सकते थे ।

†**श्री कामत** : क्या माननीय मंत्री जांच के प्रतिवेदन अथवा उसके सारांश की एक प्रति सभा-पटल पर रख सकते हैं ?

†**श्री राजबहादुर** : मुझे कोई आपत्ति नहीं है मैं प्रतिवेदन का संक्षिप्त सारांश सभा-पटल पर रख दूंगा ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या जांच पदाधिकारी ने उन दो पत्रों के बारे में विचार किया है जो आत्म हत्या करने वाले पदाधिकारी ने—एक अपनी पत्नी और दूसरा अपने उच्च पदाधिकारी को—आत्म हत्या करने से पूर्व लिखे थे ?

†**श्री राजबहादुर** : जांच पदाधिकारी ने इन पत्रों पर विचार किया था । तंग करने के आरोप के बारे में मुझे यह कहना है कि साधारणत: यह आशा की जाती है कि यदि डिवीज़नल इंजीनियर, जो उस से ऊंचा अधिकारी था, उसे तंग करता था तो उसे यह बात बड़े अधिकारी अर्थात एडीश्नल चीफ इंजीनियर अथवा चीफ इंजीनियर के ध्यान में लानी चाहिये थी । उस अभागे पदाधिकारी, जिसने आत्म हत्या की, ने कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं की । तंग करने के आरोप की भी पुष्टि नहीं हुई है ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : प्रतिवेदन की उपपत्तियों को छोड़िये ; वैसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उन पदाधिकारियों को, जिनके नाम निर्दिष्ट पत्रों में उल्लिखित हैं, कोई चेतावनी देने के लिये कार्यवाही की है कि वे अपना बर्ताव सुधारें ?

†**श्री राजबहादुर** : वस्तुत: स्वयं जांच से पता चलता है कि मतभेद केवल वायरलेस पर्यवेक्षकों में काम की बांट और पदाधिकारियों में से एक को दूसरे भवन में भेजने के बारे में था । इन दो बातों पर मतभेद था परन्तु इन्हें किसी प्रकार तंग करना नहीं कहा जा सकता ।

†**श्री कामत**: क्या जांच में इस बात का पता लगाया गया था कि आत्म हत्या करने वाले पदाधिकारी ने अपने उच्च पदाधिकारी के द्वारा, यहां के प्राधिकारियों को अभ्यावेदन भेजे थे परन्तु उसके उच्च पदाधिकारी ने उन्हें दबा लिया और उन्हें उच्च प्राधिकारियों के पास नहीं भेजा ?

†**श्री राजबहादुर** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि उच्च अधिकारियों के पास कोई अभ्यावेदन अथवा शिकायत नहीं की गई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

आणविक रिएक्टर

†*११४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय आणविक रिएक्टर में नामिकीय भौतिकी के कौन कौन से प्रयोग किये गये ; और

(ख) क्या अणुशक्ति संस्थापन अन्य देशों के वैज्ञानिकों की सहायता से एक रिएक्टर स्कूल खोलने की योजना बना रहा है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २४**] ।

(ख) एक रिएक्टर स्कूल खोलने का विचार है परन्तु इसके लिये विदेशी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : कितने प्रयोग सफल रहे ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : इस संयन्त्र में किये गये प्रयोगों की संख्या मैं ने सूची में बताई है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इस समय कितने संयन्त्र चल रहे हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : इस समय यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

†**श्री च० रा० नरसिंहन** : क्या इस रिएक्टर में 'आइसोटोप्स' का उत्पादन होता है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

†**श्री न० मा० लिंगम** : आणविक शक्ति संयन्त्र की स्थापना के बारे में कितनी प्रगति हुई है और क्या सरकार के पास कोई निश्चित योजना है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय

†*११५. **श्री कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पुर्तगाल द्वारा भारत के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, हेग में दायर किये गये मामले की कार्यवाहियों में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, हेग से एक सूचना (नोटिस) मिला है जिसमें सूचित किया गया है कि पुर्तगाली सरकार ने दादरा तथा नगर हवेली को जाने के लिये भारतीय क्षेत्र में से मार्ग प्राप्त करने के कुछ अधिकारों के सम्बन्ध में भारत के विरुद्ध मामला दायर किया है । भारत सरकार ने इस मामले में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा पुर्तगाली सरकार द्वारा अभ्यर्थित अधिकार का प्रतिवाद करने का निर्णय किया है । इस सम्बन्ध में अभी तक निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई हैं :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद ३१ के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत ने २२ अक्तूबर, १९५६ को न्यायालय के रजिस्ट्रार को सूचित कर दिया है कि वह एक तदर्थ

---

†मूल अंग्रेजी में ।

न्यायाधीश चुनने के अधिकार का प्रयोग करना चाहता है, और इस उद्देश्य के लिये भारत ने बम्बई के मुख्य न्यायाधिपति श्री एम० सी० छागला को नाम निर्देशित किया है ।

(ख) हेग ने पहले जो वास्तव में १५ दिसम्बर, १९५६ की तिथि निश्चित की थी जब कि हमें अपना प्रति-अभ्यावेदन अथवा प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत करनी थी । इस मामले पर विचार करने के व्यापक क्षेत्र और निश्चित समय के भीतर अपने उत्तर को तैयार करने की असंभावना को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने अवधि को बढ़ा देने के लिये निवेदन किया । अब न्यायालय ने प्रारम्भिक आपत्ति भेजने के लिये अवधि २५ अप्रैल, १९५७ तक बढ़ा दी है ।

†**श्री कामत** : भारत की प्रारम्भिक आपत्ति के भाग अथवा मुख्य भाग के रूप में क्या भारत सरकार हेग के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा इस पुर्तगाली शिकायत पर विचार करने के क्षेत्राधिकार को चुनौती देने का विचार रखती है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : हम न्यायालय द्वारा इस शिकायत पर विचार करने के क्षेत्राधिकार का प्रतिवाद करने का विचार रखते हैं ।

†**श्री कामत** : क्या न्यायालय ने अन्तरिम रूप से कोई रोक-आदेश अथवा आज्ञप्ति जारी की है जिस के द्वारा दादरा तथा नगर हवेली को भारत संघ से मिला लेने के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही करने के बारे में भारत पर रोक लगा दी है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : न्यायालय ने अभी मामले पर विचार प्रारम्भ ही नहीं किया है ।

†**श्री कामत** : यदि न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश नहीं जारी किया है, जैसा कि मंत्री जी ने कल कहा था, तो फिर दादरा तथा नगर हवेली को भारत संघ में मिलाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने के कार्य में क्या बाधा है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका कि अनुपूरक प्रश्न के रूप में उत्तर दिया जा सके ।

†**श्री कामत** : इस सम्पूर्ण कथा की पृष्ठभूमि तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार हेग न्यायालय में प्रस्तुत इस मामले के लिये किसी गोआ निवासी वकील को अथवा कम से कम किसी कनिष्ट सलाहकार को नियुक्त करने का विचार रखती है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : इस सम्बन्ध में हमारे वैधानिक विशषज्ञों के दल के नेता भारत के महान्यायवादी ही है और जहां तक मुझे स्मरण है सर हेनरी सोस्काईसे तथा प्रोफेसर गुर्गन्हाइम और हमारे कनिष्ट पदाधिकारी भी उनके साथ हैं ।

†**श्री कामत** : क्या वे गोआ निवासी हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यह एक विधि सम्बन्धी प्रश्न है । इसमें गोआ से किसी व्यक्ति को लाने का प्रश्न ही नहीं है ।

†**श्री कामत** : उस दल में कौन कौन से व्यक्ति होंगे ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : दल का नेतृत्व हमारे महान्यायवादी करेंगे और उस दल में प्रसिद्ध ब्रिटिश कौंसल सर हेनरी सोस्काईसे और प्रो० गुर्गन्हाइम भी होंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या सरकार के ध्यान में कोई ऐसा अवसर आया है जब कि बम्बई सरकार ने किसी पुर्तगाली सिपाही अथवा सिपाहियों को बम्बई के मार्ग से गोआ जान से साफ रोक दिया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न कैसे उत्पन्न हो गया ?

†**श्री जोकीम आल्वा** : यही तो हमारा तर्क है। हमने किसी भी यात्री को अनुमति नहीं दी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मामला अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में पड़ा हुआ है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गन्दी बस्तियां साफ करना

†***१०७. डा० सत्यवादी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में गन्दी बस्तियों की सफ़ाई की योजना के अधीन प्रत्येक राज्य के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ;

(ख) क्या पंजाब राज्य द्वारा इस प्रकार की कोई योजना भेजी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : राज्यों को १९५६–५७ में गन्दी बस्तियों की सफ़ाई के लिये औपचारिक रूप से कोई राशि आवंटित नहीं की गई थी तीन चार राज्यों से विस्तृत योजनायें प्राप्त हुई हैं, जिन में से एक के अतिरिक्त कृषी योजनाओं के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकारों से विचार विमर्श किया जा रहा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गोआ द्वारा आकाश सीमा का अतिक्रमण

†***११०-क. श्री वोडयार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ की पुर्तगाली सरकार ने भारत की सम्मति के बिना ही, भारत की आकाश सीमा का उपयोग करने की धमकी दी है; और

(ख) क्या सरकार ने इस अतिक्रमण की रोक थाम करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

अम्बर चरखा प्रशिक्षण केन्द्र

†*११३. **डा० सत्यवादी :** क्या **उत्पादन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी वित्तीय वर्ष में पंजाब राज्य में कितने और कहां कहां पर अम्बर चरखा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की प्रस्थापना है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** आगामी वित्तीय वर्ष में पंजाब राज्य के लिये प्रस्थापित अम्बर चरखा केन्द्रों की संख्या तथा स्थापना स्थानों के सम्बन्ध में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

†४७. **चौ० रघुबीर सिंह :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में द्वितीय श्रेणी के सहायक इंजीनियरों की कितनी संख्या है ;

(ख) इनमें से कितने सहायक इंजीनियर स्थायी हैं;

(ग) सहायक इंजीनियरों के कितने स्थानों को स्थायी रूप से नहीं भरा गया है और किस तिथि से नहीं भरा गया है;

(घ) इन स्थानों को स्थायी रूप से न भरने के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कुल ५३५ सहायक इंजीनियर हैं ।

(ख) १०८ सहायक इंजीनियर अपने स्थानों पर स्थायी रूप से हैं ।

(ग) २–११–१९५४ और ८–११–१९५५ के बीच उत्पन्न होने वाले ७५ स्थान ।

(घ) वे खाली स्थान, भरती के नियमों के अधीन सीधी भरती तथा विभागीय अभ्यर्थियों के लिये निर्धारित कोटे के अनुसार भरे जाते हैं । कोटा पद्धति लागू होने से पूर्व जो २६ स्थान उत्पन्न हुए थे, उन्हें स्थायी बनाने के प्रश्न पर सरकार संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के अनुसार विचार कर रही है । शेष स्थान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परिक्षाओं के द्वारा सीधे ही भरे जायेंगे । सभी ७५ स्थानों के सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय हो जान की आशा है ।

"उदय" का पंजीयन

†४८. **श्री कामत :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २८ दिसम्बर, १९५६ को "उदय" द्वारा पोस्ट मास्टर जनरल, केन्द्रीय सर्कल, नागपुर को एक आवेदन-पत्र भेजा गया था जिसमें यह निवेदन किया गया था कि उसे एक साप्ताहिक पत्र के रूप में पंजीबद्ध किया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**संचार मंत्री (श्री राजबहादुर) :** (क) पोस्ट मास्टर, नागपुर को दिनांक २८ दिसम्बर, १९५६ का कोई आवेदन-पत्र तो प्राप्त नहीं हुआ, परन्तु २४–१–५७ तथा १–२–५७ को इसके अनुस्मारक[1] प्राप्त हुए ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Reminders.

(ख) पंजीयन के लिये मूल आवेदन-पत्र के अभाव में यही समझा गया कि ये अनुस्मारक अमरावती से प्रकाशित होने वाले उसी नाम के एक पत्र के पुर्ननवीकरण के लिये है, और इसलिये उसका उत्तर दे दिया गया जिसमें यह कहा गया कि आवश्यक मंजूरी दे दी गई है। पोस्ट मास्टर, नागपुर को ७ फरवरी को ही, जब कि सम्पादक ने टेलीफोन पर शिकायत की, यह पता लगा कि वे अनुस्मारक नये पंजीयन के लिये भेजे गये आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में थे। पोस्ट मास्टर जनरल ने सम्पादक को सूचित कर दिया है कि इस प्रकार का कोई भी आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिये वह एक नया आवेदन-पत्र भेजे। तदुपरान्त पोस्ट मास्टर जनरल, केन्द्रीय सर्किल, को उस सम्पादक से दिनांक ९-२-५७ का एक पत्र प्राप्त हुआ परन्तु उसके साथ न तो निर्धारित फार्म पर कोई आवेदन-पत्र था और न ही वे आवश्यक कागजात थे जिन्हें भेजने के लिये सम्पादक से कहा गया था।

संयुक्त राष्ट्र आपात सेना

†४९. **श्री कामत : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिस्र में संयुक्त राष्ट्र आपात सेना का भारतीय यूनिट इस समय कहां है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र आपात सेना[1] पर आने वाले खर्च को कैसे और किसके द्वारा वहन किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार का निर्णय किस आधार पर किया गया है और उसका ब्योरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) संयुक्त राष्ट्र संघ आपात सेना की भारतीय टुकड़ी गाज़ा में है और वह युद्ध विराम लाइन पर तैनात की जायगी।

(ख) और (ग). संयुक्त राष्ट्र आपात सेना पर व्यय—ऐसे व्यय के अलावा जो सेना भेजने वाले राष्ट्र वेतन, उपकरण, सामग्री और सेवाओं पर खुद करेंगे—सदस्य राज्यों द्वारा १०० लाख डालर की सीमा तक उस अनुपात में वहन किया जायगा जिसमें कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ के १९५७ के वार्षिक व्यय में अंशदान करेंगे। १०० लाख डालर के अतिरिक्त ६५ लाख डालर की एक और राशि स्वेच्छा से दिये गये अंशदानों द्वारा पूरी की जायगी।

एन्टार्कटिका

†५०. **श्री कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अथवा साधारण सभा के आगामी सत्र की कार्यावलि में एन्टार्कटिका के विषय को सम्मिलित करने के लिये कहा है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). जी, नहीं।

हंगरी तथा मिस्र को सहायता

†५१. **श्री कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा हंगरी तथा मिस्र को आज तक क्रमशः किस प्रकार की और कितनी सहायता दी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1]United Nations Emergency Force.

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : एक विवरण लोक सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २५**]

नाभिकीय परीक्षणों पर प्रतिबन्ध

†५२. **श्री कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा नाभिकीय तथा ताप-नाभिकीय परीक्षण विस्फोटों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये तथा सामान्य निःशस्त्रीकरण के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसके बाहर क्या क्या प्रयत्न किये गये हैं और किये जा रहे हैं ; और

(ख) उन दोनों के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) भारत सरकार १९५४ से सभी उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में नाभिकीय परीक्षण विस्फोटों को एक दम बंद कर देने के लिये तथा पारस्परिक विश्वास के एक ऐसे आवश्यक वातावरण को उत्पन्न करने के लिये प्रयत्नशील रही है जिससे निःशस्त्रीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिल सके । श्री वी० के० कृष्ण मेनन ने नि-शस्त्रीकरण आयोग के अन्तिम सत्र में, जो कि जुलाई, १९५६ में हुआ था, निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में सामान्य रूप से और नाभिकीय परीक्षणों के बन्द करने के बारे में विशिष्ट रूप से भारतीय सुझाव प्रस्तुत किये थे ।

(ख) साधारण सभा ने १४-२-५७ को सर्व सम्मति से एक संकल्प पारित किया था, जिसमें निशस्त्रीकरण आयोग से यह प्रार्थना की गई थी कि वह अपनी उपसमिति की बैठक शीघ्र ही बुलाये । इस ने यह भी सिफारिश की कि ये दोनों निकाय उन सभी विभिन्न सुझावों पर (जिनमें भारतीय सुझाव भी सम्मिलित हैं) जो कि पिछले ढाई वर्षों में प्रस्तुत किये गये हैं, विचार करें । निःशस्त्रीकरण उप समिति ने अपनी बैठक १८ मार्च, १९५७ से प्रारम्भ कर दी है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७३ के उत्तर में शुद्धि

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं दिनांक २२-५-५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२७३ के उत्तर में शुद्धि करने वाले विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ ।

विवरण

दिनांक २२-५-५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२७३ के उत्तर में केन्द्रीय सरकार द्वारा मैसूर राज्य में कार्यालयों तथा रिहायशी मकानों को किराये पर लेने पर किये गये खर्च के सम्बन्ध में कुछ जानकारी दी गयी थी । आंकड़े संकलित करते समय यह मान लिया गया था कि इस प्रकार के स्थानों को किराये पर लेने का प्रबन्ध सभी मंत्रालय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा ही करते हैं । अब अन्य मंत्रालयों द्वारा २२-५-५६ के बाद भेजी गई जानकारी से, जो उन्होंने २२-५-५६ से पहले की गई पूछताछ के उत्तर में भेजी, यह पता चला है कि उन मंत्रालयों द्वारा इस सम्बन्ध में सीधा भी पर्याप्त खर्च किया गया है । अतः मैसूर राज्य में इमारतें किराये पर लेने पर केन्द्रीय सरकार के लेखे में किये गये खर्च के सम्बन्ध में जो जानकारी दी गई थी, उसमें निम्नलिखित संशोधन कर लिया जाये :—

निवास-स्थान	३,७१,३७५-८- रुपये
कार्यालय-स्थान	२,६३,०९८-५- रुपये

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, २७ मार्च, १९५७]

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . १२७—४७

तारांकित

प्रश्न संख्या **विषय**

९८ अलूमिनियम का कारखाना . . १२७–२८

९८-क राजनीतिक दलों को प्रसारण की सुविधायें . . . १२८—३०

१०० शीरा १३०–३१

१०१ दूसरा पोत निर्माण यार्ड १३१–३२

१०२ मजूरी बोर्ड १३२–३३

१०३ नेपा न्यूज़प्रिंट (अखबारी कागज) फैक्टरी १३३–३४

१०४ डाक द्वारा मनीआर्डर भेजना . १३४

१०५ अशोक होटल . . . . . १३५—३६

१०६ उर्वरक फैक्टरी . . . . . १३६—३८

१०८ इन्डोनेशिया में भारतीय राजदूतावास की इमारत का लूटा जाना . १३८—४०

१०९ पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थी . . . १४०–४१

११० कर्मचारियों को प्रबन्ध में सम्मिलित करना . . १४१–४२

१११ रबड़ का उत्पादन १४२–४३

११२ जबलपुर प्रशिक्षण केन्द्र में एक पदाधिकारी द्वारा आत्म हत्या . . १४३–४४

११४ आणविक रिएक्टर १४५

११५ अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय . . . . . १४५—४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर १४७—५०

तारांकित

प्रश्न संख्या

१०७ गन्दी बस्तियां साफ करना . . . १४७

११०-क गोआ द्वारा आकाश सीमा का अतिक्रमण . . . १४७

११३ अम्बर चरखा प्रशिक्षण केन्द्र १४८

अतारांकित

प्रश्न संख्या

४७ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग . . १४८

४८ "उदय" का पंजीयन . . १४८–४९

४९ संयुक्त राष्ट्र आपात सेना . . १४९

५० एन्टार्कटिका १४९

५१ हंगरी तथा मिस्र को सहायता १४९–५०

५२ नाभिकीय परीक्षणों पर प्रतिबन्ध . . १५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७३ के उत्तर में शुद्धि १५०

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड १, १९५७

(१८ मार्च से २८ मार्च, १९५७)

1st Lok Sabha (XV Session)

Preservation Unit
9-4-92
Fumigated
On 11/11/83
Parliament Library

पन्द्रहवां सत्र

(खंड १ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय सूची

(भाग २—वाद-विवाद खंड १—१८ से २८ मार्च, १९५७)

पृष्ठ

अंक १—सोमवार, १८ मार्च १९५७—

कुछ सदस्यों का निधन १

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २

राष्ट्रपति का अभिभाषण . २–७

स्थगन प्रस्ताव—

पूर्वी उत्तरप्रदेश में खाद्यान्न स्थिति . . ८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ८–१२

लोक-लेखा समिति—

बीसवां प्रतिवेदन १२

सदस्यों द्वारा पद त्याग १२

दैनिक संक्षेपिका . १३–१६

अंक २—मंगलवार, १९ मार्च, १९५७—

श्री पी० एस० कुमार स्वामी राजा का निधन १७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १७–२०

प्राक्कलन समिति—

चवालीसवां तथा पैंतालीसवां प्रतिवेदन २१

सदस्य द्वारा पदत्याग . . २१

रेलवे आय-व्ययक, १९५७–५८—

उपस्थापित २१–२४

१९५६–५७ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण २४

१९५२–५३ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का विवरण २५

केरल राज्य की संचित निधि में से किये गये व्यय का विवरण २५–२६

१९५६–५७ के अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) का विवरण . २६

समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक . . २६–२८

विचार के लिये प्रस्ताव . . . २६

खंड २ से ७ और १ . . . . . २७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . २८

विदेशी व्यक्ति कानून (संशोधन) विधेयक . . . २८–३८

विचार के लिये प्रस्ताव २८

खंड २ से ९ और १ . . . . ३५–३८

	पृष्ठ
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	३८
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव के बारे में . .	३८
सामान्य आय-व्ययक १९५७–५८ उपस्थापित . .	३८–४२
वित्त विधेयक	४२–४३
पुरस्थापित	४२
नियम समिति—	
आठवां प्रतिवेदन	४३
कार्य मंत्रणा समिति—	
अड़तालीसवां प्रतिवेदन	४३
दैनिक संक्षेपिका	४४–४७

अंक ३—बधवार, २० मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४९, ५०
प्राक्कलन समिति—	
सैंतालीसवां प्रतिवेदन	५०
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . .	५०–८४
दैनिक संक्षेपिका	८५

अंक ४—गुरुवार, २१ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	८७–८९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
अड़सठवां प्रतिवेदन	८९
कार्य मंत्रणा समिति—	
अड़तालीसवां प्रतिवेदन . .	८९
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . .	८९–१००
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५६–५७ .	१००–०६
अनुपूरक अनुदानों की अनपूरक मांगें १९५६–५७ अतिरिक्त अनुदानों की मांगें १९५२–५३ . } .	१०६–१९
अनुदानों की मांगें, केरल	१२०–२४
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . .	१२५–२९
दैनिक संक्षेपिका	१३०–३३

अंक ५—शुक्रवार, २२ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१३५
राज्य सभा से संदेश	१३५

पृष्ठ

विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, सभा पटल पर रखा गया
प्राक्कलन समिति १३६
उनचासवां और पचासवां प्रतिवेदन . . . १३६
सदस्यों द्वारा पदत्याग १३६
विनियोग (रेलवे) विधेयक—पुरस्थापित . . १३६
विनियोग विधेयक . . . १३६–३७
विनियोग (संख्या २) विधेयक—पुरस्थापित . . . १३७
केरल विनियोग विधेयक—प्रस्थापित . . . १३७
सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . १३८–६६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अड़सठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . १६६–६७
चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प . . . १६७–७०
गन्ने का मूल्य नियत करने के लिये संविहित निकाय के बारे में संकल्प . १७२–७७
दैनिक संक्षेपिका १७८–७९

अंक ६—शनिवार, २३ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . १८१
सभा से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—
बीसवां प्रतिवेदन १८१
विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५७—
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव . . १८१–८२
विनियोग विधेयक, १९५७—
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव . . १८२
विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५७—
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव . . १८३
केरल विनियोग विधेयक, १९५७—
विचार तथा पारित करने के प्रस्ताव . . १८३
सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . १८–९४, १९–२२३
सभा का कार्य . . . १९४
दैनिक संक्षपिका २२४

अंक ७—सोमवार, २५ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . २२५–२६
प्राक्कलन समिति—
इक्यावनवां, छप्पनवां और सत्तावनवां प्रतिवेदन . . २२७

	पृष्ठ
सदस्य द्वारा पद-त्याग	२२७
केरल आय-व्ययक, १९५७–५८	२२७–२८
राष्ट्रपति से संदेश	२२९
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के संबंध में प्रस्ताव . . .	२२९–६१
दैनिक संक्षेपिका . .	२६२–६३

अंक ८—मंगलवार, २६ मार्च, १९५७—

श्री सत्यप्रिय बैनर्जी का निधन .	२६५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . .	२६५
राज्य-सभा से संदेश . .	२६६
लोक-लेखा समिति—	
बाइसवां प्रतिवेदन	२६६
आक्कलन समिति—	
अड़तालीसवां और अठावनवां प्रतिवेदन .	२६६
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
विनयनगर के रेलवे फाटक के निकट दुर्घटना .	२६६–६७
अनुपस्थिति की अनुमति .	२६८
सदस्य द्वारा पद-त्याग . . .	२६८
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव .	२६८–६९
लेखानुदानों के लिये मांगें .	२७९–३००
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—	
पुरःस्थापित .	३०१
वित्त विधेयक, १९५७—	
विचार के लिये प्रस्ताव . .	३०१
खण्ड १ से ६ . .	३०२
पारित करने का प्रस्ताव .	३०२–०३
रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा .	३०३–०९
नियम समिति—	
नवां प्रतिवेदन . . .	३०६
सभा का कार्य	३०६
दैनिक संक्षेपिका	३१०–११

	पृष्ठ
अंक ९— बुधवार, २७ मार्च, १९५७—	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३११–१६
लोक-लेखा समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन	३१६
प्राक्कलन समिति—	
बावनवां और उनसठवां प्रतिवेदन . . .	३१६
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत में तेल की खोज के संबंध में हुई प्रगति . .	३१६–१८
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५७—	
विचार तथा पास करने का प्रस्ताव . .	३१८
रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा .	३१८–३३
लेखे पर अनुदान की मांगें (रेलवे) . .	३३३–४७
विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, १९५७—	
पुरःस्थापित	३४८
केरल आय-व्ययक—सामान्य चर्चा	३४८–५३
दैनिक संक्षेपिका	३५४–५६
अंक १०—गुरुवार, २८ मार्च, १९५७—	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . .	३५७–६०, ३६५
हिन्दी पर्याय समिति का प्रतिवेदन . .	३६०
राज्य-सभा से संदेश	३६१
लोक-लेखा समिति—	
तेइसवां प्रतिवेदन	३६१
प्राक्कलन समिति—	
छियालीसवां, तिरपनवां से पचपनवां और साठवां से छासठवां प्रतिवेदन	३६१
याचिका समिति—	
बारहवां प्रतिवेदन . . .	३६२
आश्वासनों संबंधी समिति—	
चौथा प्रतिवेदन	३६२
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
ऐसे बीमा समवायों की पालसियां जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है ।	३६२–६३
स्थगन प्रस्ताव—	
कालीघाट फाल्टा रेलवे को बन्द करने के बारे में निर्णय	३६३–६४
सदस्यों द्वारा पद-त्याग	३६५

	पृष्ठ
नियम समिति—	
नवां प्रतिवेदन	३५९
विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, १९५७—	
विचार तथा पास करने के प्रस्ताव . . .	३५९
केरल आय-व्ययक—सामान्य चर्चा	३६०–७२
लेखानुदान की मांगें—केरल, १९५७–५८ . . .	३७२–८२
केरल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५७—	
पारित	३८२
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक . . .	३८२–९०
विचार करने का प्रस्ताव	३८२
खंड १ से ३	३९०
पारित करने का प्रस्ताव	३९०
राष्ट्रपति के निर्वाचन और नई लोक-सभा के गठन के बारे में चर्चा .	३९०–९५
विदाई भाषण	३९५–४०१
दैनिक संक्षेपिका	४०२–०५
पन्द्रहवें सत्र में किये गये कार्य का संक्षेप . . .	४०६–०७
अनुक्रमणिका	(१–१०४)

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक सभा

बुधवार, २७ मार्च, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११.४८ बजे

*२२ मई, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२७३ के उत्तर में शुद्धि

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

राज्य नियंत्रित उपक्रमों सम्बन्धी प्रतिवेदन

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) वर्ष १९५५-५६ के लिये हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखा गया--देखिये संख्या एस-७९/५७]**

(२) वर्ष १९५५-५६ के लिये सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्ज (प्राइवेट) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन **[पुस्तकालय में रखा गया--देखिये संख्या एस-८०/५७]**

(३) वर्ष १९५४-५५ के लिये कोयला बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखा गया--देखिये संख्या एस-८१/५७]**

(४) कोयला खानों के एकीकरण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन (१९५६) भाग १। **[पुस्तकालय में रखा गया--देखिये संख्या एस-८२/५७]**

---

*कृपया देखिए वाद-विवाद भाग १, दिनांक २७ मार्च, १९५७

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री क० च० रेड्डी]

(५) ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्ज़ (प्राइवेट) लिमिटेड का दूसरा वार्षिक प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखा गया--देखिये संख्या एस-८३/५७]**

(६) ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये हिन्दुस्तान केबल्ज़ (प्राइवेट) लिमिटेड का चौथा वार्षिक प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखा गया--देखिये संख्या एस-८४/५७]**

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड के बारे में करार

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मैं हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड के बारे में भारत के राष्ट्रपति और ओरलिकोन मशीन टूल वर्क्स, बुरेल एण्ड कम्पनी, ज्यूरिक ओरलिकन, स्विट्ज़रलैंड के बीच हुए १ मार्च, १९५७ के संशोधित करार की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया --देखिये संख्या एस--८५/५७]**

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य के बारे में प्रतिवेदन

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डि)** : २९ जुलाई, १९५२ को केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के समय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसरण में १ अप्रैल, १९५६ से ३० नवम्बर, १९५६ तक की अवधि के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया--देखिये संख्या एस--८६/५७]**

आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**: मंत्रियों द्वारा विभिन्न सत्रों में, जैसाकि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्न विवरणों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं

(१) अनुपूरक विवरण संख्या ३ चौदहवां सत्र, १९५६

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध २६]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या १० तेरहवां सत्र, १९५६

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध २७]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १६ बारहवां सत्र, १९५६

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध २८]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १८ ग्यारहवां सत्र, १९५५

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध २९]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या २१ दसवां सत्र, १९५५

[देखिये परिशिष्ट, २, अनुबन्ध ३०]

(६) अनुपूरक विवरण संख्या २९ नवां सत्र, १९५५

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध ३१]

---

†मूल अंग्रेजी में ।

काफी बोर्ड के कर्मचारियों के आचरण सम्बन्धी नियम

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं काफी अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अधीन ५ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३० में प्रकाशित काफी बोर्ड के कर्मचारियों के आचरण सम्बन्धी नियमों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई—देखिये संख्या एस–९३/५७]**

रबड़ नियमों में संशोधन

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अधीन रबड़ नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली २३ फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ५४९ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई—देखिये संख्या एस–९४/५७]**

खान नियमों में संशोधन

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं खान अधिनियम, १९५२ की धारा ५९ की उप-धारा (७) के अधीन खान नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली २६ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३१२ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई—देखिये संख्या एस–९५/५७]**.

अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि नियमों में संशोधन

†**श्री आबिद अली** : मैं अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि नियम, १९४८ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली ८ दिसम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २९६४ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई—देखिये संख्या एस–९६/५७]**

कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि नियमों में संशोधन

†**श्री आबिद अली** : मैं कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि नियम, १९४९ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली ५ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ४९ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी—देखिये संख्या एस-९७/५७]**

दिल्ली राज्य बिजली बोर्ड के आयव्ययक प्राक्कलन

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : में बिजली (संभरण) अधिनियम, १९४८ की धारा ६१ की उप-धारा (३) के अधीन वर्ष १९५७-५८ के लिये दिल्ली राज्य बिजली बोर्ड के आयव्ययक प्राक्कलनों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय नें रखी गयी—देखिये संख्या एस–९८/५७]**

आयव्ययक पर वाद-विवाद के समय उठाई गई बातों के बारे में विवरण

†**श्री हाथी** : मैं २ और ३ अप्रैल, १९५६ को आयव्ययक पर वाद-विवाद के समय उठाई गई कुछ बातों के बारे में, जिन का उल्लेख सिंचाई और विद्युत् मंत्री और उपमंत्री द्वारा दिये गये उत्तरों में नहीं था, आगे और जानकारी देने वाले विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध ३२]**.

---

† मूल अंग्रेजी में ।

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की कार्यवाही का सारांश

†**श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा)** : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की २१ मार्च, १९५७ को हुई बाइसवीं बैठक की कार्यवाही के सारांश की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की कार्यवाही का सारांश

†**सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला भटिण्डा)** : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की पन्द्रहवें सत्र में हुई (तिहत्तरवीं और चौहत्तरवीं) बैठकों की कार्यवाही के सारांश की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

लोक-लेखा समिति

चौबीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

†**श्री व० बा० गांधी (बम्बई–नगर–उत्तर)** : मैं वर्ष १९५३-५४ के लिये अनुदानों से अधिक राशि और भारित विनियोगों के केन्द्रीय (असैनिक) विनियोग लेखे के सम्बन्ध में लोक-लेखा समिति का चौबीसवाँ प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

प्राक्कलन समिति

†**श्री ब० गो० मेहता (गोहिलवाड़)** : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :

(१) प्राक्कलन समिति के छठे प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में बावनवां प्रतिवेदन ।

(२) परिवहन मंत्रालय (राष्ट्रीय राजपथ और सड़क) के सम्बन्ध में उनसठवां प्रतिवेदन ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

तेल की खोज और उसका उत्पादन

श्री न० मा० लिंगम (कोयम्बटूर) : मैं नियम २१६ के अधीन प्राकृतिक संसाधन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे उस के विषय में एक वक्तव्य दें :

"रुपया समवाय के कार्य का विशेष उल्लेख करते हुए भारत में तेल की खोज के सम्बन्ध में प्रगति ।"

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मुझे प्रसन्नता है कि जब से सरकार ने खानज तेल को सरकारी क्षेत्र में सम्मिलित करने की नीति का निश्चय किया है तब से अब तक तेल की खोज के इस कार्य के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही के बारे में संक्षेप में बताने का अवसर मिला है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम तेल समवाय के साथ एक समझौता किया गया था जिस की शर्तों के आधार पर एक रुपया समवाय बनाया जाना था जिस के बारे में १८ दिसम्बर, १९५६ को मैं ने एक वक्तव्य दिया था। मुझे निराशापूर्वक कहना पड़ता है कि समवाय ने अब मूल प्रस्थापनाओं में सारभूत परिवर्तनों का सुझाव दिया है। अब इस पर और आगे चर्चा की आवश्यकता है। पर मैं शीघ्र ही मंत्रालय के इस इरादे की सूचना आसाम तेल समवाय के पास भेज रहा हूं कि सरकार और आसाम तेल समवाय के बीच करार अगले महीने में सम्पन्न हो जाना चाहिये।

पश्चिमी बंगाल में मेसर्स स्टैण्डर्ड वैकूम आयल कम्पनी का काम योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है और शीघ्र ही बर्मे से खुदाई का काम शुरू होने वाला है। तेल का पता लगाने के पूर्व अनेक छेद बनाये जा चुकेंगे।

बड़े बड़े तथा अन्तर्राष्ट्रीय तेल समवायों की धीमी तथा शानदार प्रगति को देखते हुए हमारी सरकार द्वारा १८ महीनों में जो कार्य किया गया है वह आश्चर्यजनक है और खास तौर से जबकि हम ने तेल की खोज में धीरे धीरे आगे बढ़ने की प्रणाली अपनाई है। चूंकि हमें मोटे तौर पर ६० करोड़ रुपये का बिना साफ किया गया तेल हर साल आयात करना पड़ता था अतः हम ने खुद ही पुराने पिटे पिटाये ढंगों को छोड़ कर कम से कम समय में तेल खोजने का उद्देश्य निश्चित किया। इन सब बातों का उल्लेख उस विवरण में दिया गया है जो हम ने सभा-पटल पर रखा है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध ३३]**

जब मैं रूस और पश्चिमी यूरोप के दौरे से लौटा उस के बाद शीघ्र ही दिसम्बर, १९५५ में तेल तथा प्राकृतिक गैस का एक निदेशालय गठित किया गया और तेल के कार्यक्रम में राय देने के लिये रूस, अमरीका और पश्चिमी जर्मनी से विदेशी टैक्नीशियन भी बुलाये गय थे और कोलम्बो योजना के अधीन कनाडा के विशेषज्ञों के एक दल द्वारा एक वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण उत्तरी भारत के क्षेत्र में तेल ढूंढने के लिये किया गया।

तेल ढूंढने के लिये एक पांच वर्ष का कार्यक्रम रूसी विशेषज्ञों की सहायता से तैयार किया गया और निदेशालय के स्थान पर १४ अगस्त, १९५६ को एक कमीशन बनाया गया। अकेले एक भूतत्व-वेत्ता के होते हुए भी आयोग ने इतने थोड़े समय में एक संगठन बना लिया और उस ने खोज के काम और खुदाई आदि में दर्जनों व्यक्तियों को सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक शिक्षा भी दी। कांगड़ा में खोज के काम के लिये खुदाई शुरू होने वाली है। गवेषणा प्रयोगशाला द्वारा आधुनिक प्राविधिक वर्कशाप भी स्थापित किया जा चुका है। हमें जो सफलता मिली है उस से मुझे उत्साह मिला है और मैं इस बात से भी प्रसन्न हूं कि विदेशी विशेषज्ञों को भी इस बात पर आश्चर्य है कि इस छोटे से संगठन ने इतनी उन्नति की है। यह सब काम इस बात के होते हुए भी हुआ है कि हमारे सामने वित्तीय कठिनाई है और विदेशी विनिमय की भी कठिनाई रही और स्वेज नहर की समस्या के कारण हमें बाहर से मशीनें आदि भी नहीं मिल सकीं जिस के कारण हमारे कार्यक्रम में कुछ रुकावटें पड़ गईं। साथ ही हमें विदेश से सामान नहीं मिला, वहां के इंजीनियरिंग निर्माण-कार्यों और वैधानिक परामर्शों के बारे में भी कोई सहायता नहीं मिली।

ऐसे कामों को छोड़ कर, जिन में किये गये कामों के परिणामस्वरूप कुछ रूपभेद करना है, शेष काम अगले साल भी जारी रखे जायेंगे। काफी काम पूरा हो गया है फिर भी अभी बहुत-कुछ शेष ही है। ढूंढ और खोज के प्रत्येक काम में अलग अलग अनेक प्रोग्राम होते हैं और उन के अलग अलग तरीके होते हैं। सभा को इस सम्बन्ध में इन कठिनाइयों के बारे में अच्छी तरह जान लेना चाहिये जो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के सामने हैं और जिन का उसे अपने कार्यक्रम में सामना

[श्री के० दे० मालवीय]

करना पड़ता है, चाहे वे बाहर से मशीनें मंगाने या लोगों को प्रशिक्षण देने या कार्यक्रम को चलाने या कार्यक्रम में बहुत बड़ा परिवर्तन करने के सम्बन्ध में हों। तेल ढूंढने का काम कोई ऐसा काम नहीं है जसा कि औद्योगिक काम होता है कि आप ने एक योजना बना दी और उसी के अनुसार आप को परिणाम मिल गया। यह एक ऐसा काम है जिस में आप वर्ष भर लगातार काम करते रहें फिर भी, हो सकता है, मनचाही सफलता न मिल पाये। मंत्रालय इतना कह सकता है कि इतनी छोटी अवधि में उस ने जो कुछ किया है वह संतोषजनक है और आने वाले वर्षों में वह पश्चिमी और उत्तरी भारत में तेल के अनेक क्षेत्र ढूंढ निकालने में समर्थ होगा।

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५७

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के एक भाग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रेलवे आयव्ययक--सामान्य चर्चा--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा रेलवे आयव्ययक पर सामान्य चर्चा फिर जारी करेगी। तीन घंटे का समय नियत किया गया है और उस में से १ घंटे १ मिनट का समय लिया जा चुका है।

माननीय मंत्री उत्तर देने के लिये कितना समय लेंगे ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : आधा घंटा।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब श्री जांगड़े अपना भाषण जारी करेंगे।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया गया।

†मूल अंग्रेजी में।

श्री जांगड़े (बिलासपुर रक्षित अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं रेलवे कर्मचारियों के सम्बन्ध में कह रहा था। इसी सम्बन्ध में दो चार बातें मैं और कहना चाहता हूं। रेलवे मंत्रालय को दक्ष कर्मचारियों की आवश्यकता है। शायद इसीलिये रेलवे बोर्ड ने उन कर्मचारियों को जिन की उम्र ५६—५७ साल से ज्यादा है रेलवे मंत्रालय में बने रहने देने का विचार किया है। यह अच्छी नीति है। हो सकता है कि इस से नये उम्मीदवारों को प्रवेश पाने में कुछ देर हो और कुछ देर तक बेकारी का सामना करना पड़े, पर यदि कुछ अच्छे दक्ष कर्मचारियों को जिन की उम्र ज्यादा हो गई है लिया जाये तो रेलवे विभाग का कार्य अच्छी तरह से चल सकता है।

अब मुझे जो रेलवे कर्मचारी हैं, खास तौर से जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उन की कठिनाइयों के सम्बन्ध में कुछ कहना है। दक्षिण पूर्व रेलवे में मुझे पता चला है कि कर्मचारियों से जो तीन रुपया मकान का किराया लिया जाता था, अब वह तीन रुपये से बढ़ा कर पूल्ड रेट पर बीस रुपया लिया जाने लगा है। इस को बढ़े हुए अभी दो ही महीने हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जिन कमरों का किराया तीन रुपया था, उन का किराया कुछ दिन उपयोग करने के बाद भी बीस रुपया कैसे हुआ।

आप यह देखेंगे कि रेलवे मंत्रालय के अन्दर जो एजूकेशन डिपार्टमेंट है वह रेलवे कर्मचारियों की शिक्षा की तरफ बहुत कम ध्यान देता है। रेलवे कर्मचारियों की शिक्षा पर रेलवे मंत्रालय के कुल खर्च का .२ परसेन्ट भी नहीं आता है। लेकिन रेलवे मंत्रालय इस पर ध्यान नहीं देता है। नतीजा यह होता है कि रेलवे कर्मचारियों का और उन के सहारे रहने वाले जो बच्चे हैं उन का बड़ा नुक्सान होता है। न तो उन का स्टैंडर्ड (स्तर) ही ऊंचा उठता है और न उन को शिक्षा की सुविधायें मिलती हैं। मैं ने यह भी देखा है कि जो रेलवे कर्मचारी होते हैं वे बहुत सेक्लूडेड एरियाज़ (एकान्त क्षेत्रों) में रहते हैं, नगर से दूर रहते हैं। नगर में जाने के लिये उन को बड़ी बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। मैं ने इस प्रश्न को पहले बिलासपुर के नाम से उठाया था, पर मैं समझता हूं कि रेलवे मंत्रालय द्वारा जिस प्रकार से रेलवे कर्मचारियों की चिकित्सा के लिये पूरी सुविधा दी जाती है, उसी प्रकार से उन की शिक्षा के लिये भी पूरी सुविधा दी जाये और इस के लिये रेलवे मंत्रालय के अन्दर एक अलग शिक्षा विभाग रख दिया जाए। यह एक बहुत गम्भीर प्रश्न है और इस के लिये मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कह देना कि रेलवे कर्मचारी अमुक नगर में रहते हैं, इसलिये अमुक नगर के अमुक विद्यालय में उन को शिक्षा दी जाये, उचित नहीं मालूम होता। मैं ने व्यवहारिकता को देखा है और उसे देखते हुए मैं कह सकता हूं कि रेलवे मंत्रालय को शिक्षा के लिये एक अलग महकमा रखना चाहिये। इस को स्थापित करने के लिये और शिक्षा के प्रसाधन देने के लिये रेलवे मंत्रालय को .५ परसेन्ट (प्रतिशत) से ज्यादा खर्च पड़ने वाला नहीं है।

इस के उपरान्त मैं रेलवे लाइनों के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। अभी तक रेलवे मंत्रालय ने यह निश्चय नहीं किया है कि जो सकरी अर्थात् नैरो गेज (छोटी लाइन) की लाइनें हैं, उन को ब्राड गेज (बड़ी लाइन) में कब तक परिवर्तित किया जा सकता है। जब तक उन को परिवर्तित नहीं किया जाता है तब तक हम लोगों को अमेनिटीज़ अर्थात् सुविधाएं प्रचुर मात्रा में नहीं दे सकते, साथ ही वहां के कर्मचारियों को भी तकलीफ होती है। इसलिये मैं सरकार से और रेलवे मंत्रालय से भी प्रार्थना करता हूं कि जो नैरो गेज की लाइनें हैं उन को बहुत शीघ्र ब्राड गेज में परिवर्तित किया जाये, और यदि ब्राड गेज में नहीं तो कम से कम मीटर गेज में तो अवश्य ही परिवर्तित कर दिया जाये। कभी कभी यह होता है कि जो इलाका नैरो गेज लाइन के ऊपर या उस के आस पास पड़ता है, वहां पर नैरो गेज लाइन होने के कारण उन को दूसरी लाइनों से नहीं मिलाया जा सकता, न वहां नई लाइनें ही बिछाई जा सकती हैं। इस से वहां के लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। रेलवे मंत्रालय को इस प्रश्न पर अपनी नीति बहुत जल्दी निर्धारित करनी चाहिये।

[श्री जांगड़े]

इस के बाद मैं रेलवेज़ की अनियमितता के बारे में कहना चाहता हूं। मैं ने बिलासपुर से कटनी की रेलों को कुछ महीनों तक देखा है। महीनों में ज्यादा से ज्यादा २ या ३ दिन ठीक समय पर आती हैं, बाकी २७ या २८ दिन ठीक समय से परे हो जाती हैं जिस के कारण उन का किसी भी गाड़ी से मेल नहीं होता और कर्मचारियों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

मैं रेलवे मंत्रालय को मध्य प्रदेश की स्थिति की बाबत भी कुछ जानकारी देना चाहता हूं और प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि वह इस की ओर ध्यान दे। मध्य प्रदेश की नई राजधानी भोपाल और भोपाल की कमिश्नरियों के जो केन्द्रीय मुकाम हैं उन का सीधा सम्पर्क नहीं है और मध्य प्रदेश जोकि बम्बई को छोड़ कर हिन्दुस्तान का सब से बड़ा प्रान्त है, जिस का क्षेत्रफल लगभग १ लाख ७० हजार स्क्वायर (वर्ग) मील है, उस की राजधानी भोपाल और जिलों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वह ७०० और ९०० मील दूर हैं और वहां के लोगों को भोपाल पहुंचने में २४ से ३० घंटे लगते हैं। अगर सरकार मेरा सुझाव मान ले या उस के अनुरूप कोई सुझाव रख दे तो बहुत से बड़े बड़े नगरों से तो केवल १२ और १६ घंटों में ही पहुंचा जा सकता है। बीना से बिलासपुर दो गाड़ियां जाती हैं और कटनी से बीना दो गाड़ियां जाती हैं वह पैसेंजर गाड़ियां हैं। उन के बीच कोई भी एक्सप्रेस नहीं चलती है। मेरा कहना यह है कि उन में से एक गाड़ी को कम से कम फास्ट पैसेन्जर (तेज़ जाने वाली सवारी गाड़ी) बना दिया जाये और उस को बीना से बिलासपुर तक चलाया जाये। मैं ने यह सुझाव पहले भी राष्ट्रीय रेलवे उपयोग समिति में दिया था पर रेलवे मंत्रालय ने इस पर विचार नहीं किया। अगर इस को फास्ट पैसेन्जर ट्रेन बना दिया जाये तो अभी जो १६ और १७ घंटे लगते हैं वह १२ या १३ घंटे हो सकते हैं। और जगहों से भी जो ६ या ८ घंटे बरबाद करने पड़ते हैं वह सब बच सकते हैं। इस से लोग बहुत शीघ्र भोपाल पहुंच सकते हैं और ८० लाख लोगों का फायदा हो सकता है। मैं समझता हूं कि रेलवे मंत्रालय इस पर जल्दी विचार करेगा।

मैं यह भी समझता हूं कि मध्य प्रदेश के जितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उन के लिये भोपाल से एक सर्कुलर ट्रेन चलाई जाये और अगर यह न हो सके तो बिलासपुर से रायपुर के लिये एक अलग गाड़ी चलाई जाये। अगर यह भी न हो सके तो जो ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस दिल्ली से नागपुर जाती है उस में एक ऐडीशनल (अतिरिक्त) बोगी लगा दी जाये ताकि यात्रियों को असुविधा न हो। मैं यह भी चाहता हूं कि डुंगरगढ़ से बिलासपुर तक एक लोकल ट्रेन चलाई जाये। मैं ने कई मर्तबा मांग की कि एक जनता एक्सप्रेस नागपुर और कलकत्ता के बीच चलाई जाये, परन्तु वहां जनता ट्रेन भी नहीं चली और लोकल ट्रेन भी नहीं चली। मैं तो कहता हूं कि जो युद्ध के पहले चलती थी, उस को आप चला दें। मैं जानता हूं कि रेलवे मंत्रालय की ओर से कई कारण दिये गये हैं कि हमारे पास कोचेज़ (गाड़ियां) नहीं, हमारे पास लोकोमोटिव्ज़ (इंजनों) की कमी है, मैं हर चीज़ को मानता हूं लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहता हूं जोकि तत्काल किया जा सकता है। वह यह कि आज वहां पार्सल एक्सप्रेस चलती है। जैसे दक्षिण पूर्व रेलवे पर पार्सल एक्सप्रेस में एक या दो डिब्बे पैसेन्जर्स के लिये जोड़े जाते हैं उसी प्रकार उस पार्सल एक्सप्रेस में एक या दो डिब्बे जोड़ दिये जायें। रायगढ़ से ले कर दुर्ग तक जो घनी बस्ती का इलाका है वहां के यात्रियों को इस से बड़ी सुविधा मिल सकती है। मैं यह सुझाव देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि रेलवे मंत्रालय इस पर केवल ध्यान ही नहीं देगा बल्कि इसे अमली रूप देगा।

हम ने देखा है कि हमारे देश में लोकोमोटिव्ज़, वैगन्स और कोचेज़ की बहुत कमी है। इस की उपलब्धि में हमें बहुत उन्नति नहीं दिखाई देती। हम इस को भी जानते हैं कि पांच वर्षों में हमें इन चीजों की कितनी ज़रूरत है। फिर भी कारखाने खोलने का हमारा मार्ग क्यों अवरुद्ध हो जाता है यह

मेरी समझ में नहीं आता । हम जानते हैं कि हमारे देश में लोहे की कमी है, स्लिपर्स की कमी है । हमें ९० लाख स्लिपर्स की जरूरत है परन्तु हमें ४० लाख स्लिपर्स ही मिलते हैं, इसी प्रकार से हमें ४ लाख २५ हजार टन लोहे की जरूरत है और हमें मिलता है १ लाख २२ हजार टन । हमारे देश में लोहे के तीन कारखाने काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी मेरी समझ में नहीं आता कि हम सन् १९५९-६० तक अपने कारखानों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति क्यों नहीं कर सकते । हम जानते हैं कि ठामस टाइप और ओपेन हार्थ्स के लिये सरकार बातचीत कर रही है, लेकिन क्या हम अपने देश में लोहे की पूर्ति नहीं कर सकते ? इस सम्बन्ध में रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि सन् १९५९-६० तक अर्थात् द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, जिस में कि खास कर नई लाइनों को बढ़ाने और लूप लाइनों को बनाने, वर्तमान लाइनों को बढ़ाने और लूप लाइनों को लम्बी करने का प्रोग्राम है, उस को बहुत कठिनाई का सामना करना होगा । मैं यह जानना चाहूंगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो रेलवे मंत्रालय की कहीं पर नई लाइनें बिछाने की और कहीं पर जो डबलिंग करने की योजनायें हैं उन को पूरा किया जा सकेगा या नहीं ।

इस के उपरान्त मैं नई रेलवे लाइनों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । बड़ी खुशी की बात है कि रेलवे मंत्रालय ने उन इलाकों में नई लाइनें निकालने की योजना बनायी है जहां कि खनिज पदार्थ निकलते हैं या जिन इलाकों में ५० हजार स्क्वायर मील तक रेलवे लाइन नहीं है । पर मैं कहना चाहता हूं कि देश में अभी भी ऐसे इलाके हैं कि जहां ५० हजार स्क्वायर मील तक रेलवे लाइन नहीं है । आन्ध्र और मध्य प्रदेश के बीच में ऐसा इलाका बस्तर का है जहां पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक मील लाइन बनाने की भी योजना नहीं है । कम से कम तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस इलाके में लाइन बनायी जानी चाहिये और उस के लिये अभी से सर्वेक्षण कर लिया जाये ।

अब मैं बिलासपुर के रेलवे कर्मचारियों के प्राविडेंट फंड (भविष्य निधि) के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । बहुत से कर्मचारी जो मर गये हैं उन का प्रावीडेंट फंड उन के बच्चों और बेवाओं को नहीं दिया गया है । अभी तक इस तरह के चालीस या पचास केस मेरे पास आ चुके हैं । मैं ने दक्षिणपूर्व रेलवे के जनरल मैनेजर को इस बारे में लिखा था लेकिन चार पांच महीने हो गये इस बारे में कोई अमल नहीं हुआ । मैं चाहता हूं कि इन कर्मचारियों की विधवाओं को उन का प्रावीडेंट फंड दे दिया जाये । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

रेलवे विभाग में पत्रों का उत्तर इतनी देर से मिलता है कि कर्मचारी हताश हो जाते हैं और इस-लिये अपनी शिकायतें रेलवे बोर्ड या यहां मिनिस्ट्री को भेजते हैं जिस से यहां काम का इतना बोझ बढ़ जाता है । मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न पर हेडक्वार्टर और रीजनल हेडक्वार्टर के अफसर गम्भीरता से विचार करें ।

अब मैं रेल में बिना टिकट यात्रा करने के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । सरकार से इस बारे में कई बार प्रश्न पूछे गये और उन के उत्तर में कहा गया कि इस के लिये एडीशनल स्टाफ लगाया जायेगा । पर जिस अनुपात में सरकार का एडीशनल स्टाफ पर खर्चा होता है उसी अनुपात में आमदनी नहीं बढ़ती । जितना खर्चा होता है उस से कुछ ही ज्यादा आमदनी इस एडीशनल स्टाफ की वजह से बढ़ती है । इस से यह साबित नहीं होता कि हम को इस दिशा में सफलता मिली है । असल में इस का कारण यह है कि टिकट कलेक्टर और टिकट एग्जामिनर अपने काम में ढिलाई करते हैं और इन पर कड़ी निगाह नहीं रखी जाती । मैं कई बार इनकागनिटो (वेष बदल कर) तीसरे दर्जे में चला तो मुझे मालूम हुआ कि एक दो मुसाफिरों से टिकट देखे गये और उस के बाद टिकट एग्जामिनरों की ड्यूटी खत्म हो जाती है । ये लोग ढिलाई से काम करते हैं इसीलिये हमारी आमदनी नहीं बढ़ती ।

[श्री जांगड़े]

हम इन लोगों को अच्छी तनख्वाह देते हैं, वर्दी देते हैं और ये लोग और कर्मचारियों की अपेक्षा ज्यादा आराम से रहते हैं। फिर भी हमारे राजस्व में कोई वृद्धि नहीं होती। मैं चाहूंगा कि सरकार टिकट-लैस ट्रैविल (बिना टिकट यात्रा) के सम्बन्ध में कड़ी निगाह रखे। जनता का भी इस काम में सहयोग देने का कर्तव्य है पर मुख्य कर्तव्य तो इन पकड़ने वालों का है। इस टिकटलैस ट्रैविल के कारण हम को करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। यदि यही रुपया रेलवे मंत्रालय को आये तो हम उसे बहुत से उन्नति के कार्यों में लगा सकते हैं।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : मैं माननीय रेलवे मंत्री के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि रेलवे का फिर से वर्गीकरण किया जाना चाहिये और अधिक खण्ड बनाये जाने चाहियें। दक्षिण रेलवे का क्षेत्र बहुत बड़ा है। पुरानी एम० एस० एम० रेलवे तथा एन० एस० आर० को मिलाकर इनके आठ खण्ड बनाये जाने चाहिये। इससे उनके प्रशासन तथा संचालन आदि में भी सुविधा होगी ज्ञापन में पृष्ठ १० पर नेल्लोर से मैदीपुर तक की लाइन बनाने का विचार है। पर इस लाइन का कोई उपयोग नहीं होगा क्योंकि इस का अन्य किसी रेलवे से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। अतः यदि इस लाइन को नल्लोर से कुद्दापट्ट तक बनाया जाये तो काफी अच्छा रहेगा। रेलवे स्टेशनों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में अनुशासन की बड़ी कमी है। सभी राजनैतिक दलों तथा सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वे ऐसी त्रुटि को दुर करने में सहायता दें।

रेलवे प्लैटफार्मों पर बहुत अधिक सीमेण्ट का प्रयोग किया जा रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि मकान आदि बनाने के लिये सीमेंट नहीं मिलता--इसलिये रेलवे को इन प्लैटफार्मों पर सीमेंट का कम प्रयोग करना चाहिये।

कल माननीय सदस्य ने बठिया गाड़ियों का उल्लेख भी किया था। मैंने स्वयं तो उन गाड़ियों में यात्रा नहीं की है--किन्तु मुझे पता लगा है कि बैठने के स्थान सुविधाजनक नहीं हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। ऐसी गाड़ियों को सप्ताह में एक बार ही चलाया जाये जिससे व्यय की बचत की जा सकती है।

यह गाड़ियाँ बड़े स्टशनों पर भी नहीं ठहरतीं। इन गाड़ियों को जिलों के मुख्यालयों पर तो अवश्य ही ठहराया जाये।

मद्रास तथा विशाखापत्तनम से हैदराबाद तक सीधी गाड़ी चलाने की भी जरुरत है। उस की अनुपस्थिति में हम लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है। रेलवे को देखना चाहिये कि यह सुझाव कहाँ तक संभव हो सकता है।

रेलवे स्टेशनों पर भिखारी भी लोगों को बहुत तंग करते हैं। उन्हें नहीं रोका जाता। कुछ लोगों को छोड़कर लगभग सभी लोग बड़े दुखी होते हैं। इस सारी बात की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर है। पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं करती। स्टेशन मास्टर भी सब जानते हुए चुप रहते हैं। रेलवे मंत्रालय को इस समस्या का हल करना चाहिये।

तीसरी श्रेणी के डिब्बों की सफाई भी अच्छी तरह से नहीं की जाती। यदि कभी आप लोग उनमें बैठें तो आपको वास्तविक हालत का पता लगेगा। तीसरे दर्जे के यात्रियों की सुविधा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मैं ने विजयवाड़ा से नेल्लोर तक जनता गाड़ी में यात्रा की थी---वहां बड़ी गन्दगी थी। मेहतर भी तीसरी श्रेणी के डिब्बों की ओर कोई ध्यान नहीं देते। इन की कोई सफाई बड़ी आवश्यक है। यात्रियों को भी समझाया जाये। सभी बड़े बड़े स्टेशनों पर डिब्बों की सफाई होनी चाहिये।

ग्रांड ट्रंक एक्प्रैस गाड़ी में मध्य मद्रास से दिल्ली तक एक 'बफट कार' लगाई जाती है। भोजन व्यवस्था करने वालों ने बताया कि उन्हें कोई अवकाश नहीं दिया जाता। रात को केवल ५ घण्टे का आराम उन्हें मिलता है। इस कारण मैं यह सुझाव दूंगा कि बकट कार को नागपुर में ही अलग कर दिया जाना चाहिये। आराम करने के बाद वह पुनः यात्रा कर सकते हैं।

मैं प्रार्थना करता हूं कि इन सुझावों पर ध्यान दिया जाये।

†**श्री तुलसीदास** (मेहसाना--पश्चिम) : यह जो श्वेत पत्र परिचालित किया गया है---इससे रेलवे के काम का पता चलता है।

मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की पूर्ति करने में सफल रहे हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में ४०० करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी--वह सारी की सारी व्यय कर दी गई है --देश की एक बड़ी जरुरत हल हो गई है। देश का विकास तभी हो सकता है जब परिवहन की समस्या का हल हो जाये। दूसरी योजना में हमें परिवहन की आवश्यकतायें बहुत अधिक होंगी। जब तक रेलवे का विकास न होगा हमारे योजना में निर्धारित किये गये उद्देश्य पूरे नहीं होंगे।

मैं एक दो बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं। विनियोजन के आंकड़ों से यह पता नहीं चलता कि हम वास्तव में ही अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार चल रहे हैं। हमारी कठिनाई यह है कि हमारे पास पुराने इंजन हैं और खींचने की शक्ति भी कम है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में पुराने इंजन २३ प्रतिशत थे। योजना के अन्त तक उनकी प्रतिशतता ३२.५ हो गई। इसी प्रकार पुराने डिब्बों की प्रतिशतता भी १३.३ से बढ़ कर १६.५ हो गई। यह कमी बड़ी लाइन के बारे में है। इसलिये हालत और भी खतरनाक है।

यदि द्वितीय योजना भी क्रियान्वित हो जाये तो भी इंजन व डिब्बों की कमी पूरी न होगी। बाहर से मंगवाने के लिये विदेशी मुद्रा की जरुरत है। इसलिये यह कमी अत्यन्त चिन्ताजनक है।

विदेशी मुद्रा की भी यहां कमी है जिससे यह कठिनाई और भी अधिक होगी। इसलिये हमें केवल रेलवे पर ही आश्रित नहीं रहना चाहिये। सड़क परिवहन तथा समुद्र तथा नदी परिवहन का भी विकास करना चाहिये। मुझे खुशी है कि इस दिशा में कुछ कदम उठाये जा रहे हैं।

मैं ने सदैव यह बात कही है कि हमें केवल मात्र रेलवे पर परिवहन के लिये आश्रित नहीं रहना चाहिये। यदि हम रहेंगे तो हमारी समस्या कभी हल नहीं होगी।

रेलवे मंत्री ने १९५६-५७ के प्रवर्तन के बारे में जो बातें कहीं हैं वे इतनी ठीक मालूम नहीं होतीं। बड़ी लाइन पर यातायात की रुकावटें सदैव ही रहती हैं। कई बार कारखानों को कोयले की कमी के कारण बंद रखा गया है। इसलिये केवल रेलवे ही सारी समस्या का हल नहीं कर सकती। इसी कारण रेलवे के लिये अधिक धन निश्चित किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री तुलसी दास]

मैं यह महसूस करता हूं कि हमें इस नीति को दोबारा ढालना होगा । मैं ने हमेशा कहा है कि उच्च स्तरीय परिवहन समन्वय समिति बनाई जाये जो विभिन्न प्रकार के परिवहन के प्रश्न पर विचार करे । जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक कोई सफलता नहीं मिलेगी ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान नई लाइनें बनाने का प्रयास किया गया । किन्तु इंजन डिब्बे आदि की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया । दक्षिण पूर्वी रेलवे की ओर ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि सरकारी कारखाने उस क्षेत्र में लग रहे हैं--इस प्रकार गैर-सरकारी क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया जाता - मैं इस ओर भी माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

हम बहुत सी विकास परियोजनायें चला रहे हैं और रेलवे उन आवश्यकताओं को पूरा करना चाहेगी--किन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र की परवा ही नहीं की जा रही है । सरकारी कामों में वह अधिक दिलचस्पी रखते हैं । मैं इस बात को इसी प्रकार समझता हूं ।

†**श्री जगजीवन राम** : क्या यह परियोजनायें गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये लाभदायक नहीं हैं ?

†**श्री तुलसीदास** : मुझे अफसोस है कि माननीय मंत्री मेरी बात नहीं समझे । मेरा आशय यह है कि दूसरी बातों पर भी ध्यान देना चाहिये ।

श्वेत पत्र के अनुसार १.०६ मिलियन टन इस्पात की आवश्यकता है । इसके विरुद्ध यह आशा की जाती है कि १.९० लाख टन और मिलेगा और ३.३६५ लाख टन इस्पात मिल चुका है । इस प्रकार बहुत सी कमी रहेगी । पटरियाँ भी कम बनेंगी ।

विदेशी मुद्रा की बहुत कमी है--इसलिये हमें लकड़ी के स्लीपरों का प्रयोग करना चाहिये । यह कठिनाई हमें पांच वर्ष तक रहेगी । लकड़ी के स्लीपर भी अच्छा काम देते हैं । न होने से कुछ तो होना अच्छा ही है । लकड़ी के स्लीपरों के आयात पर कम मुद्रा लगेगी । यह हल अस्थायी तरीके का है ।

विभागीय प्रणाली के स्थान पर नियंत्रण की जो डिवीजन प्रणाली लागू की गई है उससे व्यय में वृद्धि हुई है । मुझे नहीं पता कि इससे कोई काम में फर्क पड़ा है या नहीं । श्वेत पत्र में कहा गया है कि अभी तक दक्षिण पूर्वी रेलवे में यह प्रणाली लागू नहीं की गई है । यह बात समझ में नहीं आती । यदि इस तरीके से काम ज्यादा होता है तो इस प्रणाली को वहां जरुर लागू किया जाना चाहिये था ।

जो विकासातिरिक्त व्यय है उसमें बचत करने की बड़ी जरुरत है । प्रशासनीय व्यय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । १९५२-५३ के आंकड़े देखने से यह व्यय अधिक मालूम होता है । इसका कारण समझ में नहीं आता ।

मैं समझता हूं कि रेलवे का लेखा ठीक तरीके से पेश नहीं किया जाता । अवहार निधि तदर्थ प्रयोजनों के लिये ही रखी जाती है । यदि इसे वाणिज्यिक ढंग पर पेश किया जाये तो हमें पता है कि बहुत सी अवहार निधि का उपबन्ध करने की आवश्यकता होती है । इसी कारण आयकर विभाग भी अवहार की इजाजत देता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि उस आधार पर कितनी अवहार निधि की आवश्यकता पड़ेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दूसरी योजना के पहले वर्ष में नई लाइनें बनाने की कोशिश की जा रही है। श्वेतपत्र से स्पष्टतया यह मालूम होता है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे को प्राथमिकता दी जा रही है। मैं चाहता हूं कि सभी रेलवेज का विकास समान रीति से किया जाये। मैं पश्चिमी रेलवे की छोटी पटरी के विभाग के सम्बन्ध में कुछ बातों की ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिलाता हूं।

छोटी पटरी के विभाग पर यातायात सदैव अवरुद्ध रहता है। पर्याप्त यात्री गाड़ियां भी उस विभाग पर नहीं चलतीं। अब अहमदाबाद से कालोल तक लाइन दोहरी की जा रही है--किन्तु इसे मेहसाना तक किया जाये। कांडला पत्तन के बन जाने के बाद यातायात और बढ़ेगा--इसलिये दोहरी लाईन की आवश्यकता और भी ज्यादा है।

† **श्री ब० स० मूर्त्ति** (एलुरु) : कल श्री नम्बियार केरल में साम्यवादी दल की विजय पर प्रसन्न हो रहे थे--किन्तु मैं उन्हें एक चेतावनी देना चाहता हूं--कि उनके श्रमिक संघों को भी रचनात्मक नीति अपनानी चाहिये।

मुझे खुशी है कि रेलवे मंत्री ने रेलवे कर्मचारियों के लिये नई योजना बनाई है। किन्तु स्टेशन मास्टरों तथा खोमचे वालों से न्याय नहीं हुआ है।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह देखें कि क्या सभी कर्मचारी इस नीति से सन्तुष्ट हैं?

सहायक स्टेशन मास्टर का सारा जीवन दुखमय होता है। सब से पहले प्रशिक्षण के बाद वह सिगनेलर बनता है--चार वर्ष यह काम करने के बाद वह सहायक स्टेशन मास्टर बनने के योग्य होता है। इस नयी नीति से इन लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचता। "हिन्दु" अखबार में भी इस सम्बन्ध में इसी प्रकार का टिप्पण निकला था। इन लोगों की संख्या २३,००० है और इनका काम महत्वपूर्ण है और बड़ी जिम्मेदारी होती है।

रेलवे बोर्ड ने अभी तक उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसी कारण उन्होंने वैधानिक तरीके पर प्रदर्शन करने का संकल्प किया है। १ जुलाई, १९५६ को उन्होंने अपनी मांगों का दिन मनाया था जो कि बड़ा सफल रहा है। इतना होने पर भी रेलवे बोर्ड ने ध्यान नहीं दिया।

उपमंत्री महोदय और भूतपूर्व मंत्री इन कर्मचारियों के प्रति बड़ी सहानुभूति रखते आये हैं और उन्होंने वायदे भी किये थे परन्तु दुर्भाग्यवश उनके वायदे पूरे नहीं हुए। वर्तमान मंत्री महोदय ने भी स्टेशन मास्टरों को भुला दिया। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इन पर भी ध्यान दें। इस वर्ष १ फरवरी को स्टेशन मास्टरों ने सत्याग्रह किया जिससे प्रशासकों को उनकी शिकायतों की जानकारी हो सके। सहायक स्टेशन मास्टर का वेतन क्रम ६४ रुपये से, जिसमें प्रति वर्ष ४ रुपये की बढ़ोतरी है, प्रारम्भ होता है। यह स्थिति १२० रुपये तक रहती है जिसके पश्चात् दक्षतावरोध* आता है और ५ रुपये प्रति वर्ष बढ़ोत्तरी हो जाती है जिसमें लगभग १५ वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इन लोगों की ओर उदारतापूर्वक ध्यान दें।

पदोन्नति के लिये ४५८ पद थे जो अब १,१११ कर दिए गए हैं। इनमें से ३२३ पद गार्डों के लिए रक्षित हैं तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए केवल ३०० पद हैं। हम यह नहीं चाहते कि अन्य कर्मचारी इस प्रतिद्वन्द्वता में भाग न लें परन्तु यह चाहते हैं कि सहायक स्टेशन मास्टरों के साथ न्याय हो। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस पर शीघ्र विचार करें जिससे सभी प्रकार का असंतोष समाप्त हो जाये।

---

*Efficiency Bar.

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री न० स० मूर्ती]

मुझे प्रसन्नता है कि रेलवे प्रशासन ने विभागीय भोजन व्यवस्था तथा फेरी लगा कर वस्तुयें बेचने वालों को कुछ स्टेशनों पर अपने कब्जे में कर लिया है । परन्तु साथ ही साथ इसका खेद भी है कि इसमें पदाधिकारियों की ज्यादतियों के कारण सफलता नहीं मिली है । यह मामला उच्च-पदाधिकारियों के हस्तक्षेप से ही सुलझ सकता है, क्योंकि यह पदाधिकारी फेरी लगा कर वस्तुयें बेचने वालों की कठिनाइयों को समझते नहीं हैं । मैं चाहता हूं कि रेलवे बोर्ड को इस पर पूर्णतः विचार करना चाहिए ।

भोजन व्यवस्था करने वालों की भी अपनी कठिनाइयां हैं । इनको २४ घंटे काम करने के बाद भी छुट्टी नहीं मिलती । इसलिए ऐसा प्रबन्ध किया जाना चाहिए जिससे कम से कम २४ घंटे के बाद इनको छुट्टी मिल सके ।

कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि एक भय सा समाया हुआ है कि यदि कर्मचारियों ने एक संघ बना लिया और उसको सरकारी मान्यता दी गई तो कर्मचारियों के प्रार्थना पत्रों का ढेर लग जायेगा और अधिकारियों के सामने मुसीबत आ जायेगी । मेरा विचार है कि प्रशासन को इससे डरना नहीं चाहिए तथा इस पर विचार करना चाहिए कि उनकी मांगें सही हैं अथवा नहीं । स्वतंत्र भारत में पदाधिकारियों की सभी की बातों पर विचार करना चाहिए । कभी कभी यह कहा जाता है कि सभी संघों को अपनी मांगें नेशनल फेडरेशन आफ रेलवेमैन के द्वारा भेजनी चाहिएं । मेरा विचार है कि या तो इस फ़ेडरेशन का लोकतंत्रीय आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए अथवा संघों को मान्यता दी जानी चाहिए जिससे सभी श्रेणियों के कर्मचारी पदाधिकारियों से मिल सकें तथा अपनी कठिनाइयों को उनके सामने रखकर उनको दूर करा सकें । इन शब्दों से मैं मंत्री महोदय से दुबारा प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इन मामलों पर स्वयं विचार करें जिससे सभी कठिनाइयां दूर की जा सकें ।

†**श्री लक्ष्मय्या** (अनन्तपुर) : सर्व प्रथम मैं रेलवे मंत्रालय को पिछले पांच वर्षों में जनता को तथा यात्रियों को सुविधा देने के बारे में बधाई देता हूं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

मेरा भी माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र रेड्डी के समान ही मत है कि प्रशासन की कार्यक्षमता के लिए दक्षिण खण्ड के दो खण्ड बनाने आवश्यक हैं ।

भोजन व्यवस्था तथा अन्य कठिनाइयों के बारे में भी, मैं श्री रामचन्द्र रेड्डी से पूर्णतः सहमत हूं । मुझे हर्ष है कि रेलों में खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है । भोजन बड़ा सस्ता तथा सुस्वाद मिलता है । यह ठीक है कि अब भी उसमें सुधार हो सकते हैं परन्तु फिर भी रेलवे मंत्रालय ने जो कुछ सुधार गत पांच वर्ष में किए हैं उससे अधिक किसी भी प्रकार सुधार नहीं किए जा सकते थे ।

इस बधाई के पश्चात् मैं रेलवे मंत्री का ध्यान दक्षिण रेलवे की मीटरगेज लाइन की ओर दिलाना चाहता हूं क्योंकि इसकी बहुत उपेक्षा की गई है । इसके डिब्बे तथा इंजन बड़ी खराब हालत में हैं । इसकी गाड़ियां देर से चलती हैं । रेलवे प्रशासन ने इसको ठीक करने का कोई प्रयत्न नहीं किया है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र से रेनीगुन्टा तक चलने वाली मीटरगेज लाइन की हालत बहुत ही खराब है इसीलिए मैं चाहता हूं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं रेलवे मंत्री श्री अलगेशन को बधाई

†मूल अंग्रेजी में ।

देता हूं कि उन्होंने चितलपल्ली गांव के निकट रेलवे स्टेशन हाल्ट बनवा दिया है । निश्चित रूप से अब यहां के आसपास की जनता रेलवे प्रशासन को आभार प्रकट करेगी ।मैं अनंतपुर से दो अथवा तीन मील की दूरी पर एक और हाल्ट बनवाना चाहता था परन्तु उस पर अभी कोई ध्यान नहीं दिया गया मेरा रेलवे मंत्री से अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में भी ध्यान दें ।

अब मैं गुन्टकल से तुमकर तक रेलवे लाइन बनाने के बारे में कहूंगा जिसके बारे में मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं । इस क्षेत्र में कपास, मूंगफली तथा तेल का बहुत उत्पादन होता है । इसके अतिरिक्त यह लाइन वज्रकारूर से गुजरेगी जहां पर हीरे मिलते हैं । यह लाइन उरावकोंडा, वेलागधर, कल्याणपुरा, कम्बापुर से गुजरेगी जो कि बड़े महत्वपूर्ण स्थान हैं । मैं मानता हूं कि इस लाइन से अधिक आय नहीं होगी क्योंकि यह एक पिछड़ा हुआ इलाक़ा है । यहां की आर्थिक दशा ठीक करनी होगी तथा वह तभी होगी जब यह लाइन बन जायेगी । इसलिये रेलवे मंत्री को जनता की सही शिकायत को सुनना चाहिए तथा उसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए । एक और लाइन का मैंने प्रस्ताव रखा है वह धर्मवरम से कल्याणपुरी तक की लाइन है । इसलिए इस पर भी विचार किया जाना चाहिए ।

मैंने रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य के नाते कल्याणपुरी में एक आउट एजेन्सी खोलने का प्रस्ताव रखा था । इसके आदेश भी हो गये थे परन्तु यह अब तक नहीं किया गया इसलिए मैं रेलवे मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह ज़िला अनन्तपुर में कल्याणद्रुग में एक आउट एजेन्सी न खुलने के कारणों को देखें ।

यह जानकर दुख होता है कि बिना टिकट यात्रायें अभी भी की जाती है । मैंने तथा कुछ अन्य सदस्यों ने सुझाव दिया था कि कर्मचारी बढ़ा दिए जायें । परन्तु हमें उत्तर दिया गया कि कर्मचारी पर्याप्त बढ़ा दिए गये हैं । मेरा सुझाव था कि एक बड़े डिब्बे के लिए एक चैकर होना चाहिए । यदि ऐसा हो गया तो यह निश्चित है कि बिना टिकट यात्रा बन्द हो जायेगी ।

†**श्री पोकर साहेब** (मल्लपुरम्) : मैं नीलाम्बर से फरोक तक नई लाइन खोलने के बारे में कुछ कहना चाहता हू । जब शोरानूर से नीलाम्बर तक लाइन खोली गई थी तब इसको फरोक तक बढ़ाने का विचार था । यदि यह लाइन बन जाती तो इससे पर्याप्त आय हो सकती थी । मेरा रेलवे मंत्री से अनुरोध है कि वह इस सुझाव पर विचार करे ।

कालीकत रेलवे स्टेशन को दुबारा बनाने के सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं । मेरा निवेदन है कि कालीकत स्टेशन बहुत पुराना है तथा वहां बहुत भीड़भाड़ रहती है । इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसे वह मामले की जांच करे तथा इस स्टेशन को शीघ्रता से बनायें ।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं, सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने रेलवे मंत्रालय की, पटुता से काम करने तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू करने के बारे में प्रशंसा की । इस बारे में दो राय नहीं हो सकतीं कि रेलवे देश के औद्योगिक अथवा सांस्कृतिक, दोनों ही प्रकार विकास में महत्वपूर्ण योग देती है । सभी प्रकार का परिवहन देश के विकास में सहयोग देता है । मैं अपने मित्र श्री तुलसीदास से सहमत हूं कि देश के सभी आर्थिक कार्यों के लिए आवश्यक यातायात को केवल रेलवे ही पूरा नहीं कर सकती तथा अन्य यातायातों पर भी ध्यान देना आवश्यक है । मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि रेलवे मंत्रालय भी यह जानता है कि हम यातायात की पूरी मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं । मैं परिवहन मंत्रालय के लिये उत्तरदायी हूं तथा मैं यह देखने का प्रयत्न कर रहा हूं कि हम तटीय परिवहन, नदी परिवहन, सड़क परिवहन का किस प्रकार विकास कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री जगजीवन राम]

मैं इस बारे में और कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मेरे मित्र तुलसीदास संभवतया यह महसूस करेंगे कि इन अन्य परिवहन के लिए भी धन की आवश्यकता होती है तथा विदेशी मुद्रा की भी आवश्यकता होती है जिसकी हमारे पास अभी बड़ी कमी है।

अब मैं श्री नम्बियार द्वारा उठाये गये मामलों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। संभवतया वह हमेशा भारतीय कार्मिक संघों के बारे में ही सोचते रहते हैं। अन्यथा वह सारा दोष सरकार का नहीं निकालते जबकि वह जानते हैं कि रेलवे के इतिहास में प्रथम बार सभी मान्यता प्राप्त संघों का एक सम्मेलन बुलाया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ पहले ही रेलवे के दो संघों को, जो आई० एन० टी० यू० सी० से सम्बद्ध नहीं है रेलवे प्रशासन ने मान्यता दी है। इसलिए यह कहना कि सरकार कार्मिक संघ के साथ पक्षपात करती है, सरकार पर ग़लत दोष लगाना है।

मैं कार्मिक संघों के लोकतंत्रीय विकास का पक्षपाती हूं। जहां कहीं भी मेरा वास्ता श्रमिकों से पड़ा है मैंने सर्वदा यह प्रयत्न किया है कि कार्मिक संघों का विकास लोकतंत्रीय आधार पर हो तथा साथ ही साथ इसका ध्यान रखा है कि पेशेवर नेता श्रमिकों को भड़काने की स्थिति में न रहें तथा श्रमिक स्वयं अपना भला बुरा सोच सकें। मैं इस बात को छिपाना नहीं चाहता कि इस देश में बुरे से बुरा मालिक भी अपने कर्मचारियों का जितना शोषण करता है, उससे कहीं अधिक शोषण कुछ पेशेवर श्रमिक नेता अपने असर में रहने वाले मज़दूरों का करते हैं। कार्मिकसंघों को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने के लिये प्रोत्साहित करने का अर्थ यह भी है कि उनको स्वस्थ भी बनाया जाये। तभी यह हो सकेगा कि अन्त में मज़दूर पेशेवर श्रमिक नेताओं पर ही निर्भर नहीं रहेंगे, और वे अपने ही पैरों पर खड़े होकर स्वयं अपने हितों की देखभाल कर सकेंगे।

रेलवे कर्मचारियों के विभिन्न कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों का एक जगह इकट्ठे होना बड़ी ही अच्छी बात है। उन सभी ने उस समय एक स्वर से मांग की थी कि रेलवेज में केवल एक ही राष्ट्रीय फेडरेशन होना चाहिये, और यथा सम्भव ज़ोनीय रेलवेज़ में एक ही संघ रखना चाहिये। उन्होंने मुझ से अनुरोध किया था कि मैं ऐसा सूत्र तैयार करने में उनकी सहायता करूं, जिसके द्वारा विभिन्न संघों को एक ही में मिला कर एक वास्तव में प्रतिनिधि राष्ट्रीय फैडरेशन स्थापित किया जा सके। साथ ही मैं एक बार फिर कहता हूं कि मैं कार्मिक संघों के मामलों में बाहर के अधिकारियों के हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं हूं। कार्मिक संघों का संचालन स्वयं मजदूरों को ही करना चाहिये। इसीलिये, मैं रेलवे मंत्री के रूप में उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। लेकिन, वे सदा ही मेरी सेवाओं से लाभ उठा सकते हैं, फिर उनका मूल्य जो भी आंका जाये। वे जब भी चाहें मुझे बुला सकते हैं और विभिन्न परस्पर विरोधी संघों को मिलाकर एक दृढ़ और प्रतिनिधित्वपूर्ण राष्ट्रीय फेडरेशन स्थापित करने में मेरी सहायता ले सकते हैं।

मेरे माननीय मित्र श्री ब० स० मूर्त्ति ने स्टेशन मास्टरों और सहायक मास्टरों के कुछ तथा कथित संघों की मान्यता के सम्बन्ध में कुछ खेद प्रकट किया था। मैं प्रत्येक शब्द को बड़ी सावधानी से प्रयोग कर रहा हूं। मैं श्रमिकों को विभाजित नहीं करना चाहता। मैंने सदा ही, प्रत्येक अवसर पर, उनको एक करने का ही प्रयास किया है। यदि मेरा मंशा कर्मचारियों को विभाजित करना होता, तो मैं श्री मूर्त्ति की राय और उनका सुझाव मान लेता, और यह उनमें फूट डालने का बड़ा ही चतुराई भरा तरीक़ा होता। तब मैं बहुत से कार्मिक संघों को बिना किसी सिद्धान्त के मान्यता देने लगता। मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि इससे रेलवे कर्मचारियों में फूट पड़ेगी। उनमें कार्मिक संघों की संख्या बढ़नी नहीं चाहिये; उनमें श्रेणीवार कार्मिक संघ नहीं बनने चाहियें। शायद, श्री मूर्त्ति इससे अनभिज्ञ हैं। आज

तो वे स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों को एक ही मान कर चल रहे हैं, लेकिन आग चलकर उनमें कुछ बातों को लेकर टकराव हो सकता है और वे अपने हितों को अलग-अलग समझने लग सकते हैं। उस समय वे अपने अपने कार्मिक संघ अलग अलग रखना चाहेंगे। श्री मूर्त्ति को अभी इसका थोड़ा और अनुभव करना चाहिये। शायद अभी उन्हें यह मालूम नहीं है कि रेलवेज़ में कर्मचारियों की कितनी श्रेणियां हैं। यदि हम प्रत्येक श्रेणी के लिये एक कार्मिक संघ को मान्यता दें, तो हमें दर्जनों संघों को मान्यता देनी पड़ेगी। इसीलिये, मैं काम की श्रेणी के आधार पर रेलवे कर्मचारियों को मान्यता देने के विरुद्ध हूं। हम इस समय एक बहुत ही अच्छे सिद्धान्त पर चल रहे हैं कि एक ज़ोन में एक ही संघ को मान्यता दी जाये और उसमें सभी श्रेणियों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व हो।

पंडित द्वा० ना० तिवारी की यह सूचना ग़लत है कि रेलवेज़ में अधिकारियों के भी संघ बने हुए हैं। उनकी संस्थायें अवश्य हैं। संघों में तो तमाम श्रेणियों के तीसरे और चौथे वर्ग के मज़दूर रहते हैं। तीसरे वर्ग के मज़दूरों में कई दर्जन श्रेणियां हैं। यदि उन्हें श्रेणियों के आधार पर विभाजित किया जाये, तो प्रत्येक श्रेणी में कुछ ही हज़ार मज़दूरों से अधिक नहीं आयेंगे। उस आधार पर तो उनमें सौ से भी अधिक संघ बन जायेंगे। इसलिये, श्री मूर्त्ति को सरकार की आलोचना करने से पहले कुछ सोच लेना चाहिये।

श्री त्रिवेदी ने स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के हितों की हिमायत की है। लेकिन, अपने भाषण के बाद के भाग में, उन्होंने उन के ही हितों के विरुद्ध कहा है और उन पर दोषारोपण किया है कि वे टिकटों की जांच करने वाले कर्मचारियों में के साथ साठ-गांठ करके बिना टिकट की यात्रा को प्रोत्साहित करने तथा कर्त्तव्य की उपेक्षा करते हैं।

श्री त्रिवेदी कई हितों के पक्ष में एक ही साथ बोलते हैं, पर वे शायद यह नहीं जानते कि किन हितों का पक्षपात करना वांछनीय है और किनका नहीं। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का पक्ष लिया, और फिर साथ ही श्री नम्बियार के साथ कम्युनिस्टों के पक्ष में भी बोलने लगे। कम्युनिस्ट और साम्प्रदायिकता का यह एक विचित्र सा मेल है!

मैं यह स्पष्ट रूप में कह देना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति किसी भी सिद्धान्त या विचारधारा का समर्थक रहा हो, लेकिन जब बाद में वह उसे त्याग कर सरकारी सेवा में आ जाता है तो उसके प्रति कोई भी विभेद नहीं किया जाता। नौकरी के लिये प्रार्थनापत्र भेजने वाले व्यक्तियों में कोई भी विभेद नहीं किया जाता; वह चाहे पहले कम्युनिस्ट रहा हो या राष्ट्रीय स्वयं सेवक। हम सरकारी नौकरी के इच्छुक नागरिकों में कोई भी विभेद नहीं करते, लेकिन सरकारी सेवा में आजाने पर उनके नागरिकता के अधिकारों पर अवश्य ही कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिये। सरकारी सेवक बनने पर इन व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों पर जान बझ कर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं, उनकी कुछ सीमायें निर्धारित कर दी जाती हैं। रेलवे सेवा में आने के बाद भी, यदि कोई व्यक्ति कम्युनिस्ट, राष्ट्रीय स्वयं सेवक या कांग्रेस दल की राजनीतिक सक्रियता में हाथ बंटाता है, तो उसे इसका फल भुगतना ही होगा। यदि श्री त्रिवेदी मुझे ऐसे विभेद के शिकार बनने वाले व्यक्तियों के नाम दे दें, तो मैं उसकी जांच करूंगा।

मैं फिर कहता हूं कि मैं सदा से रेलवे कर्मचारियों के संगठन को प्रोत्साहन देता रहा हूं, मैं यही चाहता हूं कि उनके कार्मिक संघ और फेडरेशन स्वस्थ और लोकतंत्रिक ढंग से विकसित हों। मैं सदा ही उनकी एकता के पक्ष में रहा हूं और मैं इन संघों को मिलाकर एक बनाने में सहायता दूंगा जिससे कि उनकी संख्या घट जाये और उनका एक प्रतिनिधित्वपूर्ण राष्ट्रीय फेडरेशन बन सके।

[श्री जगजीवन राम]

मैंने रेलवेज़ में तीसरे वर्ग के कर्मचारियों की कुछ ऊंची श्रेणियों में पदों के पुनर्विभाजन के लिये कुछ घोषणायें की हैं। मैं आय-व्ययक प्रस्तुत करते समय ही बता चुका हूं कि उनसे तीसरे वर्ग के कर्मचारियों को काफ़ी लाभ होगा। श्री मूर्त्ति, श्री त्रिवेदी और श्री नम्बियार ने भी स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के मामले की बड़ी वकालत की है। उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि उन घोषणाओं से उनको कोई ख़ास फायदा नहीं होगा। वह गलत है। उन्होंने उस घोषणा के उपलक्षणों को समझने की कोशिश नहीं की है। मेरा अनुरोध है कि ऐसा निष्कर्ष निकालने से पहले वे उसका अध्ययन करलें। उससे उनको लाभ होगा, काफ़ी अधिक लाभ होगा। श्री नम्बियार से भी मेरा यही अनुरोध है।

श्री नम्बियार कहते हैं कि चौथे वर्ग के कर्मचारियों को उससे कोई लाभ नहीं होगा। मैंने तो कभी भी ऐसा दावा नहीं किया कि चौथे वर्ग के कर्मचारियों को भी इससे लाभ होगा। वास्तव में, वह घोषणा चौथे वर्ग के कर्मचारियों के सम्बन्ध थी ही नहीं। इसलिये, उसका प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे खुशी है कि आप यह तो मानते हैं कि तीसरे वर्ग के कर्मचारियों को उससे लाभ हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे कुछ संशालु मित्र भी यह मानने लगे हैं।

फरवरी की उस घोषणा के समय ही, मुझे यह अच्छी तरह से मालूम था कि उस में चौथे वर्ग के कर्मचारी सम्मिलित नहीं हैं, और इसीलिये मैंने १९ मार्च को चौथे वर्ग के सम्बन्ध में कुछ कहा था। इस सभा में, १९ मार्च १९५७ को राजस्व और व्यय का विवरण प्रस्तुत करते समय, मैंने श्री नम्बियार का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया था। मैंने उस समय कहा था कि :

> "देखा गया है कि चौथे वर्ग के कर्मचारियों को उच्चतर वर्गों में पदोन्नत करने के मामले में, वर्तमान नियम कुछ प्रतिबन्ध ही लगाते हैं और कुछ श्रेणियों के लिये तो पदोन्नति की कोई भी सम्भावना है ही नहीं।"

मैं चाहता हूं कि इस मामले की जांच एक ऐसी समिति करे, जिसमें विभिन्न हितों के प्रतिनिधि हों। मैं बहुत ही शीघ्र एक ऐसी समिति स्थापित करूंगा, और मेरा विचार है कि उस समिति में श्रमिकों के कुछ प्रतिनिधि भी रहें। वे सभी मिलकर चौथे वर्ग की पदोन्नति की अतिरिक्त सम्भावनाओं का पता लगायें और तीन महीने के अन्दर अपनी सिफ़ारिशें हमें दे दें।

रेलवेज़ के पुनः समूहीकरण और डिवीज़नों की प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न उठाये गये थे। रेलवेज़ का समूहीकरण और पुनः समूहीकरण दो बार किया जा चुका है। उसके गुण-दोषों की अधिक विवेचना किये बिना ही मैं रेलवेज़ के पुनः समूहीकरण के पुनरीक्षण और प्रतिसंहरण का सुझाव देने वाले अपने मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वे मामले को वहीं तक रहने दें। आइये, हम पुनः समूहीकृत रेलवेज़ की वर्तमान प्रणाली से ही काम चलायें और हर वर्ष उसमें परिवर्तन न करें।

डिवीज़नों की प्रणाली के सम्बन्ध में, श्री उ० मू० त्रिवेदी ने रतलाम का, और वहां फाइलों में विलम्ब होने या उनके खो जाने का प्रश्न उठाया था। हो सकता है कि उनके कथन में कोई भी अतिशयोक्ति न हो। जब भी हम किसी चीज़ का पुनर्गठन करते हैं, तो कुछ समय के लिये कार्यालय में कुछ गड़बड़ी फैल ही जाती है। उसमें विलम्ब होना कोई अचम्भे की बात नहीं है। कभी-कभी स्थान की भी कमी पड़ जाती है, और उसके अभाव में कार्यालय और निवास के स्थानों के सम्बन्ध में कर्मचारियों को असुविधा भी होती है।

लेकिन, अधिक बड़ी रेलवेज़ में डिवीज़नों की इस प्रणाली को अधिक उपयोगी समझा गया है और अब यह प्रणाली लगभग सभी रेलवेज़ में चालू की जा चुकी है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रार-

म्भिक अवस्थाओं में कार्य में कुछ अव्यवस्था होने, कुछ गड़बड़ी और विलम्ब होने की सम्भावना रहती ही है। लेकिन, विशेषज्ञों का मत है कि डिवीज़नों की प्रणाली ही अन्त में रेलवेज़ की कार्य-कुशलता के सर्वोत्तम हितों में है ।

जहां तक कि ट्रेनों के ठीक समय पर न पहुंचने का और सम्बन्धित ट्रेनों के समय चूकने का सम्बन्ध है, मैं यहां उल्लिखित अलग-अलग मामलों के सम्बन्ध में तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं सभा को यह बताता हूं कि एक सामान्य अनुदेश ऐसा है कि अन्य ट्रेनों का सम्बन्ध जोड़ना सम्भव बनाने के लिये ट्रेनों को पन्द्रह मिनटों तक रोका जा सकता है। श्री उ० मू० त्रिवेदी और श्री राघवाचारी आदि ने जो उदाहरण दिये हैं, मैं उनकी अलग अलग जांच करूंगा।

कुछ स्थानीय महत्व के भी प्रश्न उठाये गये हैं, जैसे कि कुछ रेलवे इमारतों का उपयोग, या किसी स्थान विशेष में जगह की कमी, या ट्रेन विशेष के किसी स्टेशन विशेष पर रुकने की व्यवस्था। मैं इन सभी मामलों की जॉच कराऊंगा, और कोशिश करूंगा कि सभी में उचित प्रबन्ध किया जाय। कोई प्रशासकीय कठिनाई न होने पर, जो भी हो सकेगा मैं सदस्यों की इच्छानुसार प्रबन्ध करने का प्रयास करूंगा ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी ने अजमेर के कारखाने का और इस्पात तथा लोहे की कमी का प्रश्न उठाया है। मैं उन्हें बताता हूं कि अजमेर के कारखाने की अनुमति क्षमता ३५ टन की है और हम इस समय उस में ३० से ४० टन तक उत्पादन कर रहे हैं। इसलिये, वे इस से सहमत हो जायेंगे कि हम उस की क्षमता का पूरा पूरा लाभ उठा रहे हैं ।

सामग्री के अभाव के सम्बन्ध में, मैं सभा को बताता हूं कि हमारे यहां लोहे और इस्पात सिमेंट और इमारती लकड़ी की कमी है। कुछ सदस्यों न सुझाव दिया था कि लोहे और इस्पात के अभाव में लकड़ी के स्लीपर्स का उपयोग किया जाय। रेलवे बोर्ड ने इस की जांच की थी, और अब हम लकड़ी के स्लीपर्स ही अधिक अधिक उपयोग कर रहे हैं । लेकिन, इमारती लकड़ी की कमी के कारण, अब लकडी के स्लीपर्स की भी कमी पड़ रही है ।

हम ने अपनी वनीय सम्पदा के उपयोग की भी सभी सम्भावनाओं की जांच करली है; जिस से कि हमें आवश्यकतानुसार स्लीपर्स मिल सकें ।

हाल ही में, हम ने अपने यहां के कुछ अधिकारियों को द्वीपों में भी भेजा था। हम ने वन विभाग और कृषि विभाग से भी अनुरोध किया है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से और अधिक मात्रा में इमारती लकड़ी प्राप्त करने की सम्भावना पर विचार किया जाय और यह भी पता लगाय जाय कि क्या नेपाल से अधिक इमारती लकड़ी मिल सकती है ?

मुझे भी सुन कर अचम्भा हुआ था, पर वास्तविकता यही है कि लकड़ी के स्लीपर्स की भी कमी है ।

हमें लकड़ी के स्लीपर्स के विशेष विवरणों का प्रत्यावर्तन भी करना पड़ेगा। मैंने अपने यहाँ के विशेषेज्ञों से कहा है कि वे स्लीपर्स के लिये केवल कुछ ही नहीं बल्कि इमारती लकड़ी की लगभग सभी किस्मों के उपयोग की सम्भावनाओं की परीक्षा करें। हम इन कमियों को पूरा करने के लिये सभी सम्भव उपाय कर रहे हैं ।

श्री जांगड़े ने पूछा था कि यदि हम इन कमियों को दूर नहीं कर पाते, तो हम अपनी द्वितीय पंच वर्षीय योजना को कैसे पूरी कर पायेंगे। हमारे सामने भी यही प्रश्न है। हम अन्य देशों से भी जितना हो सकता है लोहा और इस्पात प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं अधिकारियों का एक दल विदेशों में भेजने का विचार भी कर रहा हूं, जिस से कि वे वहां से लोहा और इस्पात प्राप्त करने की सम्भावना

[श्री जगजीवन राम]

का पता लगा सकें। हम संगठनात्मक व्यवस्था और प्रक्रिया में भी कुछ ऐसे परिवर्तन कर रहे हैं जिन से कि किसी भी स्थान पर मिलने वाले लोहा और इस्पात को हासिल करने में विलम्ब न हो सके।

श्री रामचन्द्र रेड्डी ने सीमेंट की कमी के इस काल में बड़े बड़े प्लेटफार्मों के निर्माण में सीमेंट के बहुत अधिक प्रयोग की आलोचना की है। मैं उन्हें आश्वासन करता हूं कि मैं इस के बारे में बहुत अधिक सावधानी रख रहा हूं।

सभा को ज्ञात है कि मैंने बड़े बड़े भव्य भवनों का निर्माण बन्द कर दिया था और जो यह आलोचना की जा रही है कि महत्वहीन स्थानों पर भी प्लेटफार्मों पर अत्यधिक सीमेंट का प्रयोग किया गया है, मैं इस के सम्बन्ध में जांच करूंगा। मैं इसे बहुत बुरा समझता हूं कि सीमेंट अथवा इस्पात का अनावश्यक रूप से अधिक प्रयोग किया जाय।

श्री जांगड़े ने रेलवे कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया था। हम इस विषय में कुछ कार्यवाही कर रहे हैं। हम ने कुछ शिक्षा सलाहकार नियुक्त किये हैं और कुछ रेलों में शिक्षा पदाधिकारी नियुक्त कर रहे हैं। हमारा विचार कुछ होस्टल आरम्भ करने का है जहां दूर के स्थानों के रेल कर्मचारियों के बच्चे कम पैसों पर रखे जा सकेंगे और इस तरह उन्हें नगरों में शिक्षा प्राप्त करने का लाभ प्राप्त होगा।

श्री जांगड़े का विचार संभवतः प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में था। मैं उन रेलवे बस्तियों के मामले पर विचार करूंगा जो नगरपालिका अथवा स्थानीय बोर्ड से दूर हैं और प्रारम्भिक स्कूल खोलने के बारे में भी सोचूंगा।

उन्हों ने यह प्रश्न भी उठाया था कि रेलवे कर्मचारियों के उच्च पदों के लिये प्रार्थना पत्र अन्य विभागों अथवा मंत्रालयों को भेजने चाहियें। मैं इस पर विचार कर रहा हूं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की विकास सम्बन्धी कार्यवाहियों के कारण सभी विभागों में कर्मचारियों की कमी है अतः कभी कभी अन्य मंत्रालयों में नियुक्ति के लिये कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र भेजने में कठिनाई होती है। परन्तु, जैसा मैं ने कहा मैं इस विषय पर विचार करूंगा कि और परिस्थिति अनुसार जो संभव होगा करूंगा।

सभी सदस्यों ने जो स्थानीय समस्याओं का उल्लेख किया है उन की जांच की जायेगी और यथा संभव कार्यवाही की जायगी।

श्री उ० मू० त्रिवेदी ने इस बात पर बल दिया कि रेलवे कर्मचारी बिना टिकट यात्रा को प्रोत्साहन देते हैं।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : वस्तुतः मैं ने यह कहा था कि जिस ढंग से रेलवे अपने कर्मचारियों से बिना टिकट यात्रा के बारे में आंकड़े देने को कहती है उस के अनुसार ये आंकड़े बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाये जाते हैं।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं इस आरोप का खंडन करता हूं कि बिना टिकट यात्रा करने वालों के आंकड़ों को बढ़ाया जाता है। निःसन्देह बिना टिकट यात्रा होती है। उस के लिये हम यथा संभव सभी सावधानी बरतते हैं। वास्तव में बिना टिकट यात्रा, घूस, भ्रष्टाचार किसी को भी लिया जाये, ये सब सामाजिक कुरीतियां हैं और उन्हें सामाजिक आधार पर ही सुधारा जा सकता है। जब तक सामाजिक आधार पर इस को समाप्त करने का प्रयत्न नहीं किया जायगा और सामाजिक चेतना को न जगाया जायगा जब तक केवल निरीक्षक कर्मचारियों को बढ़ाने और प्रक्रिया को सख्त करने से समस्या हल नहीं होगी।

†मूल अंग्रेजी में।

अतः मुझे इस का पूरा ध्यान है और रेलव प्रशासन इस विषय में जो कुछ कर सकता है करेगा। परन्तु मैं अपने मित्रों से अपील करता हूं कि वे जनता में ऐसे भाव पैदा करें कि वे बिना टिकट यात्रा से घृणा करने लग जायें जिस से रेलवे के कर्मचारी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं।

मेरा विचार है कि मैंने माननीय सदस्यों की सभी मुख्य बातों का उत्तर दे दिया है और उन्होंने मेरे और रेलवे बोर्ड के प्रति जो सहृदयतापूर्ण भाव व्यक्त किये हैं, मैं उन के लिये आभारी हूं।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने असंगठित कार्मिक दलों का प्रोत्साहन देने के लिये नहीं कहा था वरन यह कहा था कि जहां कोई बात हो वहां कर्मचारियों को अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिये। और कार्मिक संघों का प्रश्न बीच म नहीं आना चाहिये।

†**श्री जगजीवन राम** : इस सम्बन्ध में सभा को बताना चाहता हूं कि रेलवे कर्मचारियों के मामले पर सदा विचार किया जाता है चाहे वह कार्मिक संघ का सदस्य हो अथवा नहीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : रेलवे आयव्ययक पर सामान्य चर्चा समाप्त हुई।

लेखानुदान की मांगें (रेलवे)

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष १९५७–५८ के लिये रेलवे संबंधी लेखानुदान की ये मांगें प्रस्तुत की गयीं :

मॉग संख्या	शीर्षक	राशि
		०
१	रेलवे बोर्ड	२९,७८,०००
२	विविध व्यय	७०,५६,०००
३	चालू तथा अन्य लाइनों के लिये भुगतान	१८,०३,०००
४	कार्यवहन व्यय—प्रशासन	१२,७९,६५,०००
५	कार्यवहन व्यय—मरम्मत तथा संधारण	३९,१३,३३,०००
६	कार्यवहन व्यय—संचालक कर्मचारी	२४,७४,६६,०००
७	कार्यवहन व्यय—संचालन (इंधन)	२०,७२,४२,०००
८	कार्यवहन व्यय—कर्मचारियों तथा इंधन के अतिरिक्त अन्य व्यय	७,०२,९९,०००
९	कार्यवहन व्यय—विविध व्यय	१०,८१,५८,०००
१०	कार्यवहन व्यय—श्रम कल्याण	२,९९,०३,०००
११	कार्यवहन व्यय—अवक्षयण रक्षित निधि के लिय विनियोग	१८,७५,००,०००
१३	चालू लाइनों पर काम (राजस्व)—श्रम कल्याण	४३,०५,०००
१४	चालू लाइनों पर काम (राजस्व)—श्रम कल्याण के अतिरिक्त	४,४५,५३,०००
१५	नये रेल पथों का निर्माण	८,६५,८५,०००
१६	चालू लाइनों पर काम—विस्तार	१५४,९३,९१,०००
१७	चालू लाइनों पर काम—प्रतिस्थापन	२६,२९,३१,०००
१८	चालू लाइनों पर काम—विकास निधि	१३,४८,७३,०००

†मूल अंग्रेजी में।

[उपाध्यक्ष महोदय]

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
			रु०
१	श्री नम्बियार .	प्राक्कलन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर रेलवे पुनर्वर्गीकरण के प्रश्न पर जांच की आवश्यकता ।	१००
१	श्री नम्बियार .	सभी गाड़ियों में तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये सोने के स्थान की व्यवस्था की आवश्यकता ।	१००
१	श्री नम्बियार .	तृतीय श्रेणी के डिब्बों में भीड़ भाड़ कम करने की आवश्यकता ।	१००
१	श्री नम्बियार .	अल्प वेतन वाले कर्मचारियों के पुनरीक्षण की आवश्यकता ।	१००
१	श्री नम्बियार .	कार्मिक संघों को मतदान कर के मान्यता देने की आवश्यकता	१००
१	श्री पी० सुब्बाराव (नौरंगपुर)	उच्च पदाधिकारियों की कुशलता	१००
१	श्री त० ब० विट्ठल राव	मध्य रेलवे के डोरनाकल-बेजवाड़ा सेक्शन में डेंडुकूर पर ठेकेदार द्वारा चलाये जाने वाले हाल्ट को खोलने में देरी ।	१००
१	श्री त० ब० विट्ठल राव	मध्य रेलवे के सिकंदराबाद विभाग में गेंगमैन और अन्य कर्मचारियों में परस्पर लाभ निधि योजना के विस्तार में देरी	१००
१	श्री त० ब० विट्ठल राव	मध्य रेलवे के दोरनाकल-भद्रचलम रोड सेक्शन में चमालाफद स्थान पर रेलवे स्टेशन खोलने में देरी ।	१००

मॉग संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशी
१	श्री त० ब० विट्ठल राव	मध्य रेलवे में डोरनाकल-भद्रचलम सड़क कोयला खान साइडिंग पर रामसरम स्थान पर रेलवे स्टेशन खोलने की आवश्यकता ।	१००
१	श्री त० ब० विट्ठल राव	रेलवे के पुनर्वर्गीकरण की पुनः परीक्षा की आवश्यकता ।	१००
१	श्री त० ब० विट्ठल राव	महबूबनगर गाड़ी दुर्घटना की न्यायिक जांच के प्रतिवेदन के प्रकाशन में देरी ।	१००
१	श्री त० ब० विट्ठल राव	रेलवे कर्मचारियों को दिये जाने वाले मंहगाई भत्ते को सब प्रयोजनों के लिये वेतन समझने का प्रश्न ।	१००
१	श्री त० ब० विट्ठल राव	केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार रेलवे कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि की आवश्यकता ।	१००
१	श्री त० ब० विट्ठल राव	रेलवे कर्मचारियों के वेतनों की जांच के लिये दूसरा वित्त आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता ।	१००
१	श्री त० ब० विट्ठल राव	दक्षिण रेलवे श्रमिक संघ को मान्यता देने का प्रश्न।	१००

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष है। जो सदस्य अभी तक नहीं बोले वे अब बोल सकते हैं।

†**श्री पो० सुब्बा राव** : चतुर्थ श्रेणी से प्रथम श्रेणी तक के रेलवे कर्मचारी अधिक वेतन की मांग कर रहे हैं परन्तु कोई लोगों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। परिवहन के समय सामान को बुरी तरह उठाने के कारण बहुत सामान टूटता है और कितनी ही क्षत्ति पूर्ति करनी पड़ती है।

जब रेलवे हानि को स्वीकार कर लेती है तो उस के पश्चात् भी पदाधिकारी भुगतान नहीं करते। कोरापट के मामले में भुगतान में देरी के कारण दावेदार को अभियोग चलाना पड़ा जिस पर

† मूल अंग्रजी में ।

[श्री पो० मुब्बाराम]

अभियोग के व्यय सहित १७०० रुपये की डिक्री उसे मिली। क्या यह १००० रुपये की हानि पदाधिकारियों के अनुत्तरदायी होने के कारण नहीं ?

मैं ने भ्रमण* टिकट के लिये प्रार्थना पत्र भेजा था और दक्षिण पूर्व रेलवे के चीफ कमर्शियल आफिसर को १४ दिन की पूर्व सूचना दी थी परन्तु उस का अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला। क्या यह उन के उत्तरदायी होने का प्रमाण है ?

अंग्रेजों के शासन काल में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था कि समय बीत जाने के कारण दावा अस्वीकार किया गया हो। परन्तु अब समय होने पर भी दावे अस्वीकार किये जाते हैं।

समय सारिणी में हर छः मास पश्चात् परिवर्तन कर दिये जाते हैं जिस से व्यथ असुविधा होती है। शाखा लाइनों की गाड़ियों का समय मुख्य लाइन की गाड़ियों के समय के . अनुकूल नहीं रखा जाता ।

तीन वर्ष हुए मैंने श्री लाल बहादुर शास्त्री से कहा था कि कुछ खंडों में खाना १० आने में और १२ आने में मिलता है परन्तु उत्तर में डेढ़ रुपया देना पड़ता है। उन्होंने एक सी दरें रखने का आश्वासन दिया था। परन्तु उस का क्या हुआ ? यहां दक्षिण के लोगों के लिये रेलवे के होटलों पर चावल का उपयुक्त प्रबन्ध नहीं और चपाती खाने के लिये मजबूर किया जाता है।

कई स्टेशनों पर देखा गया है कि हालांकि बिजली के तार पास से गुजरते हैं परन्तु स्टेशनों को बिजली नहीं दी गई। तृतीय श्रेणी के डिब्बों में सिगरेट पीने का सर्वथा निषेध कर देना चाहिये। जब कि सिनेमा और थियेटरों में ऐसा कर दिया गया है।

ड्राइवरों और गार्डों के भत्तों में बड़ा अन्तर है। ड्राइवरों को प्रति सौ मील पर ३ रु० ६ आ० और गार्डों को १रु० ६आ० भत्तामिलता है। इसकी वजह से गार्डों में बहुत असंतोष है। यदि ड्राइवरों और फायरमैनों को ऐसा काम करना पड़ता है जिस का उन के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव होता है। तो आप उन में कुछ भेद अवश्य रखिये। परन्तु इतना अन्तर नहीं होना चाहिये। अन्य उदाहरण टिकट कलक्टरों का है। उन्हें आय कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ प्राप्त नहीं होते। उन के रहने की व्यवस्था भी उचित नहीं होती। इन सब बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : श्रीमान् जी, इस मांग पर मेरे कटौती प्रस्तावों की संख्या १४ से २३ है। सब से पूर्व मैं रामागुंदम निजामाबाद रेल के सम्बन्ध यातायात सर्वेक्षण रिपोर्ट के परीक्षण का प्रश्न लेता हूं इस लाइन पर यातायात सर्वेक्षण तो हो चुका था। दो वर्ष हुए मंत्री महोदय ने पुनः नये यातायात सर्वेक्षण के आदेश भी जारी किये थे। काफी समय के पश्चात् यातायात सर्वेक्षण रिपोर्ट बम्बई के केन्द्रीय रेलवे प्रशासन को प्रस्तुत की गयी। यह सितम्बर १९५६ में ही दे दी गयी थी। परन्तु अभी पिछले दिनों एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि सर्वेक्षण रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को अभी प्राप्त नहीं हुई। काजीपत क्षेत्र के औद्योगिक विकास के कारण यहां पर रेलवे लाइन का होना आवश्यक हो गया है। इसलिये इस रिपोर्ट पर इस प्रकार की उपेक्षा नहीं दिखाई जानी चाहिये थी। यहां एशिया की सब से बड़ी सीमेंट फैक्टरी है और कोयले की खानें हैं।

कागज के कारखाने भी इस क्षेत्र में हैं। सभी प्रकार से यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसलिए रेलवे मंत्री को इस रिपोर्ट का परीक्षण करवाना चाहिए, नहीं तो थोड़े ही समय में परिवहन की समस्या बड़ी भयंकर हो जायेगी।

अन्य महत्वपूर्ण रेलवे लाईन जिसका बनाया जाना बहुत आवश्यक है वह है काजीपेठ से मंचरेला होती हुई नेलौर तक की लाइन। उत्तर का दक्षिण को और दक्षिण का उत्तर को यातायात

---

†मूल अंग्रेजी में।

*Circular Tour Ticket

इतना बढ़ रहा है कि यह दूसरा लाइन जिसका मैंने सुझाव दिया है बड़ा आवश्यक है। इस मामले पर रेलवे बोर्ड को एक ही आपत्ति है कि हमें कृष्णा नदी पर पुल बनाना पड़ेगा । यह पुल तो बनाना ही होगा। हमारा कहना है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत इसका इंजिनियरिंग सर्वेक्षण कर के कृष्णा नदी पर पुल बना दिया जाना चाहिए ।

दूसरी बात इस सम्बन्ध में रेलवे के पुनर्वर्गीकरण की कही गई है । इस सम्बन्ध में विभिन्न समितियों ने रेलवे प्रशासन को पुनर्वर्गीकरण के मामले का पुनः परीक्षण करने को कहा है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि कोई क्षेत्र तीन हजार मील से अधिक नहीं होना चाहिये। सारे मामले का ध्यान से अध्ययन कर ने पर पता चलता है कि पुनर्वर्गीकरण ठीक ढंग से नहीं हुआ है। इस से कोई अर्थ लाभ नहीं हुआ। बल्कि देरी ही हुई और यातायात का वेग रुका ही है।

पुनर्वर्गीकरण के मामले पर पुनःविचार होना चाहिये। कम से कम हमें सब आंकड़ों का पता चलना चाहिये कि पुनर्वर्गीकरण सफल हुआ है अथवा असफल। सफल होने की स्थिति में लाभ क्या हुए हैं, और यदि लाभ नहीं हुआ है तो इस मामले पर पुनः विचार किया जाये। इस मामले में प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं आना चाहिये ।

अरियालूर और महबूबनगर की दो बड़ी घटनाओं के कारण गत सत्र में यह आश्वासन दिया गया था कि पुलों की जांच करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की जायेगी। इस समिति की स्थापना हो गई है। इस में कई विशेषज्ञ हैं और उसे छः मास के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। अब इन सदस्यों को और कामों से छुट्टी मिल जानी चाहिये। ताकि वे इस महत्वपूर्ण कार्य की ओर ध्यान दे सकें। इन दुर्घटनाओं पर हुए विवाद में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का मत था कि इस पर रिपोर्ट वर्षा आरम्भ होने से पहले तैयार हो जानी चाहिये। ताकि शीघ्र ही आवश्यक पग उठाये जा सकें। यदि यह शीघ्र सम्भव न हो तो भारी वर्षा में इस क्षेत्र का विशेष ध्यान रखना चाहिये।

अभी हाल ही में वातानुकूलित बढ़िया गाड़ियां चालू की गयी हैं। रेलों की भीड़ भाड़ को विशेषतः तीसरे दर्जे के डिब्बों में समाप्त करने की ओर रेलवे बोर्ड ने कोई ध्यान नहीं दिया है। यह बड़ा आवश्यक है और इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिये। आम यात्री को वातानुकूलित गाड़ियों में चलने की इतनी चिन्ता नहीं जितनी कि स्थान मिलने की है। दूसरे इन गाड़ियों में सोया नहीं जा सकता, और ये दिल्ली से मद्रास इत्यादि लम्बे लम्बे सफर के लिये चला दी गई हैं। ४८ घंटे तक बैठा भी नहीं रहा जा सकता। इसलिये इन बढ़िया गाड़ियों के स्थान पर जनता गाड़ियां चलानी चाहिये। वातानुकूलित गाड़ियां छोटे छोटे सफर के लिये रखी जानी चाहियें।

रेलवे कर्मचारियों के सम्बन्ध में केवल इतना ही कहूंगा कि केन्द्रीय वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि जीवन निर्वाह देशनांक के आंकड़ों में २० प्रतिशत की वृद्धि हो जाने पर ५ रुपये मंहगाई भत्ता बढ़ जाना चाहिये। परन्तु, अनाज, कपड़ा और जीवन की अन्य आवश्यकतायें के मूल्य बढ़ जाने पर भी ऐसा हुआ नहीं। मंहगाई भत्ता बढ़ाने का मामला बड़ा आवश्यक है। इससे सरकारी कोष पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। वेतन आयोग के अतिरिक्त गाडगिल समिति ने भी कहा था कि एक स्तर पर आकर कीमतें स्थायी हो जायेंगी। उन की इस बात तक पर कोई विचार नहीं किया गया है। इसलिये मैं दस लाख कर्मचारियों के हित के लिये सरकार से प्रार्थना करता हूं कि उन का भत्ता बढ़ा दिया जाये। मेरी यह भी प्रार्थना है कि मंहगाई भत्ते और मंहगाई वेतन का सभी प्रयोजनों के लिये वेतन का एक भाग ही समझा जाये। जब कि निजी क्षेत्र तक में ऐसा किया जा रहा है तो सरकार भेद भाव क्यों कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री ता० ब० बिट्टल राव]

श्रम मंत्रियों के हाल ही के सम्मेलन ने भी निजी क्षेत्रों के बारे में यह निर्णय किया ह कि भविष्य निधि में अंशदान की दर ६ से बढ़ा कर ८ प्रतिशत कर दी जाये। इसे सार्वजनिक क्षेत्र के स्तर पर कर दिया गया है। तो यह सुविधा रेलवे श्रमिकों को क्यों नहीं दी जाती, जब कि सरकार को तो आदर्श नियोजक होना चाहिये।

मुझे आशा है कि रेलवे मंत्रालय इस ओर शीघ्र ही ध्यान देगा।

†**श्री नम्बियार** : मैं ने कटौती प्रस्ताव संख्या १ से ५ प्रस्तुत किये हैं। तीसरे दर्जे का यात्रा से सम्बन्धित यह बड़े महत्वपूर्ण मामले हैं। मुझसे पहले बोलने वाले सदस्य ने इस पर प्रकाश डाला है। परन्तु मैं जानता हूं कि उत्तर यही मिलेगा कि काफी संख्या में गाड़ियां उपलब्ध नहीं हैं और जब तक पैरम्बूर के कारखाने से अधिक संख्या में गाड़ियां तैयार नहीं होती, हमें प्रतीक्षा ही करनी होगी। तीसरे दर्जे के बारे में मेरा निवेदन है कि लम्बी यात्रा करने वालों और थोड़ी दूर की यात्री करने वालों के लिये अलग अलग प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। यात्रा के लिये सोने की व्यवस्था की जानी चाहिये। बंगलौर के हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड से जो गाड़ियां तैयार हुई हैं उन्हें कुछ परिवर्तन कर के इस काम में लाया जा सकता है। जो गाड़ियां सोने के काम नहीं आ सकतीं उन्हें दिन के समय चलने वाली रेलों में कम दूरी की यात्राओं में प्रयोग किया जा सकता है। इसलिये मेरा कहना है, और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे कि उपलब्ध गाड़ियों का समुचित प्रयोग किया जाये। और आगे के लिये इस बात का ध्यान रख कर डिब्बे तैयार किये जायें। कई एक ऐसे डिब्बे बनाये गये थे जो आम यात्रियों के काम के नहीं थे। मेरी रेलवे बोर्ड और रेलवे मंत्रालय से यह प्रार्थना है कि लम्बी यात्रा वाले तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये सोने की व्यवस्था करने के मामले को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, नहीं तो तीसरे दर्जे के यात्रियों को सुविधायें देने वाली बात खोखली रह जायेगी।

थोड़ी दूरी की यात्रा के सम्बन्ध में भी यदि भीड़भाड़ अधिक रहती हो तो रेलवे प्रशासन को जनता में यह प्रचार करना चाहिये कि लोगों को केवल आवश्यक होने पर ही यात्रा करनी चाहिये। रेलवे मंत्रालय का यही नारा होना चाहिये कि "यात्रा कम करो"।

विपरीत इसके रेलवे बोर्ड तीर्थ यात्रा इत्यादि का विज्ञापन देकर यात्रा को प्रोत्साहन देता है। डेढ़ वर्ष हुआ दक्षिण के कुम्भकोनम् के मेले के लिये इस प्रकार का प्रचार किया कि सब का वहाँ जाने को जी करता था और तैयारियों पर ५ लाख रुपया अधिक खर्च किया गया। यदि रेलवे कमी अनुभव करता है तो इस प्रकार के यात्रा के प्रचार नहीं किये जाने चाहिए। यह यात्रियों के साथ अन्याय है।

रेलवे कर्मचारियों के वेतन के संबंध में रेलवे मंत्री ने अभी कुछ कहा। दो बातें हैं। एक यह कि तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को समुचित पदोन्नति का अवसर देना चाहिए और दूसरा यह कि वेतन और भत्ते में आवश्यक वृद्धि की जाये। यह सब किसी मान्य सिद्धान्त के अनुसार होना चाहिए। दोनों को मिलाया नहीं जाना चाहिए। प्रथम बात तो केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार है और दुसरी वर्तमान अवस्था में आवश्यक है। तीसरी श्रेणी के लोगों की पदोन्नति के मामले में तो अपनी जनवरी की घोषणा में मंत्री महोदय ने कुछ किया है। काफी अनियमितायें दूर भी की गयी हैं परन्तु वे बिलकुल दूर नहीं हो सकीं।

चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की हालत खराब है। रेलवे को अपने मान्य सिद्धान्तों के अनुसार इन लोगों को पदोन्नति के साथ साथ समुचित भत्ता अथवा वेतन वृद्धि देनी चाहिए। उन्हें वेतन

---

†मूल अंग्रेजी में।

आयोग की सिफ़ारिश के अनुसार, जिसे कि रेलवे बोर्ड और सरकार मान चुकी है ६० रुपये महंगाई भत्ता मिलना चाहिए परन्तु मिलता उन्हें केवल ४० रुपये है।

मेरा अन्तिम कटौती प्रस्ताव पुनर्वर्गीकरण के सम्बन्ध में है। कहा जाता है कि डिविजन प्रणाली से पुनर्वर्गीकरण की असफलताओं की समस्या हल हो जायगी परन्तु ऐसा नहीं हो सकता। वर्तमान व्यवस्था से हम प्रशासन ठीक नहीं कर सकते। मैं डिविजन प्रणाली के विरुद्ध नहीं परन्तु डिवीज़न छोटे होन चाहिए। ७०० मील के डिवीज़न में प्रशासन की व्यवस्था ठीक नहीं रह सकती।

मद्रास में हुई अरियालूर की दुर्घटना की जाँच में क्षत्रीय इंजीनियर ने मुझे बताया कि वह ७००० पुलों के प्रभारी हैं। दक्षिण रेलवे का मुख्य इंजीनियर २० हजार पुलों का प्रभारी है। इतने पुलों का प्रबन्ध करना कितना कठिन है। महबूब नगर की दुर्घटना के बाद रेलवे बोर्ड ने मुख्य इंजीनियरों को आदेश दिया था कि उन्हें सभी क्षेत्रीय इंजीनियरों को प्रत्येक पुल के बारे में सारे हाल का पता कर के यह देखना चाहिए कि कहां मरम्मत अथवा परिवर्तन की आवश्यकता है। परन्तु कुछ नहीं किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अरियालूर की दुर्घटना हो गयी।

जो न्यायाधीश जाँच कर रहे थे, वह भी इसी मत के थे कि क्षेत्रीय इंजीनियर इतने थोड़े समय में इतना काम नहीं कर सकते। इसलिये मेरा कहना है कि छोटे डिवीजन बनाये जाने चाहिए ताकि योग्यता से समस्या का हल किया जा सके। आशा है कि इस गम्भीर समस्या पर मंत्रालय विचार करेगा।

†**श्री स० च० सामन्त** (तामलुक) : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बढ़ रहे कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन को देखते हुए इस बात का भय है कि हमारी वर्तमान परिवहन व्यवस्था से शायद पूरा न पड़ सके। पंच वर्षीय योजना की चर्चा के समय यह प्रस्ताव था कि गियोंखाली में एक सहायक पत्तन बनाया जाये। रेलवे बोर्ड से पूछा गया कि उस स्थान तक रेलवे लाभदायक रहेगी या नहीं। परन्तु रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधि ने कहा कि वहाँ तक लाइन बनाना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगा, क्योंकि लिलुआ में गाड़ियों के आने जाने में रुकावट पैदा हो जायेगी। परन्तु मैं नहीं जानता कि ऐसा कैसे हो सकता है जब कि लिलुआ तो पूर्व रेलवे पर स्थित है और गियोंखाली दक्षिण पूर्व रेलवे पर।

मेरा निवेदन है कि १९२७ में यह मालूम करने के लिए सर्वेक्षण किया गया था कि मचादा से कोनताई तक रेलवे लाइन बनाना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होगा या नहीं। परन्तु समिति ने इसे लाभप्रद नहीं समझा। १९३१ में पुनः इसके सर्वेक्षण के लिए विशेषज्ञ समिति की स्थापना हुई। बंगाल के स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री ने उस समिति से प्रार्थना की कि वह यह बताये कि उस लाइन से लाभ होगा या नहीं। समिति की राय थी कि यह लाभदायक होगी। यह चीज़ १९३१ में थी। तो अब १९५७ में तो यह लाभदायक होनी ही चाहिए। परन्तु पंचवर्षीय योजना पर जब चर्चा हुई तो रेलवे मंत्री ने इसके विपरीत अपनी राय दी। मैं मंत्री महोदय से इस पर फिर विचार करने के लिये कहूंगा क्योंकि कलकत्ता पत्तन में परिवहन कठिन हो रहा है। इसलिए गियोंखाली पत्तन काफी लाभदायक रहेगा। मेरी प्रार्थना है कि इस पर विचार किया जाये। यहाँ से भारत के सभी भागों को कोयला भेजा जा सकता है। इस व्यवस्था के बिना काफी औद्योगिक हानि हो रही है। यहाँ से यह कमी पूरी की जा सकती है।

विश्व बैंक का शिष्टमंडल परिवहन की कठिनाइयों का सर्वेक्षण करने हाल ही में भारत आया था। उनका भी कहना है कि हुगली के पश्चिमी तट पर पत्तन बनाने के मामले पर

†मूल अंग्रेजी म।

[श्री स० च० सामन्त]

गम्भीरता से विचार करना चाहिए । कठिनाई यह है कि कलकत्ते में बाहर से आने वाली चीज़ पहले पूर्वी तट पर आती हैं फिर उन्हें पश्चिमी तट पर लाया जाता है जहाँ से उन्हें सारे देश को भेजा जाता है । सारी स्थिति का अध्ययन करने के पश्चात् ही विश्व बैंक ने कहा था कि गंगा के पश्चिम की ओर पत्तन अवश्य होना चाहिए । अब एक और बात भी है कि रेलवे सारे स्थानों पर कोयला नहीं ले जा सकती । इन कारणों से रेलवे को गियोंखाली तक लाइन बना कर इस क्षेत्र की परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों को हल करना चाहिए ।

† **रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं मैं उनमें से अधिक से अधिक का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा । श्री सुब्बा राव ने यह शिकायत की कि पार्सलों को ठीक तरह से नहीं रखा जाता जिससे रेलवे को उनके मुआवजे देनें में काफी हानि उठानी पड़ती है । हम इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे कर्मचारी रेलों द्वारा लाये गये माल और पार्सलों को ठीक तरह से रखें । सामान को ठीक ढंग से बाँधने और उस पर लेबल तथा चिह्न लगाने के आन्दोलन को प्रोत्साहन देने वाले विशेष सप्ताह मनाये जाने की व्यवस्था की जाती है, जिसमें हम कर्मचारियों पर इस बात का जोर देते हैं कि वे सामान को अच्छी तरह से रखें और उठायें । इस सम्बन्ध में हमें आशा है कि विरोधी पक्ष के लोगों का, विशेषकर श्री नम्बियार का, हमें सहयोग प्राप्त होगा ।

श्री विट्ठल राव ने विभिन्न लाइनों के सर्वेक्षण की देरी के संबंध में शिकायत की है । सर्वेक्षण में हमेशा समय लगता ही है और इस संबंध में सावधानी भी रखनी पड़ती है । हम जल्दबाज़ी से काम नहीं ले सकते । इसके अलावा रेलवे की आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना होता है । हम नयी लाइनों को चालू तो करना चाहते हैं परन्तु हमारे आर्थिक साधन सीमित हैं । जिस सीमा तक धन और सामान उपलब्ध हैं, हम रेलों में भीड़भाड़ कम करने और परिस्थितियों में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री त० ब० विट्ठल राव ने महंगाई भत्ते पर पुनर्विचार करने के लिये कहा था ।

† **श्री त० ब० विट्ठल राव** : उन्हें बढ़ाने के लिये कहा था ।

† **श्री शाहनवाज खां** : केन्द्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि हर छः महीने पश्चात महंगाई भत्ते पर विचार किया जाये और यदि जीवन देशनाँक का आँकड़ा अगले वेतन वर्ग के आँकड़े से कम या अधिक हुआ तो भत्ते में परिवर्तन कर दिया जाये । २५० रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर में सरकार ने तदर्थ वृद्धि की है; एक बार जनवरी १९४९ में १० रुपये और फिर जून १९५१ में ५ रुपये । कई बार यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो कुछ रकम स्वीकृत की गई है वित्तीय तथा अन्य तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् उससे अधिक सम्भव नहीं था । मुझे विश्वास है कि श्री त० ब० विट्ठल राव इससे संतुष्ट हो जायेंगे ।

† **श्री नम्बियार**: यह अत्यधिक असंतोषजनक उत्तर है ।

† **उपाध्यक्ष महोदय** : हमें माननीय मंत्री का उत्तर सुनना चाहिए ।

† **श्री शाहनवाज खां** : विपक्षी दल के सदस्य महोदय को इस विषय में विशेष रुचि है । इस पर अनेक बार चर्चा हो चुकी है । माननीय सदस्यों को बहुधा आश्वासन दिया गया है कि इस विषय पर रेलवे प्रशासन अविरत रूप से विचार कर रहा है और जब भी हमें यह मालूम होता है कि कार्यभार बढ़ गया है तो हम ज़ोन की संख्या बढ़ा देंगे । पहले ६ ज़ोन थे किन्तु जब यह मालूम

†मूल अंग्रेजी में ।

हुआ कि पूर्व रेलवे का कार्यभार बढ़ गया है तो सातवां ज़ोन बना दिया गया। इस विषय पर कार्यकुशलता ब्यूरो निरन्तर विचार कर रहा है और अब भी नये ज़ोन बनाने का अवसर आयेगा, रेलवे प्रशासन पीछे नहीं रहेगा। हम यह भी आशा करते हैं कि विभागीयकरण योजना के सूत्रपात एवं पुनर्गठन से इस दिशा में और अधिक सुधार होगा।

श्री सामन्त ने ग्योंखाली पत्तन के विकास की चर्चा की। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है और हम इसका विकास करने के लिये इच्छुक हैं। किन्तु इस विषय पर ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है और इसके लिये समय चाहिये। उनका सुझाव अच्छा है और उस पर यथोचित विचार किया जायेगा।

† **अध्यक्ष महोदय** : अब हम अन्य मांगों पर विचार करेंगे और पहले कटौती प्रस्ताव लेंगे।

† **श्री ह० ग० वैष्णव** (अम्बड़) : मुख्य लाइनों पर अनियमितता इतनी अधिक नहीं है किन्तु जहां तक मीटर गैज और छोटी लाइनों का सम्बन्ध है इनमें अनियमितताएं बढ़ रही हैं। मैंने सम्बन्धित अधिकारियों और मंत्री महोदय से अनेक बार कहा है तथा स्टेशनों पर रखी हुई शिकायत-पुस्तक में भी लिखा है कि मनमाड-सिकन्दराबाद लाइन पर नं० ५६१ डाउन ट्रेन पिछले डेढ़ वर्ष से प्रतिदिन लेट आ रही है। और इस गाड़ी से यात्रा करने वाले व्यक्ति अपने घरों से देर से रवाना होते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि गाड़ी देर से ही आयेगी। शिकायत करने पर उत्तर मिलता है कि "गाड़ी के देर से आने की जांच की जा रही है"। यह अचरज की बात है कि वे डेढ़ वर्ष से इस बात की केवल जांच कर रहे हैं।

† **श्री फिरोज गांधी** (ज़िला प्रताप गढ़—पश्चिम व ज़िला राय बरेली—पूर्व) : परिचालन कुशलता में १० प्रतिशत वृद्धि हुई है !

† **श्री ह० ग० वैष्णव** : इन बातों की ओर कुछ ध्यान देना चाहिये। भले ही यह साधारण बात हो, किन्तु इसका कार्यसंचालन से सम्बन्ध है।

भीड़ की भी विकट समस्या है। छोटी लाइन पर जो लोग गाड़ियों के ऊपर बैठते हैं इस प्रकार की यात्रा पर रोक लगा दी जानी चाहिये और इन्हें अधिक जगह दी जाये। रेलों को केवल बड़े-बड़े मेलों के बारे में ही विज्ञापन निकालने चाहिये।

दिल्ली से भुसावल तक सब स्टेशनों का पुनर्निर्माण कर दिया गया है; वे सब प्रकार से सुसज्जित एवं व्यवस्थित हैं किन्तु मनमाड पर परिवर्तन के कोई लक्षण नहीं हैं। जिस स्टेशन पर हैदराबाद ट्रेन आती है उसके चौथे या पांचवें प्लेटफार्म पर छत ही नहीं है। यहां वर्षा ऋतु में मुसाफिरों को भीषण कष्ट का सामना करना पड़ता है। आज छोटे-छोटे स्टेशनों पर लाखों रुपये खर्च किये जा रहे हैं तब यह बात समझ में नहीं आती कि मनमाड स्टेशन का पुनर्निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है।

पुरली-बैजनाथ जंकशन पर बड़ी लाइन और छोटी लाइन का संगम है; किन्तु यहां रेलवे स्टेशन तो एक ओर स्थित है जबकि नगर उसके दूसरी ओर है। यहां 'ओवरब्रिज' की अत्यधिक आवश्यकता है। वहां छतवाला प्लेटफार्म भी नहीं है। रेलवे अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

राज्य पुनर्गठन के पश्चात् मराठवाडा क्षेत्र से बम्बई के लिये यातायात बढ़ गया है। अतः नान्देड़ से मनमाड के लिये एक अलग गाड़ी की आवश्यकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

† **श्री दी० चं० शर्मा** (होशियारपुर) : मेरा विचार है कि अधिकांश सर्वेक्षण दिखावा मात्र हैं। सार्वजनिक कार्यकर्त्ता अथवा संसद् सदस्यों के कहने पर सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया जाता है किन्तु फिर बाद में कुछ चर्चा सुनाई नहीं देती। माधोपुर से कटाऊ रेल लाइन का व्यावसायिक और सामरिक महत्व तो है ही, भावात्मक महत्व भी है क्योंकि यह भारत को जम्मू तथा काश्मीर से जोड़ देगी। पठानकोट-माधोपुर लाइन का भी सवक्षण किया गया था किन्तु इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना गया।

रेलवे सेवा आयोग द्वारा परिणाम की घोषणा में पर्याप्त विलम्ब होता है। कई अभ्यर्थियों ने मुझे बताया कि परीक्षा दिये इतने महीने हो गये किन्तु परिणाम की अभी तक घोषणा नहीं की गई। हमें रेलवे सेवा आयोग की संख्या में वृद्धि करनी चाहिये ताकि अभ्यर्थियों को अनिश्चित काल तक परिणाम की प्रतीक्षा न करनी पड़े और इंटरव्यू के सम्बन्ध में भी सुविधा हो जाये।

इंटरव्यू के बारे में नवीन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। आयोग के सदस्य विद्यार्थियों से बातें पूछने के बजाय स्वयं उन्हें अपना ज्ञान बताने का प्रयत्न करते हैं। आयोग के सदस्यों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है किन्तु इंटरव्यू के लिये नये तरीके अपनाना आवश्यक है।

पृष्ठ १७ पर बताया गया है कि हमारी रेलों की कुछ पद्धतियों का अध्ययन करने के लिये फ्रांसीसी और अमरीकी विशेषज्ञ आये थे। हमारे यहां से भी लोग वहां जाते हैं किन्तु इन से क्या लाभ हुआ। मेरा विचार है कि इन पर जितना रुपया खर्च होता है उतना लाभ नहीं होता। हमें रेलवे की समस्याओं का एक वृतान्त रखना चाहिये, फिर इन पर यहां अथवा विदेशियों द्वारा वैज्ञानिक रूप से विचार करना चाहिये।

रेलवे श्रमिकों के कल्याण के लिये समुचित राशि खर्च नहीं कर रही है। कल्याण योजनाओं की इस वृहद् सूची पर पर्याप्त धन खर्च नहीं किया गया है। रेलवे की आय का एक निश्चित भाग श्रमिक कल्याण के लिये अलग रख दिया जाये। मुझे बताया गया है कि कुछ अधिकारी श्रमिक कल्याण की अपेक्षा अपना कल्याण करने में लगे हुए हैं। सब अधिकारी ऐसे नहीं हो सकते हैं किन्तु श्रमिक कल्याण अधिकारियों को कर्तव्यपरायण और निष्ठावान होना चाहिये।

श्री ब० स० मूर्ति स्टेशन मास्टरों के कष्टों की चर्चा कर रहे थे। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, गार्ड और शीतोष्ण-नियंत्रित डिब्बों में नियुक्त कर्मचारी भी अपने-अपने कष्टों की गाथा सुनाते हैं। रेलवे मंत्रालय ने भाड़ा-ढांचा परीक्षण के लिये समिति नियुक्त कर दी है फिर रेलवे कर्मचारियों के वेतन-ढांचे पर विचार करने के लिये समिति क्यों नहीं नियुक्त की जाती है। क्योंकि भाड़ा और वेतन अन्योन्याश्रित है।

रेलें जनता को केन्द्रीय सरकार के सम्पर्क में लाती हैं। वे मध्य रेलवे को ही केन्द्रीय सरकार समझते हैं। जब एक दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो दूसरी दिशा में भी कुछ किया जाये।

† **श्री च० रा० नरसिंहन्** (कृष्णगिरी) : मैं कुछ मामले रेलवे प्रशासन के ध्यान में लाना चाहता हूं।

सौराष्ट्र और मद्रास जैसे दूरस्थित क्षेत्रों को औद्योगिक विकास के लिये पश्चिम बंगाल और अन्य दूर दूर के स्थानों से कोयला मंगवाना पड़ता है। पहले वे कोयले के सम्भरण के लिये समुद्र परिवहन पर निर्भर करते थे परन्तु द्वितीय युद्ध के पश्चात् भाड़ा बढ़ गया है जिस से उद्योगों के लिये एक वित्तीय समस्या पैदा हो गई है। माल डिब्बों की कमी और अन्य कारणों से रेल द्वारा संभरण भी रुका रहता है जिससे दक्षिण भारत में उद्योगों के विकास में अड़चन पैदा हो रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

भारत की कोयला उपभोक्ता संथा के सभापति श्री टी० सी० ड्राइवर ने रेलवे प्रशासन को जो सुझाव दिये उनमें से एक यह भी था कि रेलवे प्रशासन दक्षिण भारत के उन उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता दे जो कोयले का संभरण समुद्री जहाजों में करें। उन्होंने हिसाब लगाया है कि सरकार को यह वित्तीय सहायता देने पर केवल ३५ करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि रेलवे प्रशासन इसकी जांच करे कि क्या यह वित्तीय सहायता दी जा सकती है या नहीं। आशा है कि रेल सागर समन्वय समिति इस मामले पर भी विचार करेगी।

निवेली में एकीकृत लिग्नाईट परियोजना पर ६० या ७० करोड़ रुपये विनियोजित किये जा रहे हैं और उसके बाद सैलम क्षेत्र में वाक्साइट और लोहा परियोजनायें आरम्भ करने का विचार है। इन से उस क्षेत्र में यातायात की आवश्यकता बढ़ेगी जिसे पूरा करने की ओर रेलवे प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है। मेरा यह सुझाव है कि कडलोर और सैलम के निकट के क्षेत्र में परिवहद क्षमता बढ़ा दी जाये। इसके लिये यह ठीक होगा कि जो १०० मील लम्बी लाइनें युद्ध काल में उखाड़ दी गई थीं वे भी पुनः चालू कर दी जायें, सैलम और बंगलौर के बीच मीटर लाइन के निर्माण के बारे में जो सर्वेक्षण हो रहा है आशा है वह पूरा हो जायेगा और प्रतिवेदन पर सहानुभूति से विचार करके द्वितीय और तृतीय पंच वर्षीय योजनाओं की आवश्यकता पूरी कर ली जायेगी।

एक ओर सैलम-बंगलौर लाइन और दूसरी ओर खंडवा-हिंगोली लाइन के निर्माण से त्रिवेन्द्रम, कुडलूर और पंजाब को मिलाने वाली एक मीटर लाइन बन जायेगी जो संकटकाल में उत्तर-दक्षिण तटीय लाइन के स्थान पर काम चला सकती है और इस परिवहन में भी सुविधा दी जायेगी। इन्हीं लाभों को देखते हुए मैं ने इसका समर्थन किया है।

रेलवे प्रशासन को इस बात का भी प्रबन्ध करना चाहिये कि खाना खाने के बाद जो प्लेटें प्लेटफार्म पर पड़ी रहती हैं उन्हें किसी ऐसे स्थान पर रखा जाये जहां कुत्ते आदि उन्हें खराब न करें।

श्री म० रं० कृष्ण (करीमनगर—रक्षित—अनूसूचित जातियां) : सभी जानते हैं कि पहले हैदराबाद राज्य में रेलवे प्रशासन बहुत अच्छा था और विकास की भी कई योजनाएं थीं परन्तु विलय के पश्चात् वे सब स्थगित कर दी गईं। यह ठीक है कि कुछ क्षेत्रों को, जहां भिलाई जैसी योजनायें चल रही हैं, अधिमान दिया जाता और यह उचित भी है परन्तु सारे देश में जो विकास हुआ है उसे देखते हुए हमारा यह महसूस करना गलत न होगा कि हमारे क्षेत्र में सिवाये पुलों की मरम्मत के और कोई खर्च नहीं किया गया है।

माननीय मंत्री के प्रतिवेदन से पता चलता है कि द्वितीय योजना के अन्तर्गत कुछ स्थानों पर डीज़ल कारें चलाई जायेंगी। वारंगल और हैदराबाद में भी यह चलाई जायेंगी। परन्तु यह कोई नई बात नहीं है, विलय से पूर्व भी वहां डीज़ल कार चलती थीं।

निजामाबाद और रामगुंडम के बीच रेल सम्पर्क की आवश्यकता के बारे में कई सदस्यों ने कहा है। निजामाबाद क्षेत्र में सब से ज्यादा गन्ना पैदा होता है और रामगुंडम में सरकार ताप-विद्युत के विकास पर बहुत खर्च कर रही है जिस से वहां कई सहायक उद्योग स्थापित हो जायेंगे। परन्तु जब तक वहां परिवहन की सविधायें न हों यह सब व्यर्थ होगा। इसी के अभाव के कारण उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सका। परन्तु द्वितीय योजना में इस कार्य को पूरा करना अत्यन्त आवश्यक है, तभी आंध्र राज्य का विकास हो सकेगा और ताप विद्युत् का लाभदायक प्रयोग

†मूल अंग्रेजी में।

[जी म० रं० कृष्ण]

हो सकेगा। आशा है कि रेलवे बोर्ड निश्चित कार्यवाही करेगा और इस परियोजना के लिये धन उपलब्ध किया जायेगा।

माननीय वित्त मंत्री ने एक बार अपना विचार व्यक्त किया कि मेरे क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लोगों की हालत बहुत अच्छी है परन्तु उनकी यह धारणा गलत है। इसका उल्लेख मैं ने इसलिये किया कि रेलवे विभाग में अनसूचित् जातियों के लोगों को नौकरी मिलने की सम्भावना अधिक रहती है। थोड़ा बहुत पढ़ हुए लोग वहां नौकरी करके उन्नति कर सकते हैं। इसलिये रेलवे विभाग में इनकी संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। अनुसूचित जातियों को साड़े बारह प्रतिशत तक प्रतिनिधित्व देने का उपबन्ध संविधान के पारित होने के पश्चात लागू किया गया परन्तु इसका हिसाब लगाते समय उन लोगों की गिनती नहीं की जानी चाहिये जो ३० अथवा ४० वर्ष पूर्व नौकरी में आये थे।

†**डा० रामा राव** (काकिनाडा) : मैं केवल मांग संख्या १० और १५ के बारे में कहना चाहता हूं।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि रेलवे प्राधिकारियों ने रेलवे कर्मचारियों के लिये चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता का अनुभव करना शुरू कर दिया है। मैं ने मदौरा का रेलवे हस्पताल देखा है, वह बहुत अच्छा है पर मैं चाहता हूं कि उस में हर एक विभाग हो और वह आत्म-निर्भर रहे।

रेलवे प्राधिकारियों ने ६४६ क्षय रोगियों के लिये व्यवस्था की है परन्तु भारत सरकार के क्षय रोग सम्बन्धी मंत्रणाकार ने ३००० रोगियों के लिये व्यवस्था करने की सिफारिश की थी। वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त है और गत ५ वर्ष से मैं इसे बढ़ाने के लिये आग्रह कर रहा हूं। आरोग्यशालाओं में 'रेलवे वार्ड' बनाने और अलग हस्पताल बनाने में बड़ा अन्तर है। अलग हस्पताल रहने से रेलवे कर्मचारियों में विश्वास रहेगा और वे अधिक कार्य करेंगे। मैं कई आरोग्यशालाओं में रहा हूं। उन से बुरा बर्ताव तो नहीं किया जाता परन्तु उन्हें बाहर के लोग समझा जाता है जिससे वे कुछ बेचैनी अनुभव करते हैं। अतः बंगलौर जैसे स्थानों पर रेलवे कर्मचारियों के लिये बड़ी बड़ी आरोग्यशालायें बनाई जानी चाहियें।

इस से एक यह भी लाभ होगा कि रेलवे के डाक्टरों को किसी रोग का विशेष ज्ञान प्राप्त करने की सविधायें प्राप्त हो जायेंगी और प्रत्येक डाक्टर को रोग के लक्षणों से जानकारी हो जायेगी जिससे रोग को बढ़ने से रोकने में सहायता मिलेगी।

प्रसूति सुविधायें बढ़ाई जा रही हैं परन्तु मैं चाहता हूं कि हर एक रेलवे हस्पताल में प्रसूति विभाग रहे और प्रत्येक रेलवे औषधालय में एक दाई रहनी चाहिये।

रेलवे मंत्री को रेलवे कर्मचारियों में शारीरक व्यायाम का अभिरुचि बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये और उन को आमोद प्रमोद और खेल कूद की सविधायें दी जानी चाहियें।

१४ वर्ष बीत गये हैं परन्तु काकिनाडा-कोत्तापल्ला रेलवे का पुनर्निर्माण नहीं किया गया है। एक और पुरानी शिकायत यह है कि काकिनाडा को मुख्य लाइन पर लाया जाना चाहिये। हाल ही के निर्वाचन में यह आश्वासन दिया गया कि यदि कांग्रेस को मत दिये गये तो उनकी यह मांगें पूरी कर दी जायेंगी अर्थात् काकिनाडा को ६ करोड़ से ६॥ करोड़ रुपये खर्च करने वाला पत्तन बना दिया जायेगा। अब उस आश्वासन को पूरा करने का समय आ गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

† **श्री नम्बियार :** मैं सभा का ध्यान श्रम कल्याण के उपायों की ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय मंत्री ने रेल कर्मचारियों पर सेवा निवृत्ति वेतन के नियम लागू करने का वचन दिया था। इस समय उन्हें भविष्य निधि, जो एक वर्ष सेवा काल के लिये दो मास के वेतन के बराबर है, और उपदान, जो प्रत्येक वर्ष के सेवा काल के लिये आधे मास के वेतन के बाराबर है, दिया जाता है। सेवा निवृत्ति के समय उन्हें एक साथ वह राशि मिल जाती है।

इस प्रणाली को बदलते समय हमें पूरी तरह विचार करना पड़ेगा। अन्तर्कालीन समय में कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। कई लोग इसके विपक्ष में भी हो सकते है। सेवा निवृत्ति वेतन की प्रणाली ऐसी होनी चाहिये जिस से सेवा निवृत्ति के समय कर्मचारी को सहायता मिले। सामान्यतः रेलवे कर्मचारी ५५ वर्ष की आयु के पश्चात् अधिक समय तक जीवित नहीं रहते। अतः उन्हें सेवा निवृत्ति वेतन से अधिक लाभ न होगा। इसलिये इस मामले पर पूरी तरह विचार किया जाना चाहिये। यदि निवृत्ति वेतन देना ही हो तो वह उनके वेतन का आधा अवश्य होना चाहिये।

यह प्रश्न नहीं है कि क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति को हस्पताल में स्थान नहीं मिलेगा। यदि किसी रेलवे कर्मचारी को क्षय रोग होने की सूचना मिलती है तो उसे छुट्टी पर भेज दिया जाता और जितने समय के लिये छुट्टी स्वीकार्य है उसके लिये वेतन भी दिया जाता परन्तु बाद में उसे हस्पताल में जगह मिले या न मिले उसे वेतन नहीं मिलता और उसके परिवार के लोग भूखों मरने लगते। मेरा सुझाव है कि उसे स्वीकार्य छुट्टी के अतिरिक्त कम से कम छः मास की सवेतन छुट्टी मिलनी चाहिये। तभी वह अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है। उनके लिये अलग हस्पताल हों तो ठीक है परन्तु सवेतन छुट्टी का प्रश्न अधिक महत्व रखता है।

माननीय मंत्री ने रेलवे मंत्री बनने से पूर्व यह आश्वासन दिया था कि रेल कर्मचारी चाहे किसी भी दल से सम्बन्ध रखते हों वह इसकी ओर ध्यान न देकर उनके मामले को देखकर उनकी सहायता करेंगे। परन्तु मैं ने रेलवे बोर्ड और रेलवे मंत्रालय का ध्यान कई ऐसे मामलों की ओर आकर्षित किया है जिन में साम्यवाद के प्रति रुझान होने कारण कर्मचारियों को दण्ड दिया गया, हालांकि उसका कोई प्रमाण नहीं मिला था। इन मामलों पर पुनर्विचार करके उन लोगों को पुनः नियुक्त कर देना चाहिये। हाल ही में शोरनूर के टिकिट चैकर श्री श्रीनाथ के साथ भी ऐसा ही हुआ उनके बारे में श्री लाल बहादुर शास्त्री के पास अभ्यावेदन भेजा गया परन्तु उनकी सहानुभूति होने पर भी उन के साथ न्याय नहीं किया गया। मैं इस मामले से सम्बन्धित सभी कागजात माननीय मंत्री को देने के लिये तैयार हूं और मुझे आशा है कि वह इस मामले को बड़े ध्यान से देखेंगे।

† **श्री शाहनवाज खां :** मुझे खेद है कि मेरे माननीय मित्र श्री वैष्णव यहां नहीं हैं। उन्होंने ५६१ डाउन गाड़ी प्रायः लेट चलने के बारे में शिकायत की। उन्होंने कहा कि लगभग डेढ़ वर्ष से वह लेट चल रही है। मुझे यह सन कर बहुत दुख हुआ। हम स्थिति में सुधार करने के लिये अवश्य प्रयत्न करेंगे।

श्री नम्बियार, श्री वैष्णव और अन्य लोगों ने अधिक भीड़ की शिकायत की और यह भी कहा कि मेलों आदि का प्रचार करके हम उसका प्रोत्साहन कर रहे हैं। उन्हें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि मेलों पर जाने वाले लोगों को पहले जो रियायतें दी जाती थीं हम ने उन्हें कम करने का निश्चय कर लिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री शाहनवाज खां]

इस से भीड़ में कमी हो जायेगी । श्री दी० चं० शर्मा भी इस समय उपस्थित नहीं हैं । उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण केवल दिखावे के लिये है परन्तु ऐसी बात नहीं है । सर्वेक्षण किया जाता और उसके पूरा होने पर...

श्री उ० मू० त्रिवेदी : दस वर्ष लगते हैं ।

†**श्री शाहनवाज खां :** हमें स्थिति को देखना होता है और यह पता लगाना होता है कि लाइन बनाने का कोई लाभ होगा ।

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** कभी कभी सदस्य केवल सुर्वेक्षण कराना चाहते हैं ।

†**श्री शाहनवाज खां :** श्री दा० चं० शर्मा ने भी रेलवे सेवा आयोग के कृत्यों का उल्लेख किया है । मैं इस से वास्तव में चकित हो गया था क्योंकि मैं श्री शर्मा को एक सन्तुलित मस्तिष्क वाला व्यक्ति समझता हूं, परन्तु मैं ने यह सोचा भी नहीं था कि वह ऐसी बातें करेंगे ।

†**श्री नम्बियार :** उन्हें कभी कभी सच भी बोलना पड़ता है ।

†**श्री शाहनवाज खां :** उन्हों ने 'इन्टरव्यू' की चर्चा की और यह सुझाने का प्रयत्न किया है कि बोर्ड को अभ्यर्थियों से क्या क्या पूछना चाहिये और परीक्षाओं में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जायें । यह बड़े विस्मय की बात है । मझे इस बात का खेद है कि इस सम्बन्ध में जिन सुदस्यों ने भाषण दिये थे, उनमें से बहुत से सदस्य इस समय सभा में उपस्थित नहीं हैं। श्री नरसिंहम् ने रेल-सागर समन्वय के सम्बन्ध में भाषण दिया था । मुझे इस बात की खुशी है कि श्री नरसिंहम् सभा में आ गये हैं। हम रेल-सागर परिवहन में समन्वय करने के महत्व को अच्छी प्रकार से समझते हैं और मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि दक्षिण में दक्षिण-रेलवे में प्रयुक्त किया जाने वाला बहुत सा कोयला सुमद्र के द्वारा लाया जा रहा है—चाहे इस से यह अधिक मंहगा पड़ता है । उद्योग तथा अन्य उपयोगों के लिये हम जान बूझ कर कोयले को मंहगे रास्ते से ला रहे हैं । यातायात की कठिन अवस्था को ध्यान में रखते हुए इसे और अधिक विकसित करना होगा । जैसा मैं ने कहा है, हम इस समस्या के महत्व को अच्छी प्रकार से जानते हैं और हम इस की ओर पूरा पूरा ध्यान देंगे ।

उन्हों ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि प्लेटफार्मों पर प्लेटें पड़ी हुई हैं जिन्हें कुत्ते चाट रहे हैं। यह बात जान कर मुझे बड़ा खेद हुआ है हम निश्चय ही उन प्लेटों को हटवाने के सम्बन्ध में आवश्यक अनुदेश जारी करेंगे ।

श्री कृष्ण ने रेलवे सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थान सुरक्षित करने के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात कही है । इस बात की ओर श्री लाल बहादुर शास्त्री ने पूरा पूरा ध्यान दिया था और वर्तमान रेलवे मंत्री तथा रेलवे बोर्ड भी इस की ओर पूरा ध्यान दे रहा है । विभिन्न रेलवे सेवा आयोगों को ये अनुदेश जारी किये गये हैं कि तीसरी श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के स्थान पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों को भर्ती करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाये । ऐसा बताया गया है कि कभी कभी उन जातियों के अभ्यर्थी उस अर्हता के नहीं मिलते । हम ने तो यहां तक कह दिया है कि अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये स्तर में किसी सीमा तक रियायत भी दे दी जाये । मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि मंत्रालय इस की ओर, पूरा पूरा ध्यान दे रहा है, और हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की हर संभव प्रकार से सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

डा० रामाराव ने रेलवे के कर्मचारियों को चिकित्सा सम्बन्धी सविधायें देने के सम्बन्ध में कहा है। मुझे यह बात जान कर खुशी हुई है कि वे स्वयं मथुरा के एक अस्पताल में गये थे और उन्हों ने वहां के प्रबन्ध को ठीक बताया है।

†**डा० रामा राव** : दक्षिण रेलवे पर मदुरई न कि मथुरा।

†**श्री शाहनवाज खां** : उन्हों ने यह सझाव दिया है कि रेलों द्वारा क्षय रोग के अस्पताल खोले जायें। हम ने क्षय रोग के अस्पतालों में ही 'रेलवे विंग' स्थापित किये हैं, क्योंकि उन पर कम खर्च पड़ता है। हमारे पास जो सीमित संसाधन हैं, उन को ध्यान में रखते हुए वर्तमान प्रबन्ध सर्वोत्तम है। यदि भविष्य में पृथक क्षय-रोग अस्पताल खोलने की आवश्यकता अनुभव की गई तो हम उस उत्तर-दायित्व से भी पीछे नहीं रहेंगी।

विभिन्न अस्पतालों में प्रसूति वार्ड होने अत्यन्त आवश्यक हैं। हमारे वरिष्ठ चिकित्सा पदा-धिकारी इस बात की ओर पूरा पूरा ध्यान दे रहे हैं। काकिनाडा को मुख्य लाइन पर लाने के सम्बन्ध में कांग्रेस सदस्यों ने जो वचन दिये, माननीय सदस्य ने उनका भी उल्लेख किया है उस सम्बन्ध में मैं उन्हें आश्वाशन देना चाहता हूं कि वह रेलवे मंत्रालय की सहमति से नहीं किया गया था। बस, इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

†**श्री जगजीवन राम** : श्री नम्बियार ने निवृत्ति वेतन योजना का उल्लेख किया है। उस सम्बन्ध में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मैं ने वह घोषणा इस लिये की थी क्योंकि बहुत से रेलवे कर्म-चारियों की ओर से नवृत्ति वेतन के लिये मांग आई थी। उस पर विचार किया जा रहा है। मैं ने वित्तीय आयुक्त से कहा है कि वह दो या तीन विकल्प सोचें। उन विकल्पों को हम निश्चय ही रेलवे कर्मचारियों के सामने रखेंगे।

जहां तक वर्तमान कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उन्हें इस बात का वरणाधिकार दिया जायेगा कि वे यदि चाहें तो वर्तमान लाभों का उपभोग करते रह सकते हैं जिन में भविष्य निधि और उपदान प्राप्त होता है, और यदि वे चाहें तो नयी निवृत्ति वेतन योजना अथवा निवृत्ति-उपदान योजना को स्वीकार कर सकते हैं। भावी कर्मचारियों के सामने भी दो या तीन विकल्प रखे जायेंगे। यह निवृत्ति वेतन और उपदान का सम्मिश्रण होगा अथवा ऐसा होगा कि आधा उपदान निवृत्ति के समय दिया जायेगा और आधा उपदान निवृति वेतन के रूप में दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में दो या तीन विकल्प प्रस्तुत किये जायेंगे, और नये कर्मचारी उन में से किसी भी विकल्प को चुन सकेंगे। विचार आदि हो जाने के बाद मैं निवृत्ति वेतन योजना को शीघ्रातिशाघ्र लागू करने के लिये उत्सुक हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं सभी कटौती प्रस्तावों को इकट्ठा ही सभा में प्रस्तुत कर दूं ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को मत के लिये सभा के सामने प्रस्तुत करता हूं।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के तीसरे स्तम्भ में दिखाई गई राशियों से अनधिक राशियां राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि में से निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में, जो दूसरे स्तम्भ में दिखाई गई है, उन भारों के लिये, लेखे पर, दी जायें जिन का भुगतान ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किया जायेगा :

मांग संख्या १ से १८"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

† मूल अंग्रेजी में।

नियम समिति

कार्यवाही का सारांश

†**श्री स० चं० सामन्त** (तामलुक) : मैं नियम समिति की २६ मार्च, १९५७ को हुई बैठक की कार्यवाही के सारांश की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक*

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के एक भाग के लिये, रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों को निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित** करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

केरल आयव्ययक––सामान्य चर्चा

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब केरल-आयव्ययक पर सामान्य चर्चा आरम्भ होगी ।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** (नामनिर्देशित–आंग्ल-भारतीय) : केरल राज्य विधान मण्डल में एक आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि के नामनिर्देशन के सम्बन्ध में मेरा एक कटौती प्रस्ताव है । मैं उस कटौती प्रस्ताव पर बोलना चाहता हूं ।

†**श्री वें० प० नायर** (चिरयिन्कील) : अब हम मांगों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं ।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** : यह तो सभी राजनीतिक दलों के लिये एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है । अत: मेरा निवेदन है कि इस पर विचार किया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अच्छा तो माननीय सदस्य उस सम्बन्ध में जो कहना चाहें कह सकते हैं ।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** : मैंने यह प्रश्न इसलिये उठाया है कि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है, और केरल की विभिन्न राजनीतिक दलों की वर्तमान स्थिति के कारण हमारे सम्प्रदाय को दी गई गारन्टी के लुप्त हो जाने का भय है ।

संविधान के अनुच्छेद ३३३ में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य का राज्यपाल यदि यह अनुभव करे कि इस सम्प्रदाय को सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वह इस सम्प्रदाय के किसी व्यक्ति को नामनिर्देशित कर सकता है । उसमें यह भाव निहित है कि वह व्यक्ति

---

*भारत सरकार के असाधारण गज़ट भाग २, अनुभाग २, दिनांक . . . . . में प्रकाशित ।

** राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से पुर:स्थापित किया गया ।

† मूल अंग्रेजी में ।

केवल नामनिर्देशित ही नहीं किया जायेगा, अपितु वह इस सम्प्रदाय के लोगों द्वारा चुना जायेगा ताकि कोई भी राजनीतिक दल उससे अनुचित लाभ न उठा ले। परन्तु इस समय केरल में जैसी राजनीतिक अवस्था है उससे तो मुझे इस बात की आशंका है कि संभवत: नामनिर्देशित व्यक्ति हमारे सम्प्रदाय का सच्चा प्रतिनिधित्व न करता हो और उसका किसी विशेष राजनीतिक दल से सम्बन्ध हो ।

अत: मेरा निवेदन है कि अनुच्छेद ३३३ के अधीन राज्यपाल को आंग्ल-भारतीय सम्प्रदाय के संरक्षक के रूप में काम करना चाहिये। यह गारन्टी उस सम्प्रदाय के हितों के लिये ही दी गयी थी। अत: राज्यपाल का पूरा ध्यान रखें, और नामनिर्देशन के समय सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की बातों में न आ जायें। यदि उन्होंने इस सम्बन्ध में अपनी मरज़ी से काम न लिया और किसी राजनीतिक दल की बातों में आ गये तो वे संविधान द्वारा प्रदत्त अपने कर्तव्यों के पालन में असफ़ल समझे जायेंगे। अनुच्छेद १६३ में राज्यपाल को इस सम्बन्ध में अपनी मरज़ी के अनुसार कार्य करने का पूरा पूरा अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद ३३३ में इसे और भी स्पष्ट कर दिया गया है। उन्हें स्वविवेक का पूरा पूरा अधिकार प्राप्त है। मेरा निवेदन है कि वे अपने इस अधिकार का युक्ति-युक्त ढ़ंग से प्रयोग करें, किसी राजनीतिक दल से परामर्श न करें, अपितु उस सम्प्रदाय के लोगों से ही परामर्श करने के पश्चात् किसी सदस्य को नामनिर्देशित करें। परन्तु यदि वे हमारे सम्प्रदाय के किसी सच्चे प्रतिनिधि का नामनिर्देशन नहीं करेंगे तो उससे वे वास्तव में संविधान द्वारा दी गई गारन्टी का उल्लंघन करेंगे। मुझे इस बात की आशंका है कि राजनीतिक दल राज्यपाल को अपनी सलाह दे रहे होंगे। मेरा निवेदन है कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जाये कि जो भी व्यक्ति नामनिर्देशित किया जाये वह हमारे सम्प्रदाय का सच्चा प्रतिनिधित्व करता हो।

मैंने यह प्रश्न इसलिये उठाया है कि केरल की राजनीतिक अवस्था बड़ी गंभीर है जिसमें हमारे सम्प्रदाय को दी गई गारन्टी के लुप्त हो जाने की आशंका है ।

आपको वहां की स्थिति का ज्ञान नहीं है। वहां की स्थिति अन्य राज्यों की स्थिति से भिन्न है। पहले त्रावनकोर-कोचीन राज्य में आंग्ल-भारतीय सम्प्रदाय के व्यक्ति बहुत कम थे । परन्तु अब केरल राज्य बन जाने से, इस राज्य में इस सम्प्रदाय के बहुत से लोग आ गये हैं। पहले त्रावनकोर-कोचीन में केवल दो ही आंग्ल-भारतीय स्कूल थे, परन्तु अब केरल राज्य में ऐसे ९ स्कूल हैं।

इस सम्प्रदाय के सम्बन्ध में जनता तथा सरकार दोनों में भ्रांति फैली हुई है। दो या तीन वर्ष पहले इस सम्प्रदाय के कुछ व्यक्तियों ने यह दावा किया था कि उन्हें पिछड़े हुये वर्गों में सम्मिलित कर लिया जाये। हमने उस का विरोध किया था। यह सच है कि हम निर्धन हैं, हम बेरोज़गार हैं, परन्तु हम पिछड़े हुये वर्गों के सदस्य नहीं बनना चाहते, हम अपने आत्मसम्मान पर आघात नहीं सह सकते। और फिर केरल राज्य म कुछ अन्य लोगों ने, जिनका कि आंग्ल-भारतीय सम्प्रदाय से कोई भी सम्बन्ध नहीं रहा है, अपने आप को आंग्ल-भारतीय घोषित करने का दावा किया है। हम इस दावे से कदापि सहमत नहीं हैं। वे तो केवल स्वार्थवश हमारे सम्प्रदाय में आना चाहते हैं।

इन फिरंगियों के सम्बन्ध में १९३१ के जनगणना आयुक्त ने लिखा है कि जनगणना में उनकी संख्या पृथक रूप से नहीं दी जाती है, इसलिये एंग्लो-इंडियनों के आंकड़े सही नहीं हैं।

[श्री फ्रेंक एन्थनी]

हाल में १९५५ में पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग ने भी इस स्थिति को स्पष्ट किया है । आयोग ने लिखा है कि त्रावनकोर-कोचीन में कुछ ऐसे लोग हैं जो वास्तव में यूरोपियन हैं परन्तु उन्हें गलती से आंग्ल-भारतीय कहा जाता है ।

अभी तक इन लोगों को आंग्ल-भारतीयों के अधिकार प्राप्त नहीं थे परन्तु अब वह उनकी मांग करने लगे हैं । त्रावनकोर-कोचीन सरकार तथा केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है । हमने उनके इस दावे के सम्बन्ध में १९५३ में अनुसूचित जातियों सम्बन्धी आयोग को लिखा था और उसने इस स्थिति का स्पष्टीकरण किया था ।

इसलिये मैं यह चाहता हूं कि यदि सरकार इन फिरंगियों को प्रतिनिधित्व देना चाहती है तो उन्हें फिरंगियों के रूप में ही दे । आंग्ल-भारतीयों में उनको मिलाना हमें पसंद नहीं है ।

संविधान में आंग्ल-भारतीयों को जो गारंटी मिली हुई है, सरकार को उसे नष्ट नहीं करना चाहिये । इन फिरंगियों का हमारी जाति से कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिये उनको हमारे साथ प्रतिनिधित्व देने का अर्थ संविधान की अवज्ञा करना होगा ।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि संविधान की धारा ३३३ का सम्बन्ध केवल आंग्ल-भारतीयों से ही है, इसलिये इन फिरंगियों को उसमें सम्मिलित कर उसकी भावना को नष्ट न करें ।

†**श्री नी० श्रीकान्तन नायर** (क्विलोन व मावेलिक्करा) : त्रावनकोर-कोचीन में राष्ट्रपति-शासन सर्वथा असफल रहा है । चुनाव परिणामों से यह बात स्पष्ट हो गई है । कांग्रेस तथा अन्य वाम पक्षीय दलों की हार हुई है और साम्यवादी दल विजित हुआ है ।

पहले हम साम्यवादी दल के साथ थे परन्तु अब इससे अलग हो गये हैं क्योंकि पालघाट कांग्रेस के बाद उसकी आन्तरिक नीति बदल गई है । परन्तु हमें इस बात का कोई दुख नहीं है क्योंकि हमारा विचार है कि वर्तमान स्थिति में साम्यवादी दल का शासन वामपक्षी आन्दोलन के लिये सहायक नहीं होगा ।

जैसे भी हो, राष्ट्रपति-शासन का अन्त तो जनता को अपने राज्य से करना ही था और इसलिये उसने साम्यवादी दल को चुना । राज्यपाल का शासन अत्यन्त अप्रिय रहा इसलिये चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई ।

राज्यपाल के शासन के अप्रिय होने के अनेक कारणों में एक कारण उच्च न्यायालय सम्बन्धी आन्दोलन भी है । राजस्थान, बम्बई तथा मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालयों की डिवीजन-बेंचें हैं । इसी प्रकार की एक डिवीजन बेंच की स्थापना की मांग त्रिवेन्द्रम की जनता ने भी की थी । परन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इस प्रकार के झगड़ों को बढ़ावा देकर कांग्रेस दल चुनाव में लाभ उठाना चाहता था ।

यह कहा जा सकता है कि केरल के मुख्य न्यायाधीश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा ५१ (३) के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकते हैं । परन्तु फिर भी इस सदन को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उसके द्वारा की गई कार्यवाही को बदल सके ।

न्यायालय सम्बन्धी यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है । कांग्रेस ने उससे चुनाव में लाभ उठाना चाहा था परन्तु अभाग्यवश उसका परिणाम विपरीत रहा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पिछले दिन वित्त मंत्री ने राज्य सरकार को सहयोग देने का आश्वासन दिया था। मैं आशा करता हूं कि यह सहयोग जारी रहेगा अन्यथा साम्यवादियों को असफल रहने पर मुंह बचाने के लिये एक बहाना मिल जायगा। इस समय उनकी नीति भी ऐसी है जिसमें कांग्रेस विरोधी कार्य करने की आशंका नहीं है। इसलिये उन्हें शासन चलाने का अवसर दिया जाना चाहिये।

जहां तक मेरे दल का सम्बन्ध है यदि साम्यवादी दल जनहितकारी कार्य करने में सफल रहता है तो हमारा दल उसे समस्त संभव सहायता देने को तैयार है।

अब मैं सरकार द्वारा पिछले एक साल में किये गये कार्यों पर आता हूं। तीन जिला मुख्यालयों को छोड़कर और कहीं भी राज्य में कोई ठोस विकास कार्य नहीं किया गया है। द्वितीय योजना में रखी गई अनेक योजनायें धनाभाव का बहाना बना कर कार्यान्वित नहीं की गईं। उदाहरण के लिये मैं कोट्टाथूकवाड़ा पुल की योजना का उल्लेख करूंगा जिसका कार्य रोक दिया गया है।

मलाबार के सम्बन्ध में मद्रास सरकार द्वारा की जाने वाली उपेक्षा की जो शिकायत की जाती है वह उचित ही है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह मलाबार क्षेत्र के लिये अधिक धन निर्धारित करे ताकि त्रावनकोर-कोचीन क्षेत्र का धन उस क्षेत्र में न लगाना पड़े।

यदि हम व्यय की विभिन्न मदों को देखें तो ज्ञात होगा कि गत एक वर्ष में विकास कार्य मुख्यतः सरकारी इमारतों पर ही केन्द्रित रहा है जिसमें लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों को ही लाभ रहा होगा।

अन्य विकास कार्य जैसे जल संभरण योजनायें सर्वथा उपेक्षित रही हैं। उन के लिये ७९ लाख रुपये रखे गये थे परन्तु उस में से बहुत थोड़ा सा खर्च किया गया है।

केरल में राष्ट्रपति शासन के प्रत्यालोचन में जो दावे किये गये हैं वह सर्वथा गलत हैं। सरकार द्वारा नियंत्रित उद्योगों का प्रबन्ध अच्छा नहीं रहा है। मजदूरों को उनके उचित अधिकार नहीं दिये गये व हड़तालें भी हुईं।

उदाहरण के लिये, कुंडारा में मिट्टी के बर्तन बनाने का एक कारखाना खोला गया। एक कारखाना वहां पहले से भी था। पुराने कारखाने में काम करने वाले मजदूरों को उसमें नये सिरे से भरती किया गया जबकि वैसा करना नियम विरुद्ध है। जब मजदूरों ने इसका विरोध किया तो उन्हें जेल में बन्द कर दिया गया।

यदि १९५६–५७ के बजट के आंकड़े देखे जांयें तो ज्ञात होगा कि बड़े पैमाने के व मध्यम पैमाने के उद्योगों पर निर्धारित राशि से अधिक व्यय किया गया है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

परन्तु छोटे छोटे उद्योगों पर व्यय केवल १५ प्रतिशत है। मजदूरों की भलाई के लिये जो न्यूनतम वेतन निश्चित किये गये वह लागू नहीं किये गये हैं।

सरकार ने काजू उद्योग का प्रबन्ध बहुत बुरी तरह किया है। सरकार ने काजू के कारखानों को गैर-मौसमी† घोषित कर दिया है किन्तु मजदूरों की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ। गत चार महीनों से कारखाने बन्द हैं।

†Non-Seasonal.

[श्री नी० श्रीकन्तन नायर]

चुनावों के प्रारम्भ के समय यह घोषणा की गई थी कि कारखाने शीघ्र ही पुनः खोल दिये जायेंगे। इस घोषणा का उद्देश्य केवल कांग्रेस को वोट दिलाना था।

जहां तक १९५७ के बजट का सम्बन्ध है, स्वयं मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि वह ठीक तरह नहीं बनाया जा सका है। उसमें आय का अनुमान २६.५० करोड़ रुपया व व्यय का अनुमान २७.५२ करोड़ रुपया है। इस प्रकार १.०२ करोड़ रुपये का घाटा बजट में दिखाया गया है।

जो आंकड़े दिये गये हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, अस्तु साम्यवादी दल को अन्तिम बजट तैयार करने में भिन्न दृष्टिकोण रखना होगा। मैं अपने दल की ओर से सहयोग का बचन देता हूं। परन्तु यदि उसने निष्पक्ष दृष्टिकोण से कार्य नहीं किया तो मैं चेतावनी देता हूं कि हम चुनाव हार जाने पर भी इस प्रकार की स्थिति का सामना करने की पर्याप्त क्षमता रखते हैं।

†श्री मैथ्यू (कोट्टयम्) : केरल के निर्माण से एक नये इतिहास का प्रारम्भ हुआ है। साम्यवादी दल की विजय के कारण वह इस समय समस्त संसार के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। मैं भी साम्यवादी दल को उसकी विजय के उपलक्ष में बधाई देता हूं। राजनीतिक आलोचकों के अनुसार केरल में साम्यवादी दल की विजय राजनीतिक क्षेत्र में एक नया अनुभव है। संसार के इतिहास में यह पहला अवसर है जब कि साम्यवादी दल ने वोटों के आधार पर राजनीतिक शक्ति प्राप्त की है। कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में यह एक नया मोड़ है। हमें यह आश्वासन दिया गया है कि वे संविधान की सीमाओं के भीतर ही रह कर कार्य करेंगे। मुझे आशा है कि वे अपने वचनों के प्रति सच्चे रहेंगे, विधियों का सम्मान करेंगे और अन्य राजनीतिक दलों के प्रति उनका दृष्टिकोण शान्तिपूर्ण रहेगा। भारत के लिये यह बात अत्यन्त ही श्लाघनीय है कि स्वतंत्र मतदान द्वारा वहां एक विरोधी दल को बहुमत प्राप्त हुआ है और मुझे आशा है कि अन्य राजनीतिक दलों के प्रति कम्युनिस्ट पार्टी का दृष्टिकोण भी उसी प्रकार औचित्य एवं न्यायपूर्ण ढंग का होगा। यदि ऐसा ही हो, तो जहां तक साम्यवाद का सम्बन्ध है, यह एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग होगा और वहां उसका एक नया इतिहास लिखा जायेगा।

काफी समय से केरल को समस्या-राज्य कहा जाता रहा है। केरल की घनी आबादी, इसके फलस्वरूप वहां के पढ़े-लिखे लोगों तक की बेकारी और वहां की भूमि पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव का अक्सर उल्लेख किया गया है। इसीलिये हमने बार-बार प्रार्थना की थी कि केन्द्रीय सरकार इसके सम्बन्ध में कुछ विशेष प्रबन्ध करे। इसमें संदेह नहीं कि इसके लिये अनेक वादे किये गये थे, परन्तु काफ़ी हद तक इन वादों को पूरा नहीं किया गया है।

हाल ही में केरल में जो सरकार बनने वाली है उसे मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। विरोधी पक्ष ने अनेक बार यह कहा है कि वहां के सरकारी अधिकारियों में बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। परन्तु यह बात केवल कुछ ही विभागों के बारे में सच हो सकती है, अन्य के बारे में नहीं—जैसे न्यायपालिका को ही लीजिये, वह इससे बिल्कुल ही परे है। परन्तु वहां भ्रष्टाचार है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। यदि नयी सरकार इसमें कमी कर सके तो यह राज्य की एक ऐसी सेवा होगी जिसका राज्य के सभी वर्गों की जनता स्वागत करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

फिर इस प्रकार का संशय भी प्रगट किया गया है कि जिस समय कम्युनिस्ट पार्टी केरल में विरोधी पक्ष के रूप में कार्य कर रही थी उसने मज़दूरों में असंतोष फैलाने का प्रयास किया जिसका फल यह हुआ कि राज्य में हड़तालें और तालाबन्दियां हुईं। इसका परिणाम यह हुआ है कि कुछ विदेशी कम्पनियां जो वहां पर पूंजी लगाना चाहती थीं उन्होंने इससे डर कर अपना इरादा बदल दिया और राज्य को इससे बड़ा नुकशान हुआ है। पहले चाहे जो भी हुआ हो, अब क्योंकि मेरे राज्य में इस दल की सरकार बन रही है इसलिये यह आशा है कि अब उनके दृष्टिकोण में अवश्य ही परिवर्तन होगा और स्थिति सुधरेगी। बार बार इसी बात को दोहराना अच्छा नहीं लगता, परन्तु उन्होंने केरल कारखानों में ही नहीं वरन् स्कूलों कालेजों तक में हड़तालें कराईं हैं। परन्तु ये गुजरे जमाने की बातें हैं। यह हो सकता है कि पुलिस के निचले वर्ग के पदाधिकारियों में भ्रष्टाचार फैला हो और वे बलप्रयोग भी करते रहे हों, परन्तु यह सभी जानते हैं कि उन्हें कैसी कैसी गम्भीर परिस्थितियों में अपने कठिन कर्त्तव्य पूरे करने होते हैं। अब नयी कम्युनिस्ट सरकार को न केवल यह चाहिये कि वह पुलिस को नीचा दिखाये, उसे धमकाये और परेशान करे वरन् यह प्रबन्ध करना चाहिये जिससे वह उचित, न्यायपूर्ण और कुशलतापूर्ण ढंग से अपने कर्त्तव्य पूरे करे। हम सभी चाहते हैं कि नयी सरकार पुलिस को अपने हाथ का खिलौना बना कर अपने लाभ के लिये और दूसरे दलों को डराने के लिये उसका प्रयोग न करे।

राष्ट्रपति का शासन अच्छा था या नहीं, इस प्रश्न के बारे में कुछ कहने की मुझे आवश्यकता नहीं क्योंकि यह प्रश्न अब पुराना पड़ चुका है और मुझे प्रसन्नता है कि वहां पुनः सामान्य स्थिति कायम होने जा रही है। मुझे विश्वास है कि जब भी राज्य की समृद्धि बढ़ाने की दृष्टि से कोई कार्य किया जायेगा, कांग्रेस-दल और अन्य सभी दल शासक-दल के साथ सहयोग करेंगे। साथ ही मुझे यह भी आशा है कि कम्युनिस्ट पार्टी भी वैसी कार्यवाही अपनायेगी जो राज्य का हितचिंतन करने वाले सभी दलों को स्वीकार्य हो।

यदि मुझे दुबारा कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैं विश्वविद्यालयों के विषय में कुछ बातें कहना चाहता हूं। विश्वविद्यालय सम्बन्धी मामलों में दलगत दृष्टिकोण से नहीं वरन् बहुत व्यापक, सुलझे हुये, और सौजन्यतापूर्ण दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिये।

एक बात और, और फिर मेरी बात पूरी हो जायेगी। यह बात बार-बार कही जाती है कि गैर-सरकारी कालेजों के अध्यापकों के वेतन-क्रमों को सरकारी और विश्वविद्यालयों के कालेजों के स्तर तक लाया जाना चाहिये। परन्तु जब तक सरकार और विश्वविद्यालयों द्वारा इन कालेजों को आवश्यक वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी तब तक इन कालेजों के लिये अपने आप यह करना असम्भव होगा।

मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और शासन पर चाहे जिस दल का अधिकार हो, वह उसका अतिक्रमण नहीं करेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब स्थगित होगी और कल ११—०० बजे पुनः समवेत होगी।

[इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, २८ मार्च, १९५७ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई]

---

†मूल अंग्रेजी में

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३१३–१६

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :

१. २२ मई, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२७३ के उत्तर को शुद्ध करने के वक्तव्य की एक प्रति।

२. निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :

(१) वर्ष १९५५–५६ के लिये हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन।

(२) वर्ष १९५५-५६ के लिये सिन्द्री फर्टलाइज़र्स और कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

(३) वर्ष १९५४-५५ के लिये कोयला बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन।

(४) कोयला खानों के एकीकरण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन (१९५६) भाग १।

(५) ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स (प्राइवेट) लिमिटेड का दूसरा वार्षिक प्रतिवेदन।

(६) ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये हिन्दुस्तान केबल्स (प्राइवेट) लिमिटेड का चौथा वार्षिक प्रतिवेदन।

३. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड के बारे में भारत के राष्ट्रपति और ओरलिकोन मशीन टूल्स वर्क्स, भुरले कम्पनी, ज्यूरिक ओरलिकोन, स्विट्ज़रलैंड के बीच हुये १ मार्च, १९५७ के संशोधित करार की एक प्रति।

४. २४ जुलाई, १९५२ को केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा दिये गये एक आश्वासन के अनुसरण में १ अप्रैल, १९५६ से ३० नवम्बर १९५६, तक की अवधि के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य के प्रतिवेदन की एक प्रति।

५. मंत्रियों द्वारा विभिन्न सत्रों में, जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, दिये गये आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति :

(१) अनुपूरक विवरण संख्या ३ चौदहवां सत्र, १९५६
(२) अनुपूरक विवरण संख्या १० तेरहवां सत्र, १९५६
(३) अनुपूरक विवरण संख्या १६ बारहवां सत्र, १९५६

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १८ ग्यारहवां सत्र, १९५५
(५) अनुपूरक विवरण संख्या २१ दसवां सत्र, १९५५
(६) अनुपूरक विवरण संख्या २७ नवां सत्र, १९५५।

६. काफी अधिनियम, १९४२, की धारा ४८ की उपधारा (३) के अधीन ५ जनवरी, १९५७, की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३० में प्रकाशित, काफी बोर्ड के कर्मचारियों के आचरण सम्बन्धी नियमों की एक प्रति।

७. रबड़ अधिनियम, १९४७, की धारा २५ की उपधारा (३) के अधीन रबड़ नियमों, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली २३ फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ५४९ की एक प्रति।

८. खान अधिनियम, १९५२ की धारा ५९ की उपधारा (७) के अधीन खान नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली २६ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३१२ की एक प्रति।

९. अभ्रक खान कल्याण निधि नियम, १९४८, में आगे कुछ और संशोधन करने वाली ८ दिसम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २९६४ की एक प्रति।

१०. कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि नियम, १९४९, में आगे कुछ और संशोधन करने वाली ५ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ४९ की एक प्रति।

११. विद्युत संभरण अधिनियम, १९४८, की धारा ६१ की उपधारा (३) के अधीन १९५७-५८ के लिये दिल्ली राज्य विद्युत बोर्ड के बजट प्राक्कलनों की एक प्रति।

१२. २ और ३ अप्रैल, १९५६ को बजट की वाद-विवाद के समय उठाई गयी कुछ बातों के बारे में, जिन का उल्लेख सिंचाई और विद्युत मंत्री और उपमंत्री द्वारा दिये गये उत्तरों में नहीं है, आगे और जानकारी देने वाले विवरण की एक प्रति।

१३. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की २१ मार्च, १९५७ को हुई बाईसवीं बैठक के कार्यवाही के सारांश की एक प्रति।

१४. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की पन्द्रहवें सत्र में हुई (तिहत्तरवीं और चौहत्तरवीं) बैठकों के कार्यवाही सारांश की एक प्रति।

१५. नियम समिति की २६ मार्च, १९५७ को हुई बैठक की कार्यवाही के सारांश की एक प्रति।

पृष्ट

लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन उप:स्थापित ३१६

चौबीसवां प्रतिवेदन उप:स्थापित किया गया ।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन उप:स्थापित ३१६

बावनवां और उनसठवां प्रतिवेदन उप:स्थापित किया गया ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३१६-१८

श्री न०म० लिंगम ने तेल की खोज के सम्बन्ध में हुई प्रगति, विशेष रूप से रुपया कम्पनी के कार्य करने की ओर प्राकृतिक संसाधन मंत्री का ध्यान दिलाया ।

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) ने इसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया और एक विवरण भी रखा ।

विधेयक पारित ३१८

वित्त तथा लोहा इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने प्रस्ताव किया कि विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ ।

रेलवे बजट–सामान्य चर्चा ३१८-३३

रेलवे बजट पर और आगे चर्चा जारी रही । रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हो गयी ।

लेखानुदान की मांगें (रेलवे) ३३३-४७

वर्ष १९५७–५८ में रेलवे बजट सम्बन्धी लेखानुदान की सभी मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

विधेयक पुर:स्थापित ३४८

विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, १९५७, पुर:स्थापित किया गया ।

केरल का बजट––सामान्य चर्चा ३४८–५३

केरल बजट पर सामान्य चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गुरुवार, २८ मार्च, १९५७ के लिये कार्यावलि

विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक पर विचार, केरल के बजट पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ, केरल के लेखानुदानों की मांगों पर मतदान और भ्रष्टाचार (संशोधन) विधेयक पर भी विचार ।